

**परिशिष्ट 1.1**  
**राज्य प्रोफाइल**  
**(संदर्भ: अनुच्छेद 1.1 पृष्ठ 1)**

राज्य प्रोफाइल					
क.	सामान्य डाटा				
क्र.सं.	विवरण				आंकड़े
1	क्षेत्र				44,212 वर्ग कि.मी.
	जनसंख्या				
2	क	2001 की जनगणना के अनुसार			2.11 करोड़
	ख	2011 की जनगणना के अनुसार			2.54 करोड़
3	जनसंख्या घनत्व <sup>1</sup> (2011) (अखिल भारतीय घनत्व=382 व्यक्ति प्रति वर्ग कि.मी.)				573 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर
4	गरीबी रेखा <sup>2</sup> से नीचे जनसंख्या (अखिल भारतीय औसत = 21.90 प्रतिशत)				11.20 प्रतिशत
5	साक्षरता <sup>2</sup> (2011) (अखिल भारतीय औसत = 73.00 प्रतिशत)				75.60 प्रतिशत
6	शिशु मृत्यु-दर <sup>3</sup> (प्रति 1000 सजीव जन्म) (अखिल भारतीय औसत=37 प्रति 1000 सजीव जन्म)				36
7	जन्म <sup>4</sup> पर जीवन प्रत्याशा (अखिल भारतीय औसत=68.3 वर्ष)				69.1 वर्ष
	गिनी सहकारी कारण <sup>5</sup>				
8	क	ग्रामीण (अखिल भारतीय= 0.29)			0.30
	ख	शहरी (अखिल भारतीय= 0.38)			0.36
9	वर्तमान मूल्यों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स.रा.घ.उ.) 2016-17 <sup>6</sup>				₹ 5,47,396 करोड़
10	प्रति व्यक्ति स.रा.घ.उ. सी.ए.जी.आर. (2007-08 से 2016-17)			हरियाणा	13.5 प्रतिशत
11				सामान्य श्रेणी राज्य	13.2 प्रतिशत
12	स.रा.घ.उ. सी.ए.जी.आर. (2007-08 से 2016-17) <sup>7</sup>			हरियाणा	15.3 प्रतिशत
13				सामान्य श्रेणी राज्य	14.6 प्रतिशत
14	हरियाणा की जनसंख्या वृद्धि (2007 से 2016)				15.5 प्रतिशत
15	सामान्य श्रेणी राज्यों की जनसंख्या <sup>8</sup> वृद्धि (2007 से 2016)				11.9 प्रतिशत
ख	वित्तीय आंकड़े				
	विवरण		आंकड़े (प्रतिशत में)		
	सी.ए.जी.आर		2007-08 से 2015-16		2015-16 से 2016-17
			सामान्य श्रेणी राज्य	हरियाणा	सामान्य श्रेणी राज्य
					हरियाणा
क	राजस्व प्राप्तियों का		14.58	11.74	11.52
ख	स्वयं के कर राजस्व का		14.80	13.02	13.50
ग	कर-भिन्न राजस्व का		9.45	(-) 0.87	12.10
घ	कुल व्यय का		15.84	17.92	15.31
ड	पूँजीगत व्यय का		14.53	9.16	17.91
च	शिक्षा पर राजस्व व्यय का		16.86	17.37	9.86
छ	स्वास्थ्य पर राजस्व व्यय का		18.43	21.36	14.92
ज	वेतन एवं मजदूरियों का <sup>9</sup>		14.89	16.31	13.06
झ	पेंशन का <sup>9</sup>		17.17	19.54	10.63
					4.54

1 जनगणना सूचना भारत 2011 अंतिम जनसंख्या कुल।

2 भारत का आर्थिक सर्वेक्षण 2016-17 (अगस्त 2017), खण्ड-II

3 भारत का आर्थिक सर्वेक्षण 2016-17 (अगस्त 2017), खण्ड-II

4 भारत का आर्थिक सर्वेक्षण 2016-17 (अगस्त 2017), खण्ड-II

5 [http://planningcommission.nic.in/data/datatable/data\\_2312/DatabookDec2014%20106.pdf](http://planningcommission.nic.in/data/datatable/data_2312/DatabookDec2014%20106.pdf)

6 आर्थिक एवं सांख्यिकीय विश्लेषण निदेशालय, हरियाणा।

7 भारत तथा राज्यों के लिए जनसंख्या प्रक्षेपण 2001-2026 (संशोधित दिसंबर 2006)। जनसंख्या तालिका-14 पर जनसंख्या राष्ट्रीय आयोग द्वारा गठित जनसंख्या प्रक्षेपणों पर तकनीकी ग्रुप की रिपोर्ट।

8 वर्ष 2016-17 के लिए आंकड़े 1 अगस्त 2017 को एम.ओ.एस.पी.आई. द्वारा जारी जी.एस.डी.पी. स्टेटमेंट। गुजरात, केरल, महाराष्ट्र, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, असम, जम्मू-कश्मीर, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड तथा त्रिपुरा राज्यों के जी.एस.डी.पी. आंकड़े संबंधित महालेखाकारों से प्राप्त किए गए हैं।

9 1 अगस्त 2017 को सी.एस.ओ. वैबसाइट, गुजरात, केरल, महाराष्ट्र, राजस्थान तथा पश्चिम बंगाल के आंकड़े संबंधित प्रधान महालेखाकारों/महालेखाकारों से प्राप्त किए गए हैं।

**परिशिष्ट 1.2**

(संदर्भ: अनुच्छेद प्रस्तावना; पृष्ठ 1)

**भाग क: सरकारी लेखाओं का ढांचा एवं स्वरूप**

**सरकारी लेखे का ढांचा:** राज्य सरकार के लेखे तीन भागों में रखे जाते हैं (i) समेकित निधि, (ii) आकस्मिक निधि, एवं (iii) लोक लेखा।

**भाग I: समेकित निधि:** इस निधि में राज्य सरकार द्वारा प्राप्त सभी राजस्व, राज्य सरकार द्वारा उठाए गए सभी ऋण (मार्केट ऋण, बॉण्ड्स, केंद्रीय सरकार से ऋण, वित्तीय संस्थाओं से ऋण, राष्ट्रीय लघु बचत निधि इत्यादि को जारी की गई विशेष प्रतिभूतियां) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिए गए अर्थापाय अग्रिम तथा राज्य सरकार द्वारा ऋणों के पुनर्भुगतान में प्राप्त सभी धन शामिल होते हैं। भारतीय संविधान द्वारा प्रावधान किए गए प्रयोजनों के लिए तथा पद्धति में कानून के अनुसार के अतिरिक्त कोई धन इस फंड से विनियोजित नहीं किया जा सकता। व्यय की निश्चित श्रेणियां (उदाहरणार्थ-संवैधानिक प्राधिकारियों के वेतन, ऋण पुनर्भुगतान इत्यादि) राज्य की समेकित निधि पर भार संघटित करती है (भारित व्यय) तथा विधायिका द्वारा मत के अध्यक्षीन नहीं होती। अन्य सभी व्यय (दत्तमत व्यय) विधायिका द्वारा वोट किए जाते हैं। समेकित फंड में दो सैक्शन शामिल होते हैं: राजस्व तथा पूंजीगत (ऋण सहित)। ये आगे 'प्राप्तियां' तथा 'व्यय' के अंतर्गत श्रेणीबद्ध हैं। राजस्व प्राप्तियां सैक्शन तीन सैक्टरों अर्थात् 'कर राजस्व', 'कर भिन्न राजस्व' तथा सहायतानुदान तथा अंशदानों में बंटा हुआ है। ये तीन सैक्टर आगे सब-सैक्टर में जैसे 'आय तथा व्यय पर कर' 'राजकोषीय सेवाएं' आदि में विभाजित हैं। पूंजीगत प्राप्तियां सैक्शन में अन्य कोई सैक्टर या सब-सैक्टर नहीं है। राजस्व व्यय सैक्शन चार सैक्टरों में विभाजित है अर्थात्, 'सामान्य सेवाएं', 'सामाजिक सेवाएं', 'आर्थिक सेवाएं' तथा 'सहायतानुदान एवं अंशदान'। राजस्व व्यय सैक्शन से ये भाग आगे उप भागों में विभाजित हैं 'जैसे राज्य के अंग', 'शिक्षा', 'खेल', 'कला तथा संस्कृति' आदि। पूंजीगत व्यय सैक्शन आठ भागों में उप विभाजित है, अर्थात् 'सामान्य सेवाएं', 'सामाजिक सेवाएं', 'आर्थिक सेवाएं', 'सहायतानुदान तथा अंशदान' 'लोक ऋण', 'ऋण तथा अग्रिम', 'अंतर्राज्यीय समायोजन' तथा 'आकस्मिक निधि को ट्रांसफर'।

**भाग II: आकस्मिक निधि:** यह निधि अग्रदाय के रूप में होती है जो राज्य विधायिका द्वारा कानून द्वारा स्थापित है तथा अप्रत्याशित व्यय, जो राज्य विधायिका द्वारा प्राधिकार के लिए लम्बित हो, को पूरा करने के लिए दिए जाने वाले अग्रिमों हेतु राज्यपाल की डिस्पोजल पर रखा जाता है फंड की प्रतिपूर्ति राज्य की समेकित निधि से संबंधित क्रियाशील मुख्य शीर्ष को व्यय द्वारा डेबिट करके की जाती है। 2016-17 के लिए हरियाणा सरकार की आकस्मिक निधि ₹ 200 करोड़ है।

**भाग III: लोक लेखा:** अन्य सभी पब्लिक धन जो सरकार द्वारा या सरकार की ओर से प्राप्त किया जाता है, जिसमें सरकार बैंकर या ट्रस्टी के रूप में काम करती है, लोक लेखा में जमा किया जाता है। पब्लिक अकाउंट में पुनर्भुगतान योग्य जैसे लघु बचतें तथा भविष्य निधियां, डिपोजिटस (ब्याज वाली तथा बिना ब्याज वाली), अग्रिम, रिजर्व फंडस (ब्याज वाले तथा बिना ब्याज वाले) प्रेषण तथा उचंत शीर्ष (जिनमें से दोनों ही ट्रांजिटरी शीर्ष है फाइनेल बुकिंग के लिए लंबित है) शामिल हैं। सरकार के पास उपलब्ध नेट कैश बैलेंस भी पब्लिक अकाउंट में शामिल है। लोक लेखे में छः सैक्टर यानि 'लघु बचतें, भविष्य निधि आदि', 'रिजर्व फंड', 'जमा तथा अग्रिम', 'उचंत तथा विविध', 'प्रेषण' तथा 'कैश बैलेंस' शामिल हैं। ये सैक्टर आगे उप भागों में विभाजित हैं। पब्लिक अकाउंट विधायिका की वोट के अध्यक्षीन नहीं है।

**परिशिष्ट 1.2 भाग-ख: वित्त लेखाओं का विन्यास**

विवरण	विन्यास
<p>वित्त लेखे दो खंडों में प्रस्तुत किए जाते हैं। खंड-I में भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का सर्टिफिकेट, वित्त लेखाओं की गाइड, 13 विवरणियां जो चालू वित्तीय वर्ष के लिए राज्य सरकार की वित्तीय स्थिति तथा लेन-देनों पर संक्षेपित सूचना, लेखाओं पर टिप्पणियां तथा लेखाओं की टिप्पणियों पर एक परिशिष्ट शामिल होता है। खंड-II में 13 विवरणियों के विवरण नीचे दिए गए हैं:</p>	

परिशिष्ट 1.2 भाग-ख: वित्त लेखाओं का विन्यास	
विवरणी	विन्यास
विवरणी सं. 1	<b>वित्तीय स्थिति की विवरणी:</b> यह विवरणी राज्य सरकार की परिसंपत्तियों तथा देयताओं के संचयी आंकड़े चित्रित करती है, क्योंकि वे वर्ष के अंत में विद्यमान हैं तथा गत वर्ष की वित्तीय स्थिति से तुलना किए गए अनुसार हैं।
विवरणी सं. 2	<b>प्राप्तियों तथा संवितरणों की विवरणी:</b> यह विवरणी, वर्ष के दौरान राज्य सरकार की सभी तीन भागों, जिनमें सरकारी लेखे रखे जाते हैं अर्थात् समेकित निधि, आकस्मिक निधि तथा लोक लेखा में सभी प्राप्तियों तथा संवितरणों का चित्रण करती है। इसके अतिरिक्त, सरकार के केश बैलेंसिज (निवेशों सहित) के वैकल्पिक चित्रण को दिखाते हुए इसमें एक परिशिष्ट शामिल है। परिशिष्ट भी सरकार की अर्थोपाय स्थिति को विस्तार से प्रकट करता है।
विवरणी सं. 3	<b>प्राप्तियों की विवरणी (समेकित निधि):</b> यह विवरणी राज्य सरकार की राजस्व तथा पूंजीगत प्राप्तियों तथा उधारों को शामिल करती है। यह विवरणी वित्त लेखाओं के खंड-2 में विस्तृत विवरणी 14, 17 तथा 18 के अनुरूप है।
विवरणी सं. 4	<b>व्यय की विवरणी (समेकित निधि):</b> वित्त लेखाओं के लघु शीर्ष स्तर के सामान्य चित्रण के अतिरिक्त, यह विवरणी, गतिविधि की प्रकृति द्वारा (व्यय के उद्देश्य) व्यय का विवरण भी देती है। यह विवरणी खंड-2 में विस्तृत विवरणी 15, 16, 17 तथा 18 के अनुरूप है।
विवरणी सं. 5	<b>प्रोग्रेसिव पूंजीगत व्यय की विवरणी:</b> यह विवरणी भाग-II में विस्तृत विवरणी 16 के अनुरूप है।
विवरणी सं. 6	<b>उधारों तथा अन्य देयताओं की विवरणी:</b> सरकार की उधारों में इसके द्वारा उठाए गए बाजार ऋण (आंतरिक डेब्ट) तथा भारत सरकार से प्राप्त ऋण तथा अग्रिम शामिल होते हैं। अन्य देयताओं में लघु बचतें, भविष्य निधियां आदि 'रिजर्व फंड' तथा 'डिपोजिटस शामिल हैं। विवरणी में ऋण की सेवा पर एक टिप्पणी भी शामिल है तथा भाग-II में विस्तृत विवरणी-17 के अनुरूप है।
विवरणी सं. 7	<b>सरकार द्वारा दिए गए ऋणों तथा अग्रिमों की विवरणी:</b> यह विवरणी राज्य सरकार द्वारा विभिन्न श्रेणियों के ऋणियों जैसे सांविधिक निगमों, सरकारी कंपनियों, स्वायत्त तथा अन्य निकायों/प्राधिकरणों तथा व्यक्तिगत प्राप्तकर्ता (सरकारी कर्मचारियों सहित) को दिए गए सभी ऋणों तथा अग्रिमों को चित्रित करती है। यह विवरणी भाग-II में विस्तृत विवरणी-18 के अनुरूप है।
विवरणी सं. 8	<b>सरकार के निवेशों की विवरणी:</b> यह विवरणी सांविधिक निगमों, सरकारी कंपनियों, अन्य संयुक्त स्टॉक कंपनियों, सहकारी संस्थाओं तथा स्थानीय निकायों की इक्विटी में राज्य सरकार के निवेशों को चित्रित करती है। यह विवरणी भाग-II में विस्तृत विवरणी-19 के अनुरूप है।
विवरणी सं. 9	<b>सरकार द्वारा दी गई गारंटियों की विवरणी:</b> यह विवरणी सांविधिक निगमों, सरकारी कंपनियों, स्थानीय निकायों तथा अन्य संस्थाओं द्वारा उठा, गए ऋणों पर मूलधन तथा ब्याज के पुनर्भुगतान पर राज्य सरकार द्वारा दी गई गारंटियों का संक्षिप्त ब्यौरा प्रदान करती है। यह विवरणी भाग-II में विस्तृत विवरणी-20 के अनुरूप है।
विवरणी सं. 10	<b>सरकार द्वारा दिए गए सहायता अनुदानों की विवरणी:</b> यह विवरणी राज्य सरकार द्वारा विभिन्न श्रेणियों के ग्रांट प्राप्त करने वालों जैसे सांविधिक निगमों, सरकारी कंपनियों, स्वायत्त तथा अन्य निकायों/प्राधिकरणों तथा व्यक्तिगत प्राप्तकर्ता को दिए गए सभी प्रकार के सहायता अनुदानों को चित्रित करती है। परिशिष्ट III प्राप्तकर्ता संस्थाओं के विवरण प्रस्तुत करता है।
विवरणी सं. 11	<b>दत्तमत तथा भारित व्यय की विवरणी:</b> यह विवरणी विनियोजन लेखाओं में प्रकट होने वाले सकल आंकड़ों के साथ वित्त लेखाओं में प्रकट नेट आंकड़ों के एग्रीमेंट में सहायता करती है।
विवरणी सं. 12	<b>राजस्व लेखे से पृथक व्यय हेतु निधियों के स्रोत एवं अनुप्रयोग की विवरणी:</b> यह विवरणी इस सिद्धांत पर आधारित है कि राजस्व व्यय राजस्व प्राप्तियों से अलग किया जाना अपेक्षित है जबकि वर्ष के लिए पूंजीगत व्यय राजस्व आधिक्य, लोक लेखा में निवल जमा शेष, वर्ष के आरंभ में नकद शेष तथा उधारों से वहन किया गया है।
विवरणी सं. 13	<b>समेकित निधि, आकस्मिक निधि तथा लोक लेखे के अंतर्गत शेषों का सार:</b> यह विवरणी लेखाओं की परिशुद्धता प्रदान करने में सहायता करती है। विवरणी भाग-II में विस्तृत विवरणी-14, 15, 16, 17, 18 तथा 21 के अनुरूप है।

परिशिष्ट 1.2 भाग-ख: वित्त लेखाओं का विन्यास	
विवरणी	विन्यास
<b>खंड-II</b> में दो भाग शामिल हैं-भाग I में 9 विस्तृत विवरणियां तथा भाग II में 13 परिशिष्ट हैं जैसा कि नीचे दिए गए हैं:	
<b>खंड-II का भाग-I</b>	
विवरणी सं. 14	<b>लघु शीर्षों द्वारा राजस्व तथा पूंजीगत प्राप्तियों की विस्तृत विवरणी:</b> यह विवरणी वित्त लेखाओं के खंड-I में सार विवरणी-3 के अनुरूप है।
विवरणी सं. 15	<b>लघु शीर्षों द्वारा राजस्व व्यय की विस्तृत विवरणी:</b> यह विवरणी जो खंड-I में सार विवरणी 4 के अनुरूप है, प्लान (स्टेट प्लान, केंद्रीय प्रायोजित स्कीमें तथा केंद्रीय प्लान स्कीमें) तथा नॉन प्लान के अंतर्गत राज्य सरकार के राजस्व व्यय को चित्रित करती है। भारत तथा दत्तमत व्यय अलग से दर्शाए जाते हैं।
विवरणी सं. 16	<b>लघु शीर्षों तथा उपशीर्षों द्वारा पूंजीगत व्यय की विस्तृत विवरणी:</b> यह विवरणी जो इस खंड के भाग-I में सार विवरणी 5 के अनुरूप है, प्लान (स्टेट प्लान, केंद्रीय प्रायोजित स्कीमें तथा केंद्रीय प्लान स्कीमें) तथा नॉन-प्लान के अंतर्गत राज्य सरकार के पूंजीगत व्यय (वर्ष के दौरान तथा संचयी रूप से) चित्रित करती है। भारत तथा दत्तमत व्यय अलग से दर्शाए गए हैं। महत्वपूर्ण स्कीमों के संबंध में लघु शीर्ष स्तर पर पूंजीगत व्यय के विवरण निरूपित करने के अतिरिक्त यह विवरणी उपशीर्ष स्तरों पर भी विवरण चित्रित करती है।
विवरणी सं. 17	<b>उधारों तथा अन्य देयताओं की विस्तृत विवरणी:</b> इस विवरणी में जो इस खंड के भाग-I में सार विवरणी-6 के अनुरूप है, राज्य सरकार (मार्केट ऋण, बॉन्ड्स, केंद्र सरकार से ऋण, वित्तीय संस्थाओं से ऋण, राष्ट्रीय लघु बचत फंड आदि को जारी विशेष प्रतिभूतियां) द्वारा उठा, गए सभी ऋणों तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिए गए अर्थापाय अग्रिमों के सारे विवरण शामिल हैं। यह विवरणी तीन श्रेणियों के अंतर्गत ऋणों पर सूचना प्रस्तुत करती है। (क) व्यक्तिगत ऋणों के विवरण (ख) मैच्योरिटी प्रोफाइल यानि विभिन्न वर्षों में ऋणों की प्रत्येक श्रेणी के संबंध में भुगतान योग्य राशियां; तथा (ग) बकाया ऋणों की ब्याज दर प्रोफाइल।
विवरणी सं. 18	<b>सरकार द्वारा दिए गए ऋणों तथा अग्रिमों की विस्तृत विवरणी:</b> यह विवरणी भाग-I में विवरणी-7 के अनुरूप है।
विवरणी सं. 19	<b>सरकार के निवेशों की विस्तृत विवरणी:</b> यह विवरणी विवरणी 16 तथा 19 के मध्य कमियों, यदि कोई हो, के मुख्य एवं लघु शीर्ष-वार विवरण तथा इक्विटी-वार निवेश चित्रित करती है। यह विवरणी भाग-I में विवरणी-8 के अनुरूप है।
विवरणी सं. 20	<b>सरकार द्वारा दी गई गारंटियों की विस्तृत विवरणी:</b> यह विवरणी सरकारी गारंटी के एनटिटी वार विवरण प्रदान करती है। यह विवरणी भाग-I में विवरणी-9 के अनुरूप है।
विवरणी सं. 21	<b>आकस्मिक निधि तथा अन्य लोक लेखा लेन-देनों पर विस्तृत विवरणी:</b> यह विवरणी लघु शीर्ष स्तर पर आकस्मिक निधि के अंतर्गत अप्रतिपूरित राशियों के विवरण, वर्ष के दौरान लोक लेखा लेन-देनों की समेकित स्थिति तथा वर्ष के अंत में बकाया शेषों को चित्रित करती है। यह विवरणी भाग-I में विवरणी-13 के अनुरूप है।
विवरणी सं. 22	<b>चिन्हित शेषों पर विस्तृत विवरणी:</b> यह विवरणी रिजर्व फंडों (लोक लेखा) से निवेशों के विवरण चित्रित करती है।
<b>खंड-II भाग-III में</b> मुख्य केंद्रीय स्कीमों तथा स्टेट प्लान स्कीमों आदि के संबंध में स्कीमवार व्यय, बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं, सहायता अनुदान, सबसीडियों, वेतनों सहित विभिन्न मदों पर <b>13 परिशिष्ट शामिल हैं।</b> ये विवरण उप-शीर्ष स्तर या नीचे (अर्थात् लघु-शीर्ष स्तर से नीचे) अकाउंट्स में प्रस्तुत हैं तथा इसीलिए सामान्य तौर पर वित्त लेखाओं में चित्रित नहीं किए जाते हैं। परिशिष्ट की एक विस्तृत सूची खंड-1 या 2 में 'सूचकांक' पर प्रकट है। परिशिष्टों के साथ पठित विवरणियां राज्य सरकार के वित्तों की स्थिति का एक पूर्ण चित्र देती हैं।	

## परिशिष्ट 1.3

(संदर्भ: अनुच्छेद प्रस्तावना; पृष्ठ 1)

## राजकोषीय स्थिति के निर्धारण हेतु अपनाई गई पद्धति

राज्य सरकार द्वारा उनके राजकोषीय उत्तरदायित्व अधिनियमों तथा अधिनियम के अन्तर्गत विधानसभा में प्रस्तुत की जानी अपेक्षित अन्य विवरणियों में की गई वचनबद्धताओं/प्रक्षेपणों तथा वित्तीय योगों के स्थापन हेतु इसके प्रक्षेपणों सहित चयनित वित्तीय परिवर्तों हेतु बारहवें वित्त आयोग (बा.वि.आ.) द्वारा निर्धारित मानक/सीमाएं, मुख्य वित्तीय योगों के प्रवाहों एवं पद्धति के गुणवत्ता निर्धारण हेतु प्रयोग किए जाते हैं। यह मानते हुए कि स.रा.घ.उ. राज्य की अर्थव्यवस्था के निष्पादन की उत्तम सूचक है, कर तथा कर भिन्न राजस्व, राजस्व एवं पूंजीगत व्यय, आन्तरिक ऋण एवं राजस्व तथा वित्तीय घाटे जैसे मुख्य वित्तीय योगों, वर्तमान बाजार मूल्यों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स.रा.घ.उ.) की प्रतिशतता के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं। स.रा.घ.उ. द्वारा निरूपित आधार के संदर्भ में उचित वित्तीय परिवर्तों हेतु उत्प्लावकता सह-दक्षताएं भी यह निर्धारित करने हेतु परिकलित की गई हैं, कि संसाधनों का संघटन, व्यय की पद्धति इत्यादि आधार में परिवर्तन की गति के साथ रखे जा रहे हैं अथवा ये वित्तीय योग स.रा.घ.उ. से अन्य घटकों द्वारा भी प्रभावित हैं।

गत पांच वर्षों हेतु स.रा.घ.उ. में प्रवाह नीचे सूचित किए गए हैं:

## चालू दरों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स.रा.घ.उ.) में प्रवाह

	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
सकल राज्य घरेलू उत्पाद (₹ करोड़ में)	3,47,032	4,00,662	4,37,462	4,85,184	5,47,396
स.रा.घ.उ. की वृद्धि दर	16.63	15.45	9.18	10.91	12.82

स्रोत: निदेशालय आर्थिक एवं सांख्यिकी विश्लेषण, हरियाणा

राजकोषीय योगों के प्रवाहों एवं पद्धति के निर्धारण में प्रयुक्त चयनित शब्दावली की कुछ परिभाषाएं नीचे दी गई हैं:

शब्दावली	गणना के आधार
पैरा मीटर की उत्प्लावकता	पैरामीटर की वृद्धि की दर/स.रा.घ.उ. वृद्धि
अन्य पैरा मीटर (वाई) के संबंध में पैरामीटर (एक्स) की उत्प्लावकता	पैरामीटर (एक्स) की वृद्धि की दर/पैरामीटर (वाई) की वृद्धि की दर
वृद्धि की दर (आर.ओ.जी.)	$[(\text{चालू वर्ष राशि}/\text{गत वर्ष राशि}) - 1] \times 100$
विकास व्यय	सामाजिक सेवाएं + आर्थिक सेवाएं
कुल व्यय	राजस्व व्यय + पूंजीगत व्यय + ऋण एवं अग्रिम
राज्य द्वारा प्रदत्त औसत ब्याज	$\text{ब्याज भुगतान}/[(\text{गत वर्षों की राजकोषीय देयताओं की राशि} + \text{चालू वर्ष की राजकोषीय देयताएं}) \times 2] \times 100$
ब्याज फैलाव	स.रा.घ.उ. वृद्धि-औसत ब्याज दर
प्रमात्रा फैलाव	ऋण स्टॉक * ब्याज फैलाव
बकाया ऋणों के प्रतिशत के रूप में प्राप्त ब्याज	प्राप्त ब्याज $[(\text{ऋण एवं अग्रिमों का प्रारम्भिक} + \text{अन्त शेष}) \times 2] \times 100$
राजस्व घाटा	राजस्व प्राप्तियां - राजस्व व्यय
राजकोषीय घाटा	राजस्व व्यय + पूंजीगत व्यय + निवल ऋण एवं अग्रिम - राजस्व प्राप्तियां - विविध पूंजीगत प्राप्तियां
प्राथमिक घाटा	वित्तीय घाटा - ब्याज भुगतान
चालू राजस्व से शेष (बी.सी.आर.)	राजस्व प्राप्तियां घटा सभी योजनागत अनुदान तथा मुख्य शीर्ष 2048 के अन्तर्गत अभिलिखित व्यय को छोड़कर योजनेत्तर राजस्व व्यय-ऋण के परिहार की कटौती हेतु विनियोजन

**परिशिष्ट 1.4**  
(संदर्भ: अनुच्छेद 1.3; पृष्ठ 8)  
**राज्य सरकार के वित्तों पर समय क्रम डाटा**

(₹ करोड़ में)

	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
<b>भाग-क प्राप्तियां</b>					
1. राजस्व प्राप्तियां	33,634	38,012	40,799	47,557	52,497
(i) कर राजस्व	23,559(70)	25,567(67)	27,635(67)	30,929 (65)	34,026 (65)
बिक्रियों, व्यापार आदि पर कर	15,377(65)	16,774(66)	18,993(69)	21,060 (68)	23,488 (69)
राज्य उत्पाद शुल्क	3,236(14)	3,697(14)	3,470(13)	4,371 (14)	4,613 (13)
वाहनों पर कर	887(4)	1,095(4)	1,192(4)	1,401 (5)	1,583 (5)
स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण फीस	3,326(14)	3,203(13)	3,109(11)	3,191 (10)	3,283 (10)
भू-राजस्व	13	12	15	15	16
माल एवं यात्रियों पर कर	471(2)	498(2)	527(2)	554 (2)	595 (2)
बिजली पर कर एवं शुल्क	192(1)	219(1)	240(1)	257 (1)	276 (1)
अन्य कर	57	69	89	80	172
(ii) कर-भिन्न राजस्व	4,673(14)	4,975(13)	4,613(13)	4,753 (10)	6,196 (12)
(iii) संघीय करों एवं शुल्कों में राज्य का हिस्सा	3,062(9)	3,343(9)	3,548(9)	5,496 (12)	6,597 (12)
(iv) भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान	2,340(7)	4,127(11)	5,003(13)	6,379 (13)	5,678 (11)
2. विविध पूंजीगत प्राप्तियां	11	10	19	30	26
3. ऋणों एवं अग्रिमों की वसुलियां	349	262	273	328	973
4. कुल राजस्व एवं ऋणमुक्त पूंजीगत प्राप्तियां (1+2+3)	33,994	38,284	41,091	47,915	53,496
5. लोक ऋण प्राप्तियां	15,213	17,604	18,859	37,998	28,170
आन्तरिक ऋण (अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवर ड्राफ्ट रहित)	15,162 (100)	17,263(98)	18,728(99)	37,901 (100)	28,047 (100)
अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवर ड्राफ्ट के अन्तर्गत निवल लेन-देन	-	-	-	0	
भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम	51	341(2)	131(1)	97	123
6. समेकित निधि में कुल प्राप्तियां (4+5)	49,207	55,888	59,950	85,913	81,666
7. आकस्मिक निधि प्राप्तियां	-	-	-	63	80
8. लोक लेखे प्राप्तियां	22,709	26,548	28,064	29,056	32,108
9. राज्य की कुल प्राप्तियां (6+7+8)	71,916	82,436	88,014	1,15,032	1,13,854
<b>भाग- ख व्यय/संवितरण</b>					
10. राजस्व व्यय	38,072	41,887	49,118	59,236	68,403
योजनागत	9,456(25)	10,152(24)	12,760(26)	18,561 (31)	22,119 (32)
योजनेत्तर	28,616(75)	31,735(76)	36,358(74)	40,675 (69)	46,284 (68)
सामान्य सेवाएं (ब्याज भुगतानों सहित)	11,897(31)	13,597(32)	16,765(34)	18,713 (32)	21,631 (32)
आर्थिक सेवाएं	11,557(30)	12,740(30)	13,088(27)	18,691 (32)	20,875 (30)
सामाजिक सेवाएं	14,516(38)	15,414(37)	19,120(39)	21,539 (36)	25,473 (37)
सहायता अनुदान एवं अंशदान	102	136(1)	145	293	424(1)
11. पूंजीगत व्यय	5,762	3,935	3,716	6,908	6,863
योजनागत	4,191(73)	5,067(129)	4,837(130)	6,624 (96)	6,559 (96)
योजनेत्तर	1,571(27)	(-1,132 (-29)	(-1,121 (-30)	284 (4)	304 (4)
सामान्य सेवाएं	251(4)	282(7)	291(8)	460 (7)	399 (6)
आर्थिक सेवाएं	4,065(71)	1,829(46)	1,527(41)	4,908 (71)	4,877 (71)
सामाजिक सेवाएं	1,446(25)	1,824(46)	1,898(51)	1,540 (22)	1,587 (23)
12. ऋणों एवं अग्रिमों का वितरण	522	776	843	13,250	4,515
13. कुल (10+11+12)	44,356	46,598	53,677	79,394	79,781
14. लोक ऋण के पूनर्भुगतान	5,951	7,968	8,227	7,215	5,276
आन्तरिक ऋण (अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवर ड्राफ्ट रहित)	5,825(98)	7,800(98)	8,073(98)	7,039 (98)	5,090 (96)
अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवर ड्राफ्ट के अन्तर्गत निवल लेन-देन	-	-	-	-	-
भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम	126(2)	168(2)	154(2)	176 (2)	186 (4)
15. आकस्मिक निधि के विनियोजन	-	-	-	-	-
16. समेकित निधि में से कुल संवितरण (13+14+15)	50,307	54,566	61,904	86,609	85,057
17. आकस्मिक निधि संवितरण	-	-	-	63	80
18. लोक लेखे संवितरण	21,074	24,560	25,609	28,650	29,276
19. राज्य द्वारा कुल संवितरण (16+17+18)	71,381	79,126	87,513	1,15,322	1,14,413

	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
<b>भाग ग-घाटा/आधिक्य</b>					
20. राजस्व घाटा (-)/आधिक्य (+)(1-10)	(-)4,438	(-) 3,875	(-) 8,319	(-)11,679	(-)15,906
21. राजकोषीय घाटा (-)/आधिक्य (+)(4-13)	(-)10,362	(-) 8,314	(-) 12,586	(-)31,479	(-)26,285
22. प्राथमिक घाटा (-)/आधिक्य (+) (21+23)	(-)5,618	(-) 2,464	(-) 5,658	(-)23,195	(-)15,743
<b>भाग-घ अन्य डाटा</b>					
23. ब्याज भुगतान (राजस्व व्यय में सम्मिलित)	4,744	5,850	6,928	8,284	10,542
24. स्थानीय निकायों आदि को वित्तीय सहायता	4,648	4,540	6,106	10,766	12,647
25. अर्थापाय अग्रिम (अ.अ.)/प्राप्त ओवर ड्राफ्ट (दिनों में)	347(12)	109 (4)	-	0	0
26. अ.अ./ओवर ड्राफ्ट पर ब्याज	0.78	0.03	-	0	0
27. सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स.रा.घ.उ.) <sup>10</sup>	3,47,032	4,00,662	4,37,462	4,85,184	5,47,396
28. बकाया राजकोषीय देयताएं (वर्ष के अन्त में)	64,818	76,263	88,446	1,20,718	1,46,371
29. ब्याज तथा गारंटी फीस सहित बकाया गारंटियां (वर्ष के अन्त में)	21,124	27,309	30,389	16,886	8,260
30. अपूर्ण परियोजनाओं की संख्या	14	40	14	18	14
31. अपूर्ण परियोजनाओं में अवरुद्ध पूंजी (₹ करोड़ में)	48	398	62.19	98.65	199.17
<b>भाग-ई राजकोषीय स्थिति सूचक</b>					
<b>I संसाधन संघटन</b>					
स्वयं का कर राजस्व/स.रा.घ.उ.	0.068	0.064	0.063	0.064	0.062
स्वयं का कर-भिन्न राजस्व/स.रा.घ.उ.	0.013	0.012	0.011	0.010	0.011
केन्द्रीय अन्तरण/स.रा.घ.उ.	0.009	0.008	0.008	0.011	0.012
<b>II व्यय प्रबन्ध</b>					
कुल व्यय/स.रा.घ.उ.	0.128	0.116	0.123	0.164	0.146
कुल व्यय/राजस्व प्राप्तियां	1.319	1.226	1.316	1.669	1.520
राजस्व व्यय/कुल व्यय	0.858	0.899	0.915	0.746	0.857
सामाजिक सेवाओं पर व्यय/कुल व्यय	0.360	0.370	0.392	0.291	0.339
आर्थिक सेवाओं पर व्यय/कुल व्यय	0.352	0.313	0.272	0.297	0.323
पूंजीगत व्यय/कुल व्यय	0.130	0.084	0.069	0.087	0.086
सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत व्यय/कुल व्यय	0.124	0.078	0.064	0.081	0.081
<b>III राजकोषीय असंतुलों का प्रबन्ध</b>					
राजस्व घाटा (आधिक्य)/स.रा.घ.उ.	-0.013	-0.010	-0.019	-0.024	-0.029
राजकोषीय घाटा/स.रा.घ.उ.	-0.030	-0.021	-0.029	-0.065	-0.048
प्राथमिक घाटा (आधिक्य)/स.रा.घ.उ.	-0.016	-0.006	-0.013	-0.048	-0.029
राजस्व घाटा/वित्तीय घाटा	0.428	0.466	0.661	0.371	0.605
प्राथमिक राजस्व शेष/स.रा.घ.उ.	-0.018	-0.016	-0.025	-0.031	-0.032
<b>IV राजकोषीय देयताओं का प्रबन्ध</b>					
राजकोषीय देयताएं/स.रा.घ.उ.	0.19	0.19	0.20	0.25	0.27
वित्तीय देयताएं/राजस्व प्राप्तियां	1.927	2.006	2.168	2.538	2.788
<b>V अन्य राजकोषीय स्थिति सूचक</b>					
निवेश पर रिटर्न	7.05	6.49	5.80	15.89	5.89
चालू राजस्व से शेष (₹ करोड़ में)	3,741	4,406	1,161	4,510	3,614
वित्तीय परिसम्पत्तियां/देयताएं	0.75	0.74	0.68	0.67	0.62

<sup>10</sup> आर्थिक एवं सांख्यिकीय विश्लेषण निदेशालय, हरियाणा द्वारा यथा संचारित वर्तमान मूल्यों पर स.रा.घ.उ. आंकड़े।

**परिशिष्ट 1.5 भाग-क**  
(संदर्भ: अनुच्छेद 1.1.1; पृष्ठ 2)  
**वर्ष 2016-17 हेतु प्राप्तियाँ एवं संवितरणों का सार**

(₹ करोड़ में)

प्राप्तियाँ			संवितरण					
	2015-16		2016-17	2015-16	2016-17			
					नॉन-प्लान	प्लान	कुल	
<b>भाग क: राजस्व</b>								
<b>I. राजस्व प्राप्तियाँ</b>	<b>47,556.55</b>		<b>52,496.82</b>	<b>I. राजस्व व्यय</b>	<b>59,235.70</b>	<b>46,284.16</b>	<b>22,119.27</b>	<b>68,403.43</b>
कर राजस्व	30,929.09	34,025.68		सामान्य सेवाएं	18,713.33	21,447.06	183.73	21,630.79
कर भिन्न राजस्व	4,752.48	6,196.09		सामाजिक सेवाएं	21,538.86	11,865.44	13,608.05	25,473.49
संघीय करों का राज्य का हिस्सा	5,496.22	6,597.47		शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति	9,916.53	6,920.11	4,140.29	11,060.40
नॉन प्लान अनुदान	3,744.39	3,078.49		स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	2,489.70	1,126.04	1,674.19	2,800.23
राज्य प्लान स्कीमों हेतु अनुदान	2,268.18	2,327.52		जल आपूर्ति, सफाई, आवास एवं शहरी विकास	3,642.18	2,041.04	2,475.56	4,516.60
केन्द्रीय एवं केन्द्रीय प्रायोजित प्लान स्कीमों के लिए अनुदान	366.19	271.57		सूचना एवं प्रसारण	105.17	46.46	84.15	130.61
				अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	333.60	149.36	415.33	564.69
				श्रम एवं श्रम कल्याण	306.50	197.19	129.17	326.36
				समाज कल्याण एवं पोषण	4,736.56	1,376.89	4,689.36	6,066.25
				अन्य	8.62	8.35	-	8.35
				आर्थिक सेवाएं	18,690.36	12,547.72	8,327.49	20,875.21
				कृषि एवं सहायक गतिविधियाँ	2,295.14	1,004.16	1,515.24	2,519.40
				ग्रामीण विकास	1,850.67	971.46	1,920.61	2,892.07
				सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	1,405.38	1,052.18	359.54	1,411.72
				ऊर्जा	10,219.92	6,611.72	3,903.26	10,514.98
				उद्योग एवं खनिज	94.78	51.80	298.00	349.80
				परिवहन	2,595.18	2,650.55	169.29	2,819.84
				विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण	33.53	9.61	17.08	26.69
				अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	195.76	196.24	144.47	340.71
				सहायता अनुदान तथा अंशदान	293.15	423.94		423.94
<b>II. भाग ख को अग्रणीत राजस्व घाटा</b>	<b>11,679.15</b>		<b>15,906.61</b>	<b>II. भाग ख को अग्रणीत राजस्व आधिक्य</b>				
<b>योग भाग क</b>	<b>59,235.70</b>		<b>68,403.43</b>		<b>59,235.70</b>	<b>46,284.16</b>	<b>22,119.27</b>	<b>68,403.43</b>
<b>भाग ख- अन्य</b>				<b>III. भारतीय रिजर्व बैंक से आरम्भिक ओवरड्राफ्ट</b>				
III. स्थायी अग्रिमों एवं नकद शेष निवेश सहित आरम्भिक नकद शेष	6,507.52		6,217.73	<b>IV. पूंजीगत परिव्यय</b>	<b>6,908.33</b>	<b>304.30</b>	<b>6,558.80</b>	<b>6,863.10</b>
IV. विविध पूंजीगत प्राप्तियाँ	29.98		26.27	सामान्य सेवाएं	460.56	399.37	399.37	399.37
				सामाजिक सेवाएं	1,539.99	1,586.41	1,586.41	1,586.41
				शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति	202.16	141.75	141.75	141.75
				स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	35.20	244.19	244.19	244.19
				जलापूर्ति, सफाई, आवास एवं शहरी विकास	1,133.51	1,009.90	1,009.90	1,009.90
				अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	2.24	3.07	3.07	3.07
				समाज कल्याण एवं पोषण	57.45	79.39	79.39	79.39
				अन्य	109.43	108.11	108.11	108.11

प्राप्तियां			संवितरण					
	2015-16		2016-17	2015-16	2016-17			
					नॉन-प्लान	प्लान	कुल	
				आर्थिक सेवाएं	4,907.78	304.30	45,73.02	4,877.32
				कृषि एवं सहायक गतिविधियां	400.9	304.23	108.85	413.08
				सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	876.21	-	926.31	926.31
				ऊर्जा	1,597.50	-	1,894.73	1,894.73
				उद्योग एवं खनिज	0.01	-	2.20	2.20
				परिवहन	2,011.21	0.07	1,588.33	1,588.40
				विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	-	-	14.00	14.00
				सामान्य आर्थिक सेवाएं	21.95	-	38.60	38.60
V. ऋणों एवं अग्रिमों की वसुलियां	328.28		973.23	V. संवितरित ऋण एवं अग्रिम	13,250.29	68.93	4,445.98	4,514.91
बिजली परियोजनाओं से	61.94	68.09		बिजली परियोजनाओं हेतु	12,266.83		3,647.08	3,647.08
सरकारी कर्मचारियों से	244.48	866.64		सरकारी कर्मचारियों को	275.20	68.93	-	68.93
अन्यों से	21.86	38.50		अन्यों को	708.26	-	798.90	798.90
VI राजस्व आधिक्य नीचे लाया गया	-	-		VI. राजस्व घाटा नीचे लाया गया	11,679.15			15,906.61
VII. लोक ऋण प्राप्तियां	37,998.43		28,169.52	VII. लोक ऋण का पुनर्भूगतान	7,214.68			5,275.84
बाह्य ऋण				बाह्य ऋण				
अर्थापय अग्रिमों तथा ओवरड्राफ्ट से अन्य आन्तरिक ऋण	37,901.19	28,046.26		अर्थापय अग्रिमों तथा ओवरड्राफ्ट से अन्य आन्तरिक ऋण	7,038.54	5,089.52		
अर्थापय अग्रिमों के अधीन निवल संपादन केन्द्रीय सरकार से ऋण एवं अग्रिम	97.24	123.26		अर्थापय अग्रिमों के अन्तर्गत निवल संपादन केन्द्रीय सरकार को ऋण एवं अग्रिमों का पुनर्भूगतान	176.14	186.32		
VIII. आकस्मिक निधि का विनियोजन				VIII. आकस्मिक निधि का विनियोजन	63.22			80.14
IX. आकस्मिक निधि से अंतरित राशि	63.22		80.14	IX. आकस्मिक निधि से व्यय				
X. लोक लेखा प्राप्तियां	29,055.78		32,107.64	X. लोक लेखा संवितरण	28,649.81			29,275.67
लघु बचत, भविष्य निधि, इत्यादि.	2,967.99	3,034.08		लघु बचत, भविष्य निधियां, इत्यादि.	1,919.35	1,919.20		
आरक्षण निधियां	698.81	1,593.64		आरक्षण निधियां	1,709.62	48.91		
उचन्त एवं विविध प्रेषण	562.53	848.36		उचन्त एवं विविध प्रेषण	544.51	731.54		
निक्षेप एवं अग्रिम	7,193.95	7,134.20		डिपोजिटस एवं अग्रिम	7,213.10	7,076.54		
XI. रिजर्व बैंक आफ इंडिया से संवरण ओवरड्राफ्ट	17,632.50	19,497.36		XI. समाप्ति पर नकद शेष	17,263.23	19,499.48		
				कोषालयों तथा स्थानीय प्रेषणों में नकद	0.54	0.54		
				रिजर्व बैंक के साथ निक्षेप	-733.94	426.19		
				स्थायी अग्रिमों इत्यादि सहित विभागीय नकद शेष	2.79	3.04		
				नकद शेष निवेश	4,173.12	2,554.85		
				उद्दिष्ट निवेश	2,775.22	2,673.64		
योग भाग-ख	73,983.21		67,574.53	योग	73,983.21			67,574.53

**परिशिष्ट 1.5 भाग ख**  
(संदर्भ: अनुच्छेद 1.9.2; पृष्ठ 29)  
**31 मार्च 2017 को राज्य सरकार की संक्षेपित वित्तीय स्थिति**

(₹ करोड़ में)

31 मार्च 2016 को	देयताएं	31 मार्च 2017 को
99,660.13	<b>आन्तरिक ऋण</b>	1,22,616.87
	65,818.85 व्याज युक्त बाजार ऋण	81,177.82
	2.28 व्याज रहित बाजार ऋण	2.28
	0.62 जीवन बीमा निगम से ऋण	0.25
	20,587.10 अन्य संस्थाओं इत्यादि से ऋण	29,132.29
	13,251.28 केन्द्र सरकार की राष्ट्रीय लघु बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियां	12,304.23
2,048.92	<b>केन्द्रीय सरकार से ऋण एवं अग्रिम</b>	1,985.86
	1984-85 से पूर्व के ऋण	
	45.28 योजनेत्तर ऋण	43.51
	1,997.30 स्टेट प्लान स्कीमों हेतु ऋण	1,942.35
	- केन्द्रीय प्लान स्कीमों हेतु ऋण	-
	6.34 केन्द्रीय प्रायोजित प्लान स्कीमों हेतु ऋण	-
200.00	<b>आकस्मिक निधि</b>	200.00
12,206.32	<b>लघु बचतें, भविष्य निधियां, इत्यादि</b>	13,321.20
6,415.60	<b>डिपोजिटस</b>	6,413.48
3,162.71	<b>आरक्षण निधियां</b>	4,707.44
-	<b>उचंत तथा विविध शेष</b>	-
124.20	<b>प्रेषण शेष</b>	181.86
<b>1,23,817.88</b>		<b>1,49,426.71</b>
31 मार्च 2016 को	परिसम्पत्तियां	31 मार्च 2017 को
59,024.03	<b>स्थायी परिसम्पत्तियों पर सकल पूंजीगत परिव्यय</b>	65,860.86
	9,372.44 कम्पनियों, निगमों इत्यादि के शेयरों में निवेश	11,371.42
	49,651.59 अन्य पूंजीगत परिव्यय	54,489.44
17,494.30	<b>ऋण एवं अग्रिम</b>	21,035.98
	13,230.51 बिजली परियोजनाओं हेतु ऋण	16,809.50
	3,414.28 अन्य विकास ऋण	4,174.68
	849.51 सरकारी कर्मचारियों को ऋण तथा विविध ऋण	51.80
0.72	<b>अग्रिम</b>	0.72
175.97	<b>उचन्त एवं विविध शेष</b>	59.15
-	<b>प्रेषण शेष</b>	-
6,217.73	<b>नकद</b>	5,658.26
	0.54 कोषालयों में नकद तथा स्थानीय प्रेषण	0.54
	-733.94 रिजर्व बैंक में डिपोजिटस	426.19
	2.68 विभागीय नकद शेष	2.92
	0.11 स्थायी अग्रिम	0.12
	4,173.12 नकद शेष निवेश	2,554.85
	2,775.22 आरक्षण निधि निवेश	2,673.64
40,905.13	<b>सरकारी लेखाओं पर घाटा</b>	56,811.74
	11,679.15 (i) चालू वर्ष का राजस्व आधिक्य/घाटा	15,906.61
	29,225.98 (ii) गत वर्ष तक संचित घाटा	40,905.13
<b>1,23,817.88</b>	<b>कुल</b>	<b>1,49,426.71</b>

परिशिष्ट 1.3 तथा 1.4 हेतु व्याख्यात्मक टिप्पणी: आगे विवरणियों में संक्षिप्त लेखे, वित्त लेखाओं में टिप्पणियों एवं व्याख्याओं के साथ पढ़े जाने हैं। सरकारी लेखे मुख्यतः नकद आधार पर होने के कारण, सरकारी लेखे पर घाटा, जैसा कि परिशिष्ट 1.5 में दर्शाया गया है, नकद आधार पर स्थिति सूचित करता है जो वाणिज्यिक लेखांकन में अर्जन आधार के विरुद्ध है। परिणामतः, देय अथवा प्राप्य मदें अथवा स्टाक आंकड़ों में हास अथवा भिन्नता जैसे मदें लेखे में लेखाबद्ध नहीं होती। उचन्त एवं विविध शेषों में, जारी किए गए परन्तु भुगतान नहीं किए गए बैंक, राज्य की ओर से किए गए भुगतान तथा अन्य लम्बित समायोजन इत्यादि सम्मिलित हैं। लेखाओं में दर्शाए गए तथा "भारतीय रिजर्व बैंक में निक्षेप" के अधीन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 31 मार्च 2017 को सूचित किए गए आंकड़ों में ₹ 7.77 करोड़ (निवल जमा) का अंतर था। अंतर मिलान अधीन था (अगस्त 2017)।

## परिशिष्ट 1.6

(संदर्भ: अनुच्छेद 1.1.1; पृष्ठ 2)

वर्ष 2016-17 के लिए चौदहवें वित्त आयोग (चौ.वि.आ.) तथा मध्यावधि राजकोषीय नीति विवरणी (म.अ.रा.नी.वि.) के अन्तर्गत निर्धारण/प्रक्षेपणों की विवरणी

(₹ करोड़ में)

विवरण	चौ.वि.आ. द्वारा निर्धारण	म.अ.रा.नी.वि. में प्रक्षेपण
स्वयं का कर राजस्व	47,024	40,199.51
स्वयं का कर-भिन्न राजस्व	4,308	8,308.45
स्वयं की राजस्व प्राप्तियां	51,332	48,507.96
योजनेतर राजस्व व्यय	-	48,482.76
योजनागत राजस्व व्यय	-	26,753.12
कुल राजस्व व्यय	50,334	75,235.88
वेतन		19,311.19
ब्याज भुगतान	8,934	10,490.04
पेंशन	5,445	5,640.00
सबसिडी-विद्युत	-	6,800.00
राजस्व सरप्लस (-)/घाटा (+)	(-) 8,252	(+) 12,280.35
राजकोषीय घाटा	स.रा.घ.उ. का 3.25 प्रतिशत	स.रा.घ.उ. का 4.27 प्रतिशत
बकाया ऋण	स.रा.घ.उ. का 19.91 प्रतिशत	स.रा.घ.उ. का 32.96 प्रतिशत (1,40,831.23)

परिशिष्ट 1.7

(संदर्भ: अनुच्छेद 1.8.3; पृष्ठ 26)

वर्ष, जिसके लिए लेखाओं को अंतिम रूप दिया गया था, में हानियों में चल रहे सांविधिक निगमों एवं सरकारी कंपनियों की वित्तीय स्थिति

क्र. सं.	सरकारी कम्पनियां	निवेश (2016-17 तक)	संचित हानि	लेखा वर्ष
		(₹ करोड़ में)		
1	हरियाणा पिछड़ा वर्ग तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग कल्याण निगम लिमिटेड	39.43	11.97	2012-13
2	हरियाणा राज्य लघु सिंचाई (नलकूप) निगम लिमिटेड, चण्डीगढ़	10.89	35.32	2014-15
3	हरियाणा विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड	2,859.86	247.19	2015-16
4	उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड	2,717.87	15,873.06	2015-16
5	दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड	2,065.37	13,190.61	2015-16
6	हरियाणा वित्तीय निगम	201.98	105.22	2015-16
7	हरियाणा मिनरल्स लिमिटेड	0.24	12.40	2014-15
8	यमुना कोल कंपनी प्राइवेट लिमिटेड	0.01	0.37	2015-16
9	हरियाणा कृषि उद्योग निगम लिमिटेड, चण्डीगढ़	2.54	122.76	2014-15
10	हरियाणा मॉस रेपिड ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन लिमिटेड, चण्डीगढ़	0.51	0.16	2015-16
11	हरियाणा कॉन्कास्ट लिमिटेड	-	27.18	1997-98
12	हरियाणा चिकित्सा सेवाएं लिमिटेड	5.00	1.50	2014-15
<b>कुल</b>		<b>7,903.70</b>	<b>29,627.74</b>	

## परिशिष्ट 1.8

(संदर्भ: अनुच्छेद 1.8.4; पृष्ठ 27)

विभागीय तौर पर प्रबन्धित वाणिज्यिक/अर्ध-वाणिज्यिक उपक्रमों की सारांशित वित्तीय विवरणी

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	उपक्रम का नाम	लेखाओं की अवधि	गत खाते के अनुसार नियोजित पूंजी	साधन सरकारी पूंजी	हास मूल्य पर बलाक परिसम्पत्तियां	वर्ष के दौरान किया गया हास प्रावधान	टर्नओवर	निवल लाभ/हानि	पूंजी पर ब्याज	कुल रिटर्न (9+10)	पूंजी पर रिटर्न प्रतिशतता
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	कृषि विभाग (बीज डिपो स्कीम)	1988-89	-	-	-	-	0.03	(-) 0.01	-	(-) 0.01	-
2	कृषि विभाग (कीटनाशियों का क्रय एवं वितरण)	1986-87	0.82	1.68	-	-	1.67	0.13	-	0.13	7.74
3	मुद्रण एवं लेखन (राष्ट्रीय पाठ्य पुस्तक स्कीम)	2007-08	17.97	21.59	0.09	0.01	7.24	1.74	1.43	3.17	14.68
4	खाद्य एवं आपूर्ति (अनाज आपूर्ति स्कीम)	2014-15	6,636.74	6,484.79	-	-	6,663.65	26.91	229.88	256.79	3.96
5	परिवहन विभाग हरियाणा रोडवेज़	2010-11	774.86	726.80	502.76	8.34	713.81	(-) 295.54	28.00	(-) 267.54	-
कुल			7,430.39	7,234.86	502.85	8.35	7,386.40	(-) 266.77	259.31	(-)7.46	

परिशिष्ट 1.9

(संदर्भ: अनुच्छेद 1.8.5; पृष्ठ 27)

कार्यान्वयनाधीन सार्वजनिक निजी साझेदारी मूलभूत संरचना परियोजनाओं के ब्यौरे

क्र. सं.	परियोजना का नाम	विभाग/ एजेंसी	अनुमानित लागत (₹ करोड़ में)	संरचना (बी.ओ.ओ.टी./ बी.ओ.टी.)	प्रदानगी की तारीख	पूर्णता की संभावित तारीख
1.	मुंडका से बहादुरगढ़ तक मेट्रो का विस्तार	एच.एम.आर. टी.एल.एल.	2,028.96 (हरियाणा का हिस्सा ₹ 787.96 करोड़)		फरवरी 2013	मार्च 2016, भूमि विवादों तथा एन.एच.ए.आई. के साथ विवादों के कारण विलंब
2.	झज्जर पॉवर ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट	एच.वी.पी. एन.एल.	382.00	डी.बी.एफ.ओ.टी.	-	12 मार्च 2012, प्रोजेक्ट पूर्ण हो चुका है।
3.	सिकंदरपुर स्टेशन से एन.एच.-8 गुडगांव तक मेट्रो लिंक	एच.एम.आर. टी.एल.एल.	1,088.00	बी.ओ.टी.	-	14 नवंबर 2013, प्रोजेक्ट पूर्ण हो चुका है।
4.	सिकंदरपुर से सैक्टर-56 गुडगांव तक मेट्रो लिंक	एच.एम.आर. टी.एल.एल.	2,143.00	डी.बी.एफ.ओ.टी.	-	31 मार्च 2017, प्रोजेक्ट पूर्ण हो चुका है।
5.	कुण्डली-मानेसर-पलवल (के.एम.पी.) एक्सप्रेस-वे का निर्माण	एच.एस.आई. आई.डी.सी.	1,863.00	बी.ओ.टी. (वार्षिकी)	अगस्त 2016	फरवरी 2019. मानेसर-पलवल सेक्शन पूर्ण किया जा चुका है और अप्रैल, 2016 में जनता के लिए खोल दिया गया है। कुण्डली-मानेसर सेक्शन मैसर्ज कुण्डली-मानेसर एक्सप्रेस-वे लिमिटेड (मैसर्ज एस्सेल इन्फ्रो प्रोजेक्टस लिमिटेड की 100 प्रतिशत सहायक) को बी.ओ.टी. (वार्षिकी) आधार पर प्रदान किया गया है। आइटम रेट मोड पर निष्पादित किया गया था और अप्रैल, 2016 में ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है।
6.	फरीदाबाद क्लस्टर के लिए इंटिग्रेटिड सॉलिट वेस्ट मैनेजमेंट (कलेक्शन, ट्रांसपोर्टेशन, प्रोसेसिंग एंड डिस्पोजल) का विकास	शहरी स्थानीय निकाय	330.00	डी.बी.एफ.ओ. एंड एम.	--	परियोजना 14 अगस्त 2017 को मैसर्ज इकोगीन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड को प्रदान गई है। सॉलिट वेस्ट का डोर-टू-डोर कलेक्शन 4 माह के भीतर तथा संपूर्ण परियोजना क्षेत्र का अगले 6 माह के भीतर आरंभ हो जाएगा। अनुबंध के हस्ताक्षर की तिथि से 24 माह के भीतर पॉवर प्लांट का निर्माण होगा।

क्र. सं.	परियोजना का नाम	विभाग/ एजेंसी	अनुमानित लागत (₹ करोड़ में)	संरचना (बी.ओ.ओ.टी./ बी.ओ.टी.)	प्रदानगी की तारीख	पूर्णता की संभावित तारीख
7.	रेडियोलॉजिकल सर्विसिज	स्वास्थ्य	शून्य	डी.एफ.ओ. एंड एम.	जिला अस्पतालों के लिए जुलाई 2014	10 जिला अस्पतालों में सेवाएं शुरू की जा चुकी हैं और 3 जिला अस्पतालों में प्रगति पर हैं।
8.	हीमोडायलिसिस सर्विसिज	स्वास्थ्य	शून्य	डी.एफ.ओ. एंड एम.	14 जिला अस्पतालों के लिए दिसंबर 2015	6 जिला अस्पतालों में सेवाएं शुरू की जा चुकी हैं और 8 जिला अस्पतालों में प्रगति पर हैं।
9.	कैथ लैब सर्विसिज	स्वास्थ्य	शून्य	डी.एफ.ओ. एंड एम.	4 जिला अस्पतालों के लिए मार्च 2016	परियोजना प्रगति पर है और नवंबर 2017 से शुरू होने की संभावना है।
10.	हरियाणा राज्य में फिरोजपुर झिरका बीवन रोड (0.00 से 14.28 के.एम.) के पेवड सोल्डर सहित 2 लेनिंग का विकास	पी.डब्ल्यू.डी. (बी. एंड आर.)	94.00	डी.बी.एफ.ओ.टी. (टोल) 23.06.2016	--	परियोजना 12 वर्षों की रियायत अवधि के लिए 23 जून 2016 को मैसर्ज गावर कंस्ट्रक्शन लिमिटेड गुड़गांव को दी गई है। 25 अगस्त 2017 को लगभग 92 प्रतिशत प्रगति प्राप्त कर ली गई है।
11.	1396 सरकारी आई.टी.आईज का उन्नयन	औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग हरियाणा	130.00	--	2007 से 2012	नए अनुमोदित आई.डी.पी. (इंस्टीट्यूट डिवेलपमेंट प्लान 2018-19) के अनुसार 2018-19
12.	मनोरंजन पार्क गुड़गांव का निर्माण	एच.एस.आई. आई.डी.सी.	230.00	संयुक्त उद्यम	02 जून 2000	परियोजना का 70 प्रतिशत पूर्ण किया गया। होटल ब्लॉक का 50 प्रतिशत सितंबर 2011 में परिचालनात्मक बनाया गया।
<b>कुल</b>			<b>8,288.96</b>			

परिशिष्ट 2.1

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.3.1; पृष्ठ 40)

2016-17 के दौरान प्रावधान के बिना किए गए व्यय का ब्यौरा

क्र. स.	अनुदान की संख्या तथा मुख्य शीर्ष	प्रावधान के बिना व्यय की राशि (₹ करोड़ में)	व्यय का लघु/उप-शीर्ष	
1	06- वित्त, 2075- विविध सामान्य सेवाएं	0.31	800-अन्य व्यय, 93-आकस्मिक व्यय हेतु वित्त विभाग के पास रिजर्व	
2	14- शहरी विकास, 4217- शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय	0.92	60-अन्य शहरी विकास स्कीमें, 51-निर्माण, 92-सिंचाई हेतु प्रोत्साहन पैकेज	
3	24-सिंचाई 2700-मुख्य सिंचाई	0.30	01-बहुदेशीय नदी परियोजना (वाणिज्यिक), 001-निदेशन एवं प्रशासन, 93-मुख्य अभियंता	
4		2.72	02-पश्चिमी जमुना कैनल परियोजना (वाणिज्यिक), 001-निदेशन एवं प्रशासन, 93-मुख्य अभियंता	
5		0.22	03-गुड़गांव कैनल परियोजना, 001-निदेशन एवं प्रशासन, 91-कार्यकारी अभियंता	
6		0.18	04-लोहारू कैनल परियोजना, 001-निदेशन एवं प्रशासन, 91-कार्यकारी अभियंता	
7		0.18	05-जवाहरलाल नेहरू परियोजना, 001-निदेशन एवं प्रशासन, 89-विशेष राजस्व	
8		1.49	05-जवाहरलाल नेहरू परियोजना, 001-निदेशन एवं प्रशासन, 91-कार्यकारी अभियंता	
9		0.12	05-जवाहरलाल नेहरू परियोजना, 001-निदेशन एवं प्रशासन, 93-मुख्य अभियंता	
10		1.16	18- गैर-वाणिज्यिक सिंचाई परियोजनाएं, 001-निदेशन एवं प्रशासन, 89- विशेष राजस्व	
11		5.07	80-सामान्य, 001-निदेशन एवं प्रशासन, 89-विशेष राजस्व	
12		68.23	80-सामान्य, 001-निदेशन एवं प्रशासन, 91-कार्यकारी अभियंता	
13		5.09	80-सामान्य, 001-निदेशन एवं प्रशासन, 92-अधीक्षण अभियंता	
14		0.14	80-सामान्य, 001-निदेशन एवं प्रशासन, 94-पेंशनरी प्रभार	
15		4700-मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	0.18	13-नहर प्रणालियों का आधुनिकीकरण एवं लाईनिंग, 001-निदेशन एवं प्रशासन, 88- पेंशनरी प्रभार
16			16.56	13-नहर प्रणालियों का आधुनिकीकरण एवं लाईनिंग, 001-निदेशन एवं प्रशासन, 89-विशेष राजस्व
17	86.63		13-नहर प्रणालियों का आधुनिकीकरण एवं लाईनिंग, 001-निदेशन एवं प्रशासन, 91-कार्यकारी अभियंता	
18	4.44		13-नहर प्रणालियों का आधुनिकीकरण एवं लाईनिंग, 001-निदेशन एवं प्रशासन, 92-अधीक्षण अभियंता	
19	5.90		13-नहर प्रणालियों का आधुनिकीकरण एवं लाईनिंग, 001-निदेशन एवं प्रशासन, 93-मुख्य अभियंता	
20	0.53		14-दादूपुर नलवी सिंचाई परियोजना, 001-निदेशन एवं प्रशासन, 89-विशेष राजस्व	
21	2.76		14-दादूपुर नलवी सिंचाई परियोजना, 001-निदेशन एवं प्रशासन, 91-कार्यकारी अभियंता	
22	0.14		14-दादूपुर नलवी सिंचाई परियोजना, 001-निदेशन एवं प्रशासन, 92-अधीक्षण अभियंता	
23	0.19		14-दादूपुर नलवी सिंचाई परियोजना, 001-निदेशन एवं प्रशासन, 93-मुख्य अभियंता	
24	2.97		15-चैनलों की लाईनिंग, 001-निदेशन एवं प्रशासन, 91-कार्यकारी अभियंता	
25	0.57		15-चैनलों की लाईनिंग, 001-निदेशन एवं प्रशासन, 89- विशेष राजस्व	
26	0.15		15-चैनलों की लाईनिंग, 001-निदेशन एवं प्रशासन, 92-अधीक्षण अभियंता	
27	0.20		15-चैनलों की लाईनिंग, 001-निदेशन एवं प्रशासन, 93-मुख्य अभियंता	

क्र. स.	अनुदान की संख्या तथा मुख्य शीर्ष	प्रावधान के बिना व्यय की राशि (₹ करोड़ में)	व्यय का लघु/उप-शीर्ष
28	4700-मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	4.97	16-विद्यमान चैनलों/ड्रेनेज सिस्टम का पुनरुद्धार, 001-निर्देशन एवं प्रशासन, 89-विशेष राजस्व
29		25.98	16-विद्यमान चैनलों/ड्रेनेज सिस्टम का पुनरुद्धार, 001-निर्देशन एवं प्रशासन, 91-कार्यकारी अभियंता
30		1.33	16-विद्यमान चैनलों/ड्रेनेज सिस्टम का पुनरुद्धार, 001-निर्देशन एवं प्रशासन, 92-अधीक्षण अभियंता
31		1.77	16-विद्यमान चैनलों/ड्रेनेज सिस्टम का पुनरुद्धार, 001-निर्देशन एवं प्रशासन, 93-मुख्य अभियंता
32	4701- मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	2.19	06-जल के समान वितरण हेतु नई माईनर, 001-निर्देशन एवं प्रशासन, 89-विशेष राजस्व
33		15.27	06- जल के समान वितरण हेतु नई माईनर, 001-निर्देशन एवं प्रशासन, 91-कार्यकारी अभियंता
34		1.28	06-जल के समान वितरण हेतु नई माईनर, 001-निर्देशन एवं प्रशासन, 93-मुख्य अभियंता
35		0.92	06- जल के समान वितरण हेतु नई माईनर, 001-निर्देशन एवं प्रशासन, 92-अधीक्षण अभियंता
36		0.13	07-नाबार्ड के अंतर्गत पुराने/विद्यमान चैनलों का सुधार, 001-निर्देशन एवं प्रशासन, 88-पेंशनरी प्रभार
37		10.25	07-नाबार्ड के अंतर्गत पुराने/विद्यमान चैनलों का सुधार, 001-निर्देशन एवं प्रशासन, 89-विशेष राजस्व
38		70.21	07-नाबार्ड के अंतर्गत पुराने/विद्यमान चैनलों का सुधार, 001-निर्देशन एवं प्रशासन, 91-कार्यकारी अभियंता
39		4.30	07-नाबार्ड के अंतर्गत पुराने/विद्यमान चैनलों का सुधार, 001-निर्देशन एवं प्रशासन, 92-अधीक्षण अभियंता
40		5.99	07-नाबार्ड के अंतर्गत पुराने/विद्यमान चैनलों का सुधार, 001-निर्देशन एवं प्रशासन, 93-मुख्य अभियंता
41		0.13	23-राज्य में जल निकायों का विकास, 001-निर्देशन एवं प्रशासन, 89-विशेष राजस्व
42		0.89	23-राज्य में जल निकायों का विकास, 001-निर्देशन एवं प्रशासन, 91-कार्यकारी अभियंता
43		1.46	80-सामान्य, 001-निर्देशन एवं प्रशासन, 89-विशेष राजस्व
44		10.01	80-सामान्य, 001-निर्देशन एवं प्रशासन, 91-कार्यकारी अभियंता
45		0.61	80-सामान्य, 001-निर्देशन एवं प्रशासन, 92-अधीक्षण अभियंता
46		0.85	80-सामान्य, 001-निर्देशन एवं प्रशासन, 93-मुख्य अभियंता
47		4711-बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	0.15
48	9.31		01-बाढ़ नियंत्रण, 001-निर्देशन एवं प्रशासन, 89-विशेष राजस्व
49	72.35		01-बाढ़ नियंत्रण, 001-निर्देशन एवं प्रशासन, 91-कार्यकारी अभियंता
50	3.47		01-बाढ़ नियंत्रण, 001-निर्देशन एवं प्रशासन, 92-अधीक्षण अभियंता
51	5.04		01-बाढ़ नियंत्रण, 001-निर्देशन एवं प्रशासन, 93-मुख्य अभियंता
52	36 गृह, 2055-पुलिस	0.32	109-जिला पुलिस, 97-विशेष महिला पुलिस वालंटियर
53	40- एनर्जी एवं पावर, 2801- पावर	342.00	05-ट्रांसमिशन एवं डिस्ट्रीब्यूशन, 800-अन्य व्यय, 95-उदय स्कीम के अंतर्गत हरियाणा डिस्कोमज को अनुदान/सहायता, 97-एच.वी.पी.एन.एल. को सहायतानुदान
54	45- राज्य सरकार द्वारा ऋण एवं अग्रिम, 6801- पावर परियोजनाओं हेतु ऋण	513.00	205-ट्रांसमिशन एवं डिस्ट्रीब्यूशन, 92-उदय स्कीम के अंतर्गत हरियाणा डिस्कोमज को ऋण, 97-एच.वी.पी.एन.एल. को ऋण
<b>कुल</b>		<b>1,311.53</b>	

परिशिष्ट 2.2

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.3.3; पृष्ठ 41)

विभिन्न अनुदानों/विनियोजनों, जहां प्रत्येक प्रकरण में बचतें ₹ 100 करोड़ से अधिक थी, की विवरणी

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	अनुदान की संख्या तथा नाम	मूल	पूरक	कुल	वास्तविक	बचत/आधिक्य	अभ्यर्पण
<b>राजस्व (दत्तमत)</b>							
1	4-राजस्व	1,069.65	675.21	1,744.86	1,526.06	(-) 218.80	209.82
2	6-वित्त	5,713.96	358.32	6,072.28	5,724.64	(-) 347.64	350.77
3	7-आयोजना एवं सांख्यिकी	455.62	0.00	455.62	172.45	(-) 283.17	277.81
4	8-भवन एवं सड़कें	1,344.47	0.00	1,344.47	1,190.33	(-) 154.14	203.64
5	9-शिक्षा	12,865.22	912.00	13,777.22	10,340.86	(-) 3,436.36	3,437.69
6	11-खेल एवं युवा कल्याण	313.13	107.65	420.78	314.94	(-) 105.84	104.88
7	13-स्वास्थ्य	3,338.69	56.78	3,395.47	2,800.09	(-) 595.38	408.73
8	15-स्थानीय शासन	3,549.11	0.00	3,549.11	2,669.34	(-) 879.77	877.09
9	19-एस.सी., एस.टी., ओ.बी.सी. और अल्पसंख्यकों का कल्याण	662.52	115.96	778.48	564.69	(-) 213.79	214.88
10	21-महिला एवं बाल विकास	1,096.79	20.00	1,116.79	747.91	(-) 368.88	367.22
11	23-खाद्य एवं आपूर्ति	368.19	453.80	821.99	706.38	(-) 115.61	115.09
12	24-सिंचाई	1,867.32	0.00	1,867.32	1,355.20	(-) 512.12	283.50
13	25-उद्योग	706.73	0.00	706.73	270.44	(-) 436.29	436.26
14	27-कृषि	1,937.05	0.00	1,937.05	1,110.14	(-) 826.91	880.26
15	28-पशुपालन एवं डेरी विकास	716.29	0.00	716.29	605.46	(-) 110.83	109.92
16	32-ग्रामीण एवं सामुदायिक विकास	3,070.22	600.06	3,670.28	3,303.38	(-) 366.90	365.67
17	34-परिवहन	2,176.42	1.91	2,178.33	1,894.39	(-) 283.94	278.95
18	36-गृह	3,565.71	54.12	3,619.83	3,236.75	(-) 383.08	91.52
19	38-जन-स्वास्थ्य और जलापूर्ति	1,890.77	0.00	1,890.77	1,734.20	(-) 156.57	174.56
20	40-एनर्जी एवं पावर	10,741.66	0.00	10,741.66	10,534.65	(-) 207.01	206.86
	<b>कुल</b>	<b>57,449.52</b>	<b>3,355.81</b>	<b>60,805.33</b>	<b>50,802.30</b>	<b>(-) 10,003.03</b>	<b>9,395.12</b>
<b>पूंजीगत (दत्तमत)</b>							
21	8-भवन एवं सड़कें	3,609.09	112.66	3,721.75	1,996.38	(-) 1,725.37	1,776.55
22	13-स्वास्थ्य	510.00	0.00	510.00	183.80	(-) 326.20	326.20
23	23-खाद्य एवं आपूर्ति	9,843.87	0.00	9,843.87	7,956.32	(-) 1,887.55	2,075.03
24	34-परिवहन	260.75	0.00	260.75	111.17	(-) 149.58	149.40
25	38-जन-स्वास्थ्य और जलापूर्ति	1,217.60	34.60	1,252.20	941.70	(-) 310.50	339.62
26	45-ऋण एवं अग्रिम	4,729.39	61.96	4,791.35	4,514.91	(-) 276.44	2,386.18
	<b>कुल</b>	<b>20,170.70</b>	<b>209.22</b>	<b>20,379.92</b>	<b>15,704.28</b>	<b>(-) 4,675.64</b>	<b>7,052.98</b>
<b>पूंजीगत (भारित)</b>							
27	लोक ऋण भारत	9,677.50	0.00	9,677.50	5,275.84	(-) 4,401.66	4,397.91
	<b>कुल</b>	<b>9,677.50</b>	<b>0.00</b>	<b>9,677.50</b>	<b>5,275.84</b>	<b>(-) 4,401.66</b>	<b>4,397.91</b>
	<b>सकल योग</b>	<b>87,297.72</b>	<b>3,565.03</b>	<b>90,862.75</b>	<b>71,782.42</b>	<b>(-) 19,080.33</b>	<b>20,846.01</b>

## परिशिष्ट 2.3

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.3.5; पृष्ठ 43)

उन मामलों के विवरण जहां अनुपूरक प्रावधान (प्रत्येक मामले में ₹ 50 लाख या अधिक) अनावश्यक सिद्ध हुए

(₹ करोड़ में)

क्र.स.	अनुदान का नाम	मूल	अनुपूरक	वास्तविक	प्रावधानों में से बचतें
<b>राजस्व (दत्तमत)</b>					
1	1-विधान सभा	69.72	1.96	66.12	5.56
2	3-सामान्य प्रशासन	244.23	12.93	235.37	21.79
3	5-आबकारी एवं कराधान	204.84	12.50	182.22	35.12
4	9-शिक्षा	12,865.22	912.00	10,340.86	3,436.36
5	10-तकनीकी शिक्षा	421.42	50.00	373.23	98.19
6	13-स्वास्थ्य	3,338.69	56.79	2,800.09	595.39
7	18-औद्योगिक प्रशिक्षण	278.37	4.30	230.00	52.67
8	19-एस.सी., एस.टी., ओ.बी.सी. और अल्पसंख्यकों का कल्याण	662.52	115.96	564.69	213.79
9	20-सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	4,199.94	33.47	4,189.01	44.40
10	21-महिला एवं बाल विकास	1,096.79	20.00	747.91	368.88
11	29-मछली पालन	47.77	4.88	44.85	7.80
12	34-परिवहन	2,176.42	1.91	1,894.39	283.94
13	36-गृह	3,565.71	54.12	3,236.75	383.08
14	37-चुनाव	50.75	4.85	44.36	11.24
15	41-इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आई.टी.	86.04	2.65	58.02	30.67
16	42-न्याय प्रशासन	495.38	16.79	458.99	53.18
17	43-जेल	218.87	7.35	199.77	26.45
	<b>कुल</b>	<b>30,022.68</b>	<b>1,312.46</b>	<b>25,666.63</b>	<b>5,668.51</b>
<b>राजस्व (भारित)</b>					
18	3-सामान्य प्रशासन	10.62	1.51	10.27	1.86
19	42-न्याय प्रशासन	114.09	2.43	106.62	9.90
	<b>कुल</b>	<b>124.71</b>	<b>3.94</b>	<b>116.89</b>	<b>11.76</b>
<b>पूंजीगत (दत्तमत)</b>					
20	8-भवन एवं सड़कें	3,609.09	112.66	1,996.38	1,725.37
21	20-सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	0.92	6.00	0.92	6.00
22	35-पर्यटन	66.81	5.27	36.45	35.63
23	38-जन-स्वास्थ्य और जलापूर्ति	1,217.60	34.60	941.70	310.50
24	45-ऋण एवं अग्रिम	4,729.39	61.96	4,514.91	276.44
	<b>कुल</b>	<b>9,623.81</b>	<b>220.49</b>	<b>7,490.36</b>	<b>2,353.94</b>
	<b>सकल योग</b>	<b>39,771.20</b>	<b>1,536.89</b>	<b>33,273.88</b>	<b>8,034.21</b>

परिशिष्ट 2.4

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.3.6; पृष्ठ 43)

प्रत्येक मामले में एक करोड़ से अधिक की निधियों के अधिक/अनावश्यक/अपर्याप्त पुनर्विनियोजन के विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान संख्या	विवरण	लेखा शीर्ष	प्रावधान ओ: मूल एस: पूरक आर: पुनर्विनियोजन	वास्तविक व्यय	फाईनल आधिक्य (+) बचत (-)
1	1	विधान सभा	2011- संसद/स्टेट/यू.टी. विधायिका 02-स्टेट/यू.टी. विधायिका 103-विधानसभा सचिवालय 98- स्थापना व्यय	(ओ) 39.12 (एस) 1.96 (आर) 7.97 49.05	46.93	(-) 2.12
2	2	राज्यपाल तथा मंत्री परिषद	2013- मंत्री परिषद 105- मंत्रियों द्वारा विवेकाधीन अनुदान	(ओ) 95.98 (एस) 8.06 (आर) (-)5.02 99.02	97.76	(-) 1.26
3	3	सामान्य प्रशासन	2051- लोक सेवा आयोग 103- कर्मचारी चयन आयोग 99- स्थापना	(ओ) 31.02 (एस) 7.26 (आर) 0.21 38.49	35.84	(-) 2.65
4			2052- सचिवालय सामान्य सेवाएं 090- सचिवालय 99- मुख्य सचिव 98- स्थापना व्यय	(ओ) 75.60 (एस) 2.31 (आर) (-)2.91 75.00	72.21	(-)2.79
5	4	राजस्व	2052- सचिवालय सामान्य सेवाएं 099- राजस्व बोर्ड 99- राजस्व विभाग 98 -स्थापना व्यय	(ओ) 30.25 (आर) 1.98 32.23	29.36	(-) 2.87
6			2235-सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण 01- पुनर्वास 200- अन्य राहत उपाय 99- ग्रामीण क्षेत्रों में मैनमेड/प्राकृतिक आपदा के कारण क्षतिग्रस्त संपत्ति हेतु वित्तीय सहायता/ग्रेच्युटी/राहत/मुआवजा	(ओ) - (एस) 11.44 (आर) 0.56 12.00	--	(-)12.00
7			2245- प्राकृतिक आपदाओं के लिए राहत 01- सूखा 101- आनुग्रहिक राहत 98- बीज, खाद तथा कृषीय उपकरणों की आपूर्ति	(ओ) 14.00 (आर) (-) 3.26 10.74	--	(-) 10.74
8			2245- प्राकृतिक आपदाओं के लिए राहत 01- सूखा 102- पेयजल आपूर्ति 51- एन.ए.	(ओ) 15.00 (आर) (-) 1.80 13.20	7.11	(-) 6.09
9			2245- प्राकृतिक आपदाओं के लिए राहत 05- राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि 101- राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि 98- राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि (एस.डी.आर.एफ.) के अंतर्गत क्षमता निर्माण हेतु सहायतानुदान	(ओ) - (आर) 5.36 5.36	2.98	(-) 2.38

क्र. सं.	अनुदान संख्या	विवरण	लेखा शीर्ष	प्रावधान ओ: मूल एस: पूरक आर: पुनर्विनियोजन	वास्तविक व्यय	फाईनल आधिक्य (+) बचत (-)
10			2245- प्राकृतिक आपदाओं के लिए राहत 05- राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि 101- राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि 99- राज्य अंशदान	(ओ) 323.00 (एस) 347.50 (आर) (-)27.25 643.25	995.21	351.96
11			2245- प्राकृतिक आपदाओं के लिए राहत 80-सामान्य 800- अन्य व्यय 96- पेस्ट अटैक, भू-संखलन, बादल फटने इत्यादि हेतु नकद अनुदान	(ओ) 9.05 (एस) 282.10 (आर) 28.42 319.57	25.13	(-) 294.44
12			2245- प्राकृतिक आपदाओं के लिए राहत 80-सामान्य 800- अन्य व्यय 99- ओलावृष्टि/शीत लहर/पाला राहत	(ओ) 60.50 (एस) 20.00 (आर) (-) 26.83 53.67	25.04	(-) 28.63
13			2071- पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्ति लाभ 01- सिविल 101- अधिवर्षिता एवं सेवानिवृत्ति भत्ते 51- एन.ए.	(ओ) 3,467.16 (एस) 357.90 (आर) (-) 92.54 3,732.52	3,735.82	3.30
14	7	योजना एवं सांख्यिकी	3451- सचिवालय आर्थिक सेवाएं 101- नीति आयोग 98- फील्ड स्टॉफ	(ओ) 11.33 (आर) 2.25 13.58	9.58	(-) 4.00
15	8	भवन एवं सड़कें	2059-लोक निर्माण 80-सामान्य 053- रखरखाव एवं मरम्मत 99- रखरखाव एवं मरम्मत	(ओ) 70.00 (आर) 16.28 86.28	87.79	1.51
16			3054- सड़कें एवं पुल 03- राज्य राजमार्ग 337-सड़क कार्य 51- एन.ए.	(ओ) 50.15 (आर) (-) 4.01 46.14	47.29	1.15
17			3054- सड़कें एवं पुल 04- जिला एवं अन्य सड़कें 337- सड़क कार्य 98- ग्रामीण सड़कें	(ओ) 528.15 (आर) (-) 62.77 465.38	470.22	4.84
18			3054- सड़कें एवं पुल 04- जिला एवं अन्य सड़कें 337- सड़क कार्य 99- जिला सड़कें	(ओ) 40.11 (आर) (-) 7.64 32.47	39.81	7.34
19			3054- सड़कें एवं पुल 80-सामान्य 797- रिजर्व फंड/डिपोजिट अकाउंट को/से हस्तांतरण 99- सी.आर.एफ. से हस्तांतरण-अन्तः लेखा हस्तांतरण	(ओ) 100.00 (आर) (-) 4.18 95.82	167.34	71.52
20			4059- लोक निर्माण पर पूंजीगत परिव्यय 01-कार्यालय भवन 051-निर्माण 99- जिला प्रशासन	(ओ) 140.00 (आर) (-) 102.28 37.72	38.88	1.16

क्र. सं.	अनुदान संख्या	विवरण	लेखा शीर्ष	प्रावधान ओ: मूल एस: पूरक आर: पुनर्विनियोजन	वास्तविक व्यय	फाईनल आधिक्य (+) बचत (-)
21			4059- लोक निर्माण पर पूंजीगत परिव्यय 60-अन्य भवन 051-निर्माण 64- एम.एल.ए. फ्लैटस का निर्माण	(ओ) 17.00 (आर) (-) 10.60 6.40	7.70	1.30
22			4059- लोक निर्माण पर पूंजीगत परिव्यय 60-अन्य भवन 051-निर्माण 98- न्याय प्रशासन	(ओ) 51.70 (आर) (-)13.45 38.25	39.71	1.46
23			4202- शिक्षा, खेलकूद, कला एवं संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय 203- विश्वविद्यालय एवं उच्चतर शिक्षा 99- कालेज भवन	(ओ) 112.50 (आर) (-) 15.57 96.93	98.10	1.17
24			4210- चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय 03- चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण एवं अनुसंधान 101 आयुर्वेद 92- सरकारी आयुर्वेदिक/यूनानी/होम्योपैथिक डिस्पेंसरियों का निर्माण/मरम्मत	(ओ) 0.40 (आर) (-) 0.40	1.71	1.71
25			4235- सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय 02- सामाजिक कल्याण 101- दिव्यांगों का कल्याण 98- जी.आई.बी. पानीपत (लड़के/लड़कियां)	(ओ) 9.00 (आर) (-) 7.11 1.89	3.12	1.23
26			4250-अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय 789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक प्लान 98-अनुसूचित जाति विंगों के लिए प्रशिक्षण भवन	(ओ) 17.50 (आर) 9.85 27.35	24.44	(-) 2.91
27			4250- अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय 800-अन्य व्यय 94-औद्योगिक प्रशिक्षणों के विकास की मूलभूत संरचना का सृजन	(ओ) 42.00 (आर) (-) 7.38 34.62	39.82	5.20
28			5054-सड़कों एवं भवनों पर पूंजीगत परिव्यय 03 - राज्य राजमार्ग 101- पुल 81- हरियाणा राज्य में पुल का निर्माण 99- राज्य स्कीम के अंतर्गत पुल और रेलवे ओवर ब्रिज का निर्माण	(ओ) 15.00 (आर) (-) 5.71 9.29	16.40	7.11
29			5054- सड़कों एवं भवनों पर पूंजीगत परिव्यय 337-सड़क कार्य 88- हरियाणा राज्य में सड़कों का निर्माण 99- राज्य स्कीम के लिए सड़कों का निर्माण, सड़कीकरण/चौड़ीकरण एवं संधार	(ओ) 140.00 (आर) (-) 60.15 79.85	91.25	11.40

क्र. सं.	अनुदान संख्या	विवरण	लेखा शीर्ष	प्रावधान ओ: मूल एस: पूरक आर: पुनर्विनियोजन	वास्तविक व्यय	फाईनल आधिक्य (+) बचत (-)
30			5054- सड़कों एवं भवनों पर पूंजीगत परिव्यय 04-जिला एवं अन्य सड़कें 101- पुल 84 हरियाणा राज्य में पुल और रेलवे ओवर ब्रिज का निर्माण 99- राज्य स्कीम के अंतर्गत पुल और रेलवे ओवर ब्रिज का निर्माण	(ओ) 100.00 (आर) (-) 43.08 56.92	69.74	12.82
31			5054- सड़कों एवं भवनों पर पूंजीगत परिव्यय 04-जिला एवं अन्य सड़कें 789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक प्लान 99- अनुसूचित जाति जनसंख्या क्षेत्र में सड़कों का निर्माण/चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण तथा विशेष मरम्मत 98- नाबार्ड अंशदान	(ओ) 124.00 (आर) (-) 48.25 75.75	81.45	5.70
32			5054- सड़कों एवं भवनों पर पूंजीगत परिव्यय 80- सामान्य 800- अन्य व्यय 99- अनुसंधान (सी.एच.)	(ओ) 25.00 (आर) 8.00 33.00	34.98	1.98
33	9	शिक्षा	2202-सामान्य शिक्षा 101-सरकारी प्राथमिक स्कूल 98-मिडल शिक्षा कक्षाएं VI से VIII 98-स्थापना व्यय	(ओ) 2,638.43 (आर) (-) 451.32 2,187.11	2,188.44	1.33
34	10	तकनीकी शिक्षा	2203- तकनीकी शिक्षा 102- तकनीकी शिक्षा हेतु विश्वविद्यालयों को सहायता 95- ग्राम दुधोला जिला पलवल में विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी	(ओ) - (एस) 5.00 (आर) 1.50 6.50	1.50	(-).50
35			2203- तकनीकी शिक्षा 102- तकनीकी शिक्षा हेतु विश्वविद्यालयों को सहायता 96- स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ परफार्मिंग एवं विजुअल आर्ट्स रोहतक	(ओ) 10.00 (एस) 10.00 (आर) 10.00 30.00	20.00	(-).10.00
36			2203- तकनीकी शिक्षा 102- तकनीकी शिक्षा हेतु विश्वविद्यालयों को सहायता 99- गुरु जम्बेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय हिसार	(ओ) 10.00 (एस) 35.00 (आर) 35.00 80.00	45.00	(-).35.00
37	14	स्थानीय शासन	2217-शहरी विकास 80- सामान्य 001- निदेशन एवं प्रशासन 97- स्थानीय निकाय (चुनाव)	(ओ) 0.96 (आर) 0.90 1.86	0.77	(-) 1.09
38	15	स्थानीय शासन	2217-शहरी विकास 80-सामान्य 192-नगर पालिकाओं/परिषदों को सहायता 92-नगर पालिकाओं/परिषदों को स्टॉम्प शुल्क की आय से स्थानीय निकायों को अंशदान	(ओ) 286.00 (आर) (-) 196.58 89.42	87.91	(-) 1.51

क्र. सं.	अनुदान संख्या	विवरण	लेखा शीर्ष	प्रावधान ओ: मूल एस: पूरक आर: पुनर्विनियोजन	वास्तविक व्यय	फाईनल आधिक्य (+) बचत (-)
39	17	रोजगार	2230- श्रम रोजगार एवं स्किल विकास 02-रोजगार सेवाएं 101- रोजगार सेवाएं 92- रोजगार कार्यालय हेतु स्टॉफ तथा शिक्षित युवाओं को बेरोजगार भत्ता	(ओ) 63.88 (आर) (-)12.98 50.90	49.81	(-)1.09
40	18	औद्योगिक प्रशिक्षण	2230- श्रम रोजगार एवं स्किल विकास 003- क्राफ्टसमेन एवं सुपरवाईजरो का प्रशिक्षण 99- औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान	(ओ) 104.08 (आर) (-) 13.49 90.59	88.96	(-)1.63
41	20	सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	2235- सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण 02- सामाजिक कल्याण 001- निदेशन एवं प्रशासन 99- मुख्यालय हेतु स्टॉफ (एस.जे.ई) 98- स्थापना व्यय	(ओ) 6.74 (आर) 1.25 7.99	5.73	(-) 2.26
42			2235- सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण 60- अन्य सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण 102-सामाजिक सुरक्षा स्कीम के अंतर्गत पेंशन 99- जिला स्तर पर वृद्धों, शारीरिक रूप से अक्षमों तथा परित्यक्त महिलाओं एवं विधवा स्टॉफ को पेंशन 98- स्थापना व्यय	(ओ) 18.56 (आर) (-) 1.22 17.34	15.90	(-) 1.44
43	21	महिला एवं बाल विकास	2236- पोषण 02- पोषक खाद्य एवं बेव्रेजिज का संवितरण 101- विशेष पोषण कार्यक्रम 95- पूरक पोषण कार्यक्रम	(ओ) 252.00 (आर) (-) 145.98 106.02	104.97	(-) 1.05
44	23	खाद्य आपूर्ति	4408-स्टोरेज एवं वेयरहाउसिंग पर पूंजीगत परिव्यय 01-खाद्य 101-खरीद एवं आपूर्ति 98-प्रभार्य स्थापना लागत	(ओ) 157.36 (आर) (-) 18.86 138.50	326.61	188.11
45	24	सिंचाई	2700-मुख्य सिंचाई 01-बहुद्देशीय नदी परियोजना (वाणिज्यिक) 001-निदेशन एवं प्रशासन 89-विशेष राजस्व	(ओ) 23.71 (आर) (-)3.70 20.01	1.17	(-)18.84
46			2700-मुख्य सिंचाई 01-बहुद्देशीय नदी परियोजना (वाणिज्यिक) 001-निदेशन एवं प्रशासन 91- कार्यकारी अभियंता	(ओ) 92.42 (आर) (-)15.01 77.41	5.13	(-)72.28
47			2700-मुख्य सिंचाई 01-बहुद्देशीय नदी परियोजना (वाणिज्यिक) 001-निदेशन एवं प्रशासन 92-अधीक्षण अभियंता	(ओ) 3.15 (आर) (-)0.91 2.24	0.22	(-) 2.02
48			2700-मुख्य सिंचाई 02-पश्चिमी जमुना कैनाल परियोजना (वाणिज्यिक) 001-निदेशन एवं प्रशासन 89-विशेष राजस्व	(ओ) 47.75 (आर) (-)10.13 37.62	4.17	(-)33.45

क्र. सं.	अनुदान संख्या	विवरण	लेखा शीर्ष	प्रावधान ओ: मूल एस: पूरक आर: पुनर्विनियोजन	वास्तविक व्यय	फाईनल आधिक्य (+) बचत (-)
49			2700-मुख्य सिंचाई 02-पश्चिमी जमुना कैनाल परियोजना (वाणिज्यिक) 001-निदेशन एवं प्रशासन 91-कार्यकारी अभियंता	(ओ) 351.50 (आर) (-) 62.19 289.31	35.14	(-)254.17
50			2700-मुख्य सिंचाई 02-पश्चिमी जमुना कैनाल परियोजना (वाणिज्यिक) 001-निदेशन एवं प्रशासन 92-अधीक्षण अभियंता	(ओ) 23.07 (आर) (-) 5.14 17.93	1.74	(-)16.19
51			2700-मुख्य सिंचाई 02-पश्चिमी जमुना कैनाल परियोजना (वाणिज्यिक) 800-अन्य व्यय 98-ऊर्जा प्रभार	(ओ) 36.00 (आर) (-) 1.34 34.66	117.28	82.62
52			2700-मुख्य सिंचाई 04-लोहारू कैनाल परियोजना 800-अन्य व्यय 98-ऊर्जा प्रभार	(ओ) 29.00 (आर) (-)5.41 23.59	18.81	(-)4.78
53			2700-मुख्य सिंचाई 05-जवाहर लाल नेहरू परियोजना 800-अन्य व्यय 98-ऊर्जा प्रभार	(ओ) 180.00 (आर) (-)45.41 134.59	55.53	(-)79.06
54			2700-मुख्य सिंचाई 18-गैर-वाणिज्यिक सिंचाई परियोजनाएं 001-निदेशन एवं प्रशासन 91-कार्यकारी अभियंता	(ओ) 48.26 (आर) (-)6.67 41.59	10.49	(-)31.10
55			2700-मुख्य सिंचाई 18-गैर-वाणिज्यिक सिंचाई परियोजनाएं 001-निदेशन एवं प्रशासन 92-अधीक्षण अभियंता	(ओ) 4.70 (आर) (-)1.67 3.03	0.56	(-)2.47
56			2700- मुख्य सिंचाई 18-गैर-वाणिज्यिक सिंचाई परियोजनाएं 001-निदेशन एवं प्रशासन 93-मुख्य अभियंता	(ओ) 4.93 (आर) (-)1.49 3.44	0.90	(-)2.54
57			2700- मुख्य सिंचाई 80- सामान्य 001-निदेशन एवं प्रशासन 93- मुख्य अभियंता	(ओ) 37.25 (आर) (-)7.41 29.84	7.87	(-)21.97
58			2700-मुख्य सिंचाई 80- सामान्य 800-अन्य व्यय 98-सुधार, उन्नयन, परिचालन एवं रखरखाव	(ओ) 55.00 (आर) (-)2.77 52.23	115.39	63.16

क्र. सं.	अनुदान संख्या	विवरण	लेखा शीर्ष	प्रावधान ओ: मूल एस: पूरक आर: पुनर्विनियोजन	वास्तविक व्यय	फाईनल आधिक्य (+) बचत (-)
59			4700-मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय 13-नहर प्रणालियों का आधुनिकीकरण एवं लाईनिंग 789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक प्लान 99-कैनाल नेटवर्क का पुनरुद्धार-राज्य में अनुसूचित जाति जनसंख्या में वाटर कोर्सिस के निर्माण कार्यों एवं पुनरुद्धार में सुधार	(ओ) 47.00 (आर) (-)1.07 45.93	31.64	(-)14.29
60			4700-मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय 13-नहर प्रणालियों का आधुनिकीकरण एवं लाईनिंग 800-अन्य व्यय 98-कैनाल का निर्माण	(ओ) 134.00 (आर) (-)22.85 111.15	117.80	6.65
61			4700-मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय 14- दादपुर नलवी सिंचाई परियोजना 800-अन्य व्यय 98-कैनाल का निर्माण	(ओ) 3.50 (आर) (-)0.17 3.33	4.42	1.09
62			4700-मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय 15-चैनलों की लाईनिंग 800-अन्य व्यय 98-बी.एम.एल. की भण्डारण क्षमता	(ओ) 7.00 (आर) (-)0.95 6.05	4.70	(-)1.35
63			4700-मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय 16-विद्यमान चैनलों/ड्रेनेज सिस्टम का पुनरुद्धार 789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक प्लान 99-राज्य में अनुसूचित जाति जनसंख्या में वाटर कोर्सिस के निर्माण कार्यों एवं पुनरुद्धार में सुधार	(ओ) 35.00 (आर) (-)14.11 20.89	7.05	(-)13.84
64			4700-मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय 16-विद्यमान चैनलों/ड्रेनेज सिस्टम का पुनरुद्धार 800-अन्य व्यय 98-कैनाल का निर्माण	(ओ) 35.00 (आर) (-)10.56 24.44	37.77	13.33
65			4701-मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय 06- जल के समान वितरण हेतु नई माईनर 789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक प्लान 99- राज्य में अनुसूचित जाति जनसंख्या के लिए जल के समान वितरण हेतु नई माईनर में सुधार	(ओ) 5.00 (आर) (-)1.94 3.06	1.18	(-)1.88
66			4701-मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय 07-नाबार्ड के अंतर्गत पुराने/विद्यमान चैनलों का सुधार 789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक प्लान 99- राज्य में अनुसूचित जाति जनसंख्या के लिए आर.आई.डी.एफ. (नाबार्ड) के अंतर्गत पुराने/विद्यमान चैनलों का सुधार	(ओ) 69.50 (आर) (-)22.45 47.05	30.18	(-)16.87

क्र. सं.	अनुदान संख्या	विवरण	लेखा शीर्ष	प्रावधान ओ: मूल एस: पूरक आर: पुनर्विनियोजन	वास्तविक व्यय	फाईनल आधिक्य (+) बचत (-)
67			4701-मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय 07-नाबार्ड के अंतर्गत पुराने/विद्यमान चैनलों का सुधार 800-अन्य व्यय 98- नाबार्ड-कैनाल का निर्माण	(ओ) 80.50 (आर) (-)25.55 54.95	62.47	7.52
68			4701-मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय 23- राज्य में जल निकायों का विकास 800-अन्य व्यय 98-कैनाल का निर्माण	(ओ) 10.00 (आर) (-)7.78 2.22	1.17	(-)1.05
69			4711-बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय 01-बाढ़ नियंत्रण 201- ड्रेनेज एवं बाढ़ नियंत्रण परियोजनाएं 98- शहरी स्टार्म वाटर ड्रेनेज कार्य	(ओ) 20.00 (आर) (-) 1.29 18.71	30.49	11.78
70			4711-बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय 01- बाढ़ नियंत्रण 789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक प्लान 99- राज्य में अनुसूचित जाति जनसंख्या के लिए बाढ़ सुरक्षा, पुनर्निर्माण एवं आपदा प्रबंधन	(ओ) 40.00 (आर) (-) 1.95 38.05	14.11	(-) 23.94
71	27	कृषि	2401- फसल पालन 109- विस्तारण एवं किसान प्रशिक्षण 80- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना हेतु स्कीम	(ओ) 390.00 (आर) (-)272.56 117.44	170.18	52.74
72			2401- फसल पालन 119- बागवानी एवं सब्जी फसल 69- राष्ट्रीय बागवानी मिशन हेतु स्कीम	(ओ) 141.90 (आर) (-) 39.29 102.61	99.64	(-)2.97
73	30	वन एवं वन्यजीवन	2406- वानिकी एवं वन्यजीवन 01- वानिकी 001- निदेशन एवं प्रशासन 98- सर्कल/डिवीजनल स्टॉफ	(ओ) 93.74 (आर) (-)12.57 81.17	79.42	(-)1.75
74	34	परिवहन	3055- सड़क परिवहन 201- हरियाणा रोड़वेज 98- बी-आपरेशनज	(ओ) 1,624.27 (आर) (-)221.57 1,402.70	1,400.97	(-) 1.73
75	36	गृह	2055-पुलिस 115- पुलिस बल का आधुनिकीकरण 99-उपकरण की खरीद	(ओ) 40.00 (एस) 1.29 (आर) (-)12.85 28.44	27.15	(-)1.29
76			4055- पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय 207- राज्य पुलिस 99- कार्यालय भवन	(ओ) 116.65 (आर)(-) 105.04 11.61	16.61	5.00
77	38	जन स्वास्थ्य एवं जलापूर्ति	2215-जलापूर्ति एवं स्वच्छता 01-जलापूर्ति 001- निदेशन एवं प्रशासन 97- कार्यकारी अभियंता एवं उनकी स्थापना	(ओ)123.26 (आर)(-) 21.04 102.22	95.78	(-) 6.44
78			2215-जलापूर्ति एवं स्वच्छता 01-जलापूर्ति 102-ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम 97-ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम	(ओ) 713.40 (आर) (-)41.20 672.20	688.77	16.57

क्र. सं.	अनुदान संख्या	विवरण	लेखा शीर्ष	प्रावधान ओ: मूल एस: पूरक आर: पुनर्विनियोजन	वास्तविक व्यय	फाईनल आधिक्य (+) बचत (-)
79			4215-जलापूर्ति एवं स्वच्छता पर पूंजीगत परिव्यय 02- सीवरेज एवं सेनीटेशन 101- शहरी स्वच्छता सेवाएं 94- सीवरेज एवं सेनीटेशन	(ओ) 281.52 (आर) (-) 76.07 205.45	234.95	29.50
80	42	न्याय प्रशासन	2014-न्याय प्रशासन 105- सिविल एवं सेशन कोर्ट 97-सबोर्डिनेट जजिज	(ओ) 163.17 (एस) 0.75 (आर) (-) 15.98 147.94	146.33	(-) 1.61
81	43	जेलें	2056- जेल 101- जेलें 99- बोस्टल इंस्टीट्यूट एवं जुवेनाइल जेल सहित केंद्रीय जिला जेलें	(ओ) 208.33 (एस) 4.10 (आर) (-) 21.70 190.73	188.30	(-) 2.43
82	45	राज्य सरकार द्वारा ऋण एवं अग्रिम	6801-पावर परियोजनाओं हेतु ऋण 205- ट्रांसमिशन एवं डिस्ट्रीब्यूशन 92-उदय स्कीम के अंतर्गत हरियाणा डिस्कोमज को ऋण 99- यू.एच.बी.वी.एन.एल. को ऋण	(ओ) 2,115.00 (आर) (-) 2,053.83 61.17	1,801.42	1,740.25
83			7610- गवर्नमेंट सर्वेट इत्यादि को ऋण 800- अन्य अग्रिम 98- त्योहार अग्रिम	(ओ) 7.00 (आर) (-) 7.00 --	9.91	9.91
84			7610- गवर्नमेंट सर्वेट इत्यादि को ऋण 800- अन्य अग्रिम 99- खाद्य अनाजों की खरीद हेतु अग्रिम	(ओ) 50.00 (आर) (-) 50.00	50.70	50.70
<b>कुल</b>				<b>13,394.97</b>	<b>15,105.83</b>	<b>(-) 1,063.26 (+) 2,774.12</b>

सार	मामलों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
विनियोजन पर अतिरिक्त व्यय (+)	35	(+) 2,774.12
विनियोजन में से बचत (-)	49	(-) 1,063.26
<b>कुल</b>	<b>84</b>	

₹ 10 करोड़ से अधिक परन्तु ₹ 25 करोड़ से कम के आधिक्य के मामले	मामलों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
क्र.सं. 29, 30, 64, 69 तथा 78	5	65.90
₹ 10 करोड़ से अधिक परन्तु ₹ 25 करोड़ से कम की बचत के मामले		
क्र.सं. 6, 7, 45, 50, 57, 59, 63, 66 तथा 70	9	148.68
<b>कुल</b>	<b>14</b>	

₹ 25 करोड़ से अधिक के आधिक्य के मामले	मामलों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
क्र.सं. 10, 19, 44, 51, 58, 71, 79, 82 तथा 84	9	2,630.56
₹ 25 करोड़ से अधिक के बचत के मामले		
क्र.सं. 11, 12, 36, 46, 48, 49, 53 तथा 54	8	828.13
<b>कुल</b>	<b>17</b>	

## परिशिष्ट 2.5

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.3.7; पृष्ठ 43)

मार्च 2017 की समाप्ति पर ₹ 10 करोड़ से अधिक की निधियों के अभ्यर्पण के विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	अनुदान संख्या	मूल	पूरक	कुल प्रावधान	वास्तविक व्यय	बचतें (+)/ आधिक्य (-)	अभ्यर्पित राशि
<b>राजस्व (दत्तमत)</b>							
1	3-सामान्य प्रशासन	244.23	12.93	257.16	235.37	(-) 21.79	15.12
2	4-राजस्व	1,069.65	675.21	1,744.86	1,526.06	(-) 218.80	209.82
3	5-आबकारी एवं कराधान	204.84	12.50	217.34	182.22	(-) 35.12	32.59
4	6-वित्त	5,713.96	358.32	6,072.28	5,724.64	(-) 347.64	350.77
5	7-आयोजना एवं सांख्यिकी	455.62	0.00	455.62	172.45	(-) 283.17	277.81
6	8-भवन एवं सड़कें	1,344.47	0.00	1,344.47	1,190.33	(-) 154.14	203.64
7	9-शिक्षा	12,865.22	912.00	13,777.22	10,340.86	(-) 3,436.36	3,437.69
8	10-तकनीकी शिक्षा	421.42	50.00	471.42	373.23	(-) 98.19	42.52
9	11-खेल एवं युवा कल्याण	313.13	107.65	420.78	314.94	(-) 105.84	104.88
10	13-स्वास्थ्य	3,338.69	56.78	3,395.47	2,800.09	(-) 595.38	408.73
11	14-शहरी विकास	97.20	0.00	97.20	84.73	(-) 12.47	10.93
12	15-स्थानीय शासन	3,549.11	0.00	3,549.11	2,669.34	(-) 879.77	877.09
13	16-श्रम	52.54	0.00	52.54	42.19	(-) 10.35	10.38
14	17-रोजगार	70.72	0.00	70.72	54.60	(-) 16.12	15.03
15	18-औद्योगिक प्रशिक्षण	278.37	4.30	282.67	230.00	(-) 52.67	50.97
16	19-एस.सी., एस.टी., ओ.बी.सी. और अल्पसंख्यकों का कल्याण	662.52	115.96	778.48	564.69	(-) 213.79	214.88
17	20-सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	4,199.94	33.47	4,233.41	4,189.01	(-) 44.40	39.25
18	21-महिला एवं बाल विकास	1,096.79	20.00	1,116.79	747.91	(-) 368.88	367.22
19	22-एक्स-सर्विसमेन का कल्याण	94.20	23.64	117.84	105.59	(-) 12.25	11.44
20	23- खाद्य एवं आपूर्ति	368.19	453.80	821.99	706.38	(-) 115.61	115.09
21	24-सिंचाई	1,867.32	0.00	1,867.32	1,355.20	(-) 512.12	283.50
22	25-उद्योग	706.73	0.00	706.73	270.44	(-) 436.29	436.26
23	27-कृषि	1,937.05	0.00	1,937.05	1,110.14	(-) 826.91	880.26
24	28-पशुपालन एवं डेरी विकास	716.29	0.00	716.29	605.46	(-) 110.83	109.92
25	30-वन एवं वन्यजीवन	382.33	0.00	382.33	284.38	(-) 97.95	94.41
26	32-ग्रामीण एवं सामुदायिक विकास	3,070.22	600.06	3,670.28	3,303.38	(-) 366.90	365.67

क्र.सं.	अनुदान संख्या	मूल	पूरक	कुल प्रावधान	वास्तविक व्यय	बचतें (+)/ आधिक्य (-)	अभ्यर्पित राशि
27	34-परिवहन	2,176.42	1.91	2,178.33	1,894.39	(-) 283.94	278.95
28	36-गृह	3,565.71	54.12	3,619.83	3,236.75	(-) 383.08	91.52
29	37-चुनाव	50.75	4.85	55.60	44.36	(-) 11.24	10.88
30	38-जन-स्वास्थ्य और जलापूर्ति	1,890.77	0.00	1,890.77	1,734.20	(-) 156.57	174.56
31	40-एनर्जी एवं पावर	10,741.66	0.00	10,741.66	10,534.65	(-) 207.01	206.86
32	41-इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आई.टी.	86.04	2.65	88.69	58.02	(-) 30.67	30.47
33	42-न्याय प्रशासन	495.38	16.79	512.17	458.99	(-) 53.18	49.91
34	43-जेलें	218.87	7.35	226.22	199.77	(-) 26.45	23.97
35	44-प्रिंटिंग एवं स्टेशनरी	39.40	0.00	39.40	28.79	(-) 10.61	10.61
	<b>कुल</b>	<b>64,385.75</b>	<b>3,524.29</b>	<b>67,910.04</b>	<b>57,373.55</b>	<b>(-) 10,536.49</b>	<b>9,843.60</b>
<b>राजस्व (भारित)</b>							
36	6-वित्त	10,510.04	0.00	10,510.04	10,581.31	71.27	562.77
	<b>कुल</b>	<b>10,510.04</b>	<b>0.00</b>	<b>10,510.04</b>	<b>10,581.31</b>	<b>71.27</b>	<b>562.77</b>
<b>पूंजीगत (दत्तमत)</b>							
37	8-भवन एवं सड़कें	3,609.09	112.66	3,721.75	1,996.38	(-) 1,725.37	1,776.55
38	13-स्वास्थ्य	510.00	0.00	510.00	183.80	(-) 326.20	326.20
39	18-औद्योगिक प्रशिक्षण	47.00	0.00	47.00	30.01	(-) 16.99	16.99
40	21-महिला एवं बाल विकास	110.70	0.00	110.70	73.33	(-) 37.37	37.20
41	23-खाद्य एवं आपूर्ति	9,843.87	0.00	9,843.87	7,956.32	(-) 1,887.55	2,075.03
42	24-सिंचाई	655.50	0.00	655.50	832.49	176.99	172.54
43	28-पशुपालन एवं डेरी विकास	15.00	0.00	15.00	0.17	(-) 14.83	14.83
44	34-परिवहन	260.75	0.00	260.75	111.17	(-) 149.58	149.40
45	35-पर्यटन	66.81	5.27	72.08	36.45	(-) 35.63	35.63
46	36-गृह	226.40	0.00	226.40	210.59	(-) 15.81	20.81
47	38-जन-स्वास्थ्य और जलापूर्ति	1,217.60	34.60	1,252.20	941.70	(-) 310.50	339.62
48	40-एनर्जी एवं पावर	1,933.51	0.00	1,933.51	1,908.73	(-) 24.78	24.78
49	45-ऋण एवं अग्रिम	4,729.39	61.96	4,791.35	4,514.91	(-) 276.44	2,386.18
	<b>कुल</b>	<b>23,225.62</b>	<b>214.49</b>	<b>23,440.11</b>	<b>18,796.05</b>	<b>(-) 4,644.06</b>	<b>7,375.76</b>
<b>पूंजीगत (भारित)</b>							
50	लोक ऋण भारित	9,677.50	0.00	9,677.50	5,275.84	(-) 4,401.66	4,397.91
	<b>कुल</b>	<b>9,677.50</b>	<b>0.00</b>	<b>9,677.50</b>	<b>5,275.84</b>	<b>(-) 4,401.66</b>	<b>4,397.91</b>
	<b>सकल योग</b>	<b>1,07,798.91</b>	<b>3,738.78</b>	<b>1,11,537.69</b>	<b>92,026.75</b>	<b>(+) 248.26</b> <b>(-) 19,759.20</b>	<b>22,180.04</b>

## परिशिष्ट 2.6

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.3.8; पृष्ठ 44)

वर्ष की अन्तिम तिमाही/माह में व्यय का वेग दर्शाने वाले ब्यौरे

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान संख्या	लेखा शीर्ष	वर्ष के दौरान कुल व्यय	वर्ष की अन्तिम तिमाही के दौरान व्यय		मार्च 2017 के दौरान व्यय	
				राशि	कुल व्यय की प्रतिशतता	राशि	कुल व्यय की प्रतिशतता
1	02-राज्यपाल तथा मंत्री परिषद	2013-मंत्री परिषद	126.92	69.42	54.70	47.63	37.53
2	04-राजस्व	2705- कमांड एरिया डिवेलपमेंट	49.10	27.63	56.27	19.91	40.55
3	06-वित्त	2075-विविध सामान्य सेवाएं	39.40	39.40	100.00	39.40	100.00
4	07-आयोजना एवं सांख्यिकी	3451-सचिवालय आर्थिक सेवाएं	154.92	119.68	77.25	79.91	51.58
5	08-भवन एवं सड़क	4202-शिक्षा, खेल, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय	141.75	72.37	51.05	47.44	33.47
6	15-स्थानीय शासन	2217-शहरी विकास	2,668.90	1487.93	55.75	937.08	35.11
7	17-रोजगार	2230-श्रम, रोजगार तथा स्किल डिवेलपमेंट	54.60	28.64	52.45	16.81	30.79
8	18-औद्योगिक प्रशिक्षण	4250-अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	30.01	21.23	70.74	20.26	67.51
9	23-खाद्य एवं आपूर्ति	3456-सिविल आपूर्ति (आई)	149.39	147.37	98.65	147.30	98.60
10	25-उद्योग	2852-उद्योग	32.88	16.37	49.79	7.77	23.63
11	26-खदान तथा भू-विज्ञान	2853-अलोह खनन तथा धातुकर्मीय उद्योग	24.29	16.17	66.57	14.31	58.91
12	27-कृषि	2401-फसल पालन	742.96	380.55	51.22	262.57	35.34
13	32-ग्रामीण एवं सामुदायिक विकास	2505-ग्रामीण रोजगार	218.78	166.97	76.32	23.44	10.71
14		3604-स्थानीय निकाय तथा पंचायती राज संस्थाओं को मुआवजा और सुपुर्दगी	423.95	423.72	99.95	249.34	58.81
15	33-सहकारिता	4425-सहकारिता पर पूंजीगत परिव्यय	92.77	60.17	64.86	58.97	63.57
16	37-चुनाव	2015-चुनाव	44.36	22.85	51.51	19.53	44.03
17	40-एनर्जी एवं पावर	2810-गैर-पारंपरिक ऊर्जा स्रोत	13.51	10.65	78.83	9.94	73.58
18		5425- अन्य वैज्ञानिक तथा पर्यावरणीय अनुसंधान पर पूंजीगत परिव्यय	14.00	14.00	100.00	14.00	100.00
कुल			5,022.49	3,125.12	62.22	2,015.61	40.13

परिशिष्ट 2.7

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.4.1; पृष्ठ 44)

वर्ष 2016-17 के लिए भुगतान के समर्थन में वाऊचरों को प्रस्तुत न करना

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	खजाने का नाम	वाऊचरों की संख्या	राशि
1.	अंबाला कैंट	51	0.71
2.	भिवानी	301	2.30
3.	चण्डीगढ़	13	0.05
4.	फरीदाबाद	67	1.00
5.	फतेहाबाद	3	1.27
6.	गुरुग्राम	78	2.62
7.	हिसार	170	2.47
8.	जगाधरी	34	0.36
9.	झज्जर	9	0.02
10.	जींद	7	0.03
11.	कैथल	11	0.07
12.	करनाल	244	3.50
13.	कुरुक्षेत्र	7	0.33
14.	नारनौल	52	0.28
15.	नूंह	22	0.36
16.	पानीपत	55	0.43
17.	पंचकुला	57	0.23
18.	रेवाड़ी	94	0.83
19.	रोहतक	29	0.36
20.	सिरसा	26	0.93
21.	सोनीपत	28	0.34
<b>कुल</b>		<b>1,358</b>	<b>18.49</b>

## परिशिष्ट 2.8

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.5.3 (i); पृष्ठ 47)

प्लान स्कीमों (₹ एक करोड़ तथा अधिक) के विवरण जिनके लिए अनुमोदित आउटले में प्रावधान किए गए परंतु संशोधित अनुमानों में वापस लिए गए

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विभाग का नाम	स्कीम का नाम	अनुमोदित आउटले	संशोधित आउटले	वास्तविक व्यय
1	पशुपालन एवं डेयरी उद्योग	डेयरी विकास हेतु राष्ट्रीय योजना	20.00	-	-
2	मछली पालन	राष्ट्रीय मछली पालन विकास बोर्ड	1.00	-	-
3	ग्रामीण विकास	पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (बी.आर.जी.एफ.)	6.00	-	-
4	सिंचाई	एस.वाई.एल. परियोजना का कार्य (कैनाल का निर्माण) (हरियाणा का हिस्सा)	5.00	-	-
5		त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (ए.आई.बी.पी.)	10.00	-	-
6		कैनाल का निर्माण हाईड्रोलोजी प्रोजेक्ट	20.00	-	-
7	उद्योग	बृहद एवं मध्यम उद्योग: निर्यात के लिए मूलभूत संरचना के विकास हेतु राज्यों को सहायता (ए.एस.आई.डी.ई.)	30.00	-	-
8	आर्थिक एवं सांख्यिकीय विश्लेषण विभाग	राज्य तथा जिला स्तर पर राज्य स्ट्रेटजिक सांख्यिकीय योजना (एस.एस.एस.पी.) - स्थापना व्यय	15.00	-	-
9	पर्यटन	हरियाणा में वन्य जीव पर्यटन का विकास (एस.जे.एस.)	2.00	-	-
10	तकनीकी शिक्षा	एकीकृत स्किल डिवेलपमेंट स्कीम	4.93	-	-
11	चिकित्सा शिक्षा	पूँजीगत परिसंपत्तियों के सृजन हेतु अनुदान	10.00	-	-
12	अनुसूचित जातियों तथा पिछड़े वर्गों का कल्याण	अनुसूचित जातियों एवं अन्यो के लिए मूलभूत संरचना का विकास	1.20	-	-
13	औद्योगिक प्रशिक्षण तथा व्यावसायिक शिक्षा	सोसाइटियों को सहायतानुदान	15.00	-	-
14	लोक निर्माण (सामान्य प्रशासन)	रोजगार भवन का निर्माण	1.40	-	-
15	अन्य सामान्य सेवाएं (आबकारी एवं कराधान)	आबकारी एवं कराधान कार्यालय, पंचकूला में कर अनुसंधान यूनिट की स्थापना	2.00	-	-
		<b>कुल</b>	<b>143.53</b>	-	-

**परिशिष्ट 2.9**

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.5.3 (ii); पृष्ठ 47)

प्लान स्कीमों (₹ एक करोड़ तथा उससे अधिक) के विवरण जिनके लिए संशोधित अनुमानों में प्रावधान कम किया गया था परंतु कोई व्यय नहीं किया गया

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विभाग का नाम	स्कीम का नाम	अनुमोदित आउटले	संशोधित आउटले
1	बागवानी	बाजार मध्यस्थता एवं मूल्य स्थिरीकरण (एस.जे.एस.) हेतु नई प्लान स्कीम	51.50	0.01
2	वन	हरित भारत हेतु राष्ट्रीय मिशन	20.00	17.67
3	सहकारिता	पावर कोजेनेरेशन तथा इथानल प्लांट (एस.जे.एस.) की स्थापना	5.00	1.00
4		एन.सी.डी.सी. की केंद्रीय क्षेत्र एकीकृत स्कीम के अंतर्गत सहकारी समितियों को वित्तीय सहायता	5.00	1.00
5	पंचायतें	राजीव गांधी पंचायत सशक्तिकरण योजना (आर.जी.पी.एस.वाई.)	33.00	15.00
6	उद्योग	एम.एस.एम.ई. हेतु कोलेटेरल फ्री क्रेडिट गारंटी स्कीम (एस.जे.एस.)	100.00	0.01
7		राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम	1.00	0.30
8	माध्यमिक शिक्षा	एस.सी.एस.पी. स्कीमों के लिए आपरेटरों को मानदेय	1.40	0.40
9	पुरातत्व	भवन (पुरातत्व)	20.00	5.00
10		राज्य पुरातत्त्वीय संग्राहलय की स्थापना	2.00	0.56
11	तकनीकी शिक्षा	राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (आर.यू.एस.ए.) (iv) बहुतकनीकी संस्थान में महिला हॉस्टलों का निर्माण	5.00	1.00
12	चिकित्सा शिक्षा	नये सरकारी चिकित्सा कॉलेज का निर्माण, भिवानी (एस.जे.एस.)	50.00	0.01
13		नये सरकारी चिकित्सा कॉलेज का निर्माण, जींद (एस.जे.एस.)	25.00	0.01
14		नये सरकारी चिकित्सा कॉलेज का निर्माण, पंचकूला (एस.जे.एस.)	25.00	0.01
15	स्वास्थ्य	बी.पी.एल. परिवारों के लिए राष्ट्रीय मजदूर स्वास्थ्य बीमा योजना	10.00	2.00
16	आयुष	भवन का निर्माण (एस.जे.एस.)	5.00	0.05
17	शहरी स्थानीय निकाय	सेटेलाईट एवं काउंटर मैग्नेट टाऊनस का विकास	6.20	1.20
18	औद्योगिक प्रशिक्षण	आई.टी.आईज का श्रेष्ठता केंद्रों में उन्नयन	1.24	0.04
19	एवं व्यावसायिक शिक्षा	आई.टी.आईज में आतिथ्य शिक्षा (100%)	1.10	1.06
		<b>कुल</b>	<b>367.44</b>	<b>46.33</b>

## परिशिष्ट 2.10

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.5.3 (iii); पृष्ठ 47)

प्लान स्कीमों (₹ एक करोड़ तथा उससे अधिक) के विवरण जिनके लिए अनुमोदित परिव्यय और संशोधित अनुमानों में प्रावधान किया गया था परंतु कोई व्यय नहीं किया गया

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विभाग का नाम	स्कीम का नाम	अनुमोदित आउटले	संशोधित आउटले
1	फसल पालन	राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस (कृषि)	2.50	2.50
2	वन	एस.एफ.डी.ए. द्वारा राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम	15.00	15.00
3	सहकारिता	मार्केटिंग को-ऑपरेटिवस की शेयर पूंजी को सरकारी अंशदान	1.00	1.00
4	ग्रामीण विकास	सांसद आदर्श ग्राम योजना	2.00	2.00
5	नवीकरण ऊर्जा	एस.सी. परिवारों के लिए आई.ए.वाई परिवारों हेतु शिक्षादीप स्कीम/सोलर सिस्टम	1.50	1.50
6	उद्योग	हथकरघा वस्त्र की बिक्री पर हथकरघा एजेंसियों द्वारा दी गई 10 प्रतिशत की दर पर एक बारगी छूट की प्रतिपूर्ति	1.00	1.00
7	पर्यटन	डेस्टीनेशनज एवं सर्किटस के लिए मूलभूत संरचना विकास: (i) राज्य में पर्यटक स्थलों पर मल्टीमीडिया/लेजर शो का विकास	2.00	2.00
8		डेस्टीनेशनज एवं सर्किटस के लिए मूलभूत संरचना विकास : (iii) यमुनानगर-पंचकूला के लिए मूलभूत संरचना विकास - मेगा सर्किट के रूप में पौंटा साहिब	1.00	1.00
9		डेस्टीनेशनज एवं सर्किटस के लिए मूलभूत संरचना विकास : (iv) पर्यटकों के लिए मूलभूत संरचना विकास-मुख्य सर्किट के रूप में पंचकूला	1.00	1.00
10		डेस्टीनेशनज एवं सर्किटस के लिए मूलभूत संरचना विकास : (v) पर्यटकों के लिए मूलभूत संरचना विकास-मुख्य सर्किट के रूप में हिसार	2.00	2.00
11		डेस्टीनेशनज एवं सर्किटस के लिए मूलभूत संरचना विकास : (vi) स्वदेश दर्शन स्कीम हेतु परियोजना (एस.जे.एस.)	20.00	20.00
12		डेस्टीनेशनज एवं सर्किटस के लिए मूलभूत संरचना विकास : (vii) पर्यटकों के लिए मूलभूत संरचना विकास-मुख्य सर्किटों के रूप में पानीपत-कुरुक्षेत्र-पिंजौर	1.00	1.00
13		माध्यमिक शिक्षा	वरिष्ठ माध्यमिक एवं उच्च स्कूलों में पृथक गर्ल्स टॉयलेट्स/हैंडपंपस का निर्माण (नाबाई)	6.81
14	तकनीकी शिक्षा	एस.सी. छात्रों को मुफ्त पुस्तकों की आपूर्ति	1.00	1.00
15	चिकित्सा शिक्षा	मेवात चिकित्सा कॉलेज, नल्हर	80.00	80.00

क्र. सं.	विभाग का नाम	स्कीम का नाम	अनुमोदित आउटले	संशोधित आउटले
16	स्वास्थ्य	स्वास्थ्य संस्थानों एवं एच.एम.आई.एस. की गुणवत्ता सुधार हेतु एच.एस.एच.आर.सी. को सहायतानुदान (एस.जे.एस.)	26.21	26.21
17		राष्ट्रीय एड्स एवं एस.टी.डी. नियंत्रण कार्यक्रम	33.00	33.00
18	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी	शहरी: उचंत (स्टॉक)	5.00	5.00
19	शहरी स्थानीय निकाय	अग्निशमन सेवाओं का सुदृढीकरण	35.00	35.00
20	नगर एवं ग्राम आयोजना (एन.सी.आर.)	द्वारका से इफको चौक, गुडगांव तक मेट्रो लिंक	5.00	5.00
21	अनुसूचित जातियों तथा पिछड़े वर्गों का कल्याण	ओ.बी.सी. बालकों एवं बालिकाओं के लिए हॉस्टल का निर्माण (50:50)	5.00	5.00
22		डी.एन.टीज के लिए प्री-मैट्रिक एवं पोस्ट-मैट्रिक की डॉ. अम्बेडकर केंद्रीय प्रायोजित स्कीम (75:25)	2.50	2.50
23		हॉस्टलों के निर्माण हेतु नानाजी देशमुख केंद्रीय प्रायोजित स्कीम (75:25)	4.00	4.00
24		बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना (लड़कियों के लिए) (100%)	5.00	5.00
25		बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना (लड़कों के लिए) (50:50)	1.00	1.00
26		ओ.बी.सी. विद्यार्थियों के लिए पोस्ट-मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम (100%)	30.00	30.00
27		अनुसूचित जातियों की 50 प्रतिशत से अधिक जनसंख्या वाले गांवों में एस.पी.वी. स्ट्रीट लाइटिंग सिस्टम (100%)	5.00	5.00
28	श्रम	फरीदाबाद में लेबर कोर्ट कॉम्प्लेक्स के लिए प्लॉट की खरीद	2.00	2.00
		<b>कुल</b>	<b>296.52</b>	<b>296.52</b>

## परिशिष्ट 2.11

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.5.3 (iv); पृष्ठ 47)

प्लान स्कीमों (₹ एक करोड़ तथा उससे अधिक) के विवरण जहां बजट अनुमानों में वृद्धि की गई परन्तु व्यय मूल प्रावधान के 80 प्रतिशत से कम था

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विभाग का नाम	स्कीम का नाम	अनुमोदित आउटले	संशोधित आउटले	वास्तविक व्यय	अनुमोदित आउटले की प्रतिशतता
1	फसल पालन	किसानों को कृषि विस्तार प्रशिक्षण सेवाएं	1.81	2.00	1.43	79
2		मृदा एवं जल संरक्षण: मृदा स्वास्थ्य कार्डस स्कीम (राज्य का हिस्सा)	5.02	5.42	3.47	69
3	भू-अभिलेख	मुख्यालय स्टॉफ भू-अभिलेख कृषीय जनगणना	1.09	1.10	0.83	76
4	नवीकरण ऊर्जा	गैर-पारंपरिक ऊर्जा स्रोत का उन्नयन	13.81	32.94	9.95	72
5	पी.डब्ल्यू.डी. (भवन एवं सड़कें)	राज्य स्कीम के अंतर्गत पुल और रेलवे ओवर ब्रिज का निर्माण (एम.डी.आर.)	15.00	16.40	9.29	62
6	माध्यमिक शिक्षा	राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आर.एम.एस.ए.) तथा नेशनल स्किलस क्वालिफिकेशनज फ्रेमवर्क (एन.एस.क्यू.एफ.)	419.48	450.00	191.94	46
7	तकनीकी शिक्षा	तकनीकी शिक्षा निदेशालय का सुदृढीकरण	2.79	3.44	2.12	76
8	खेल	स्पोर्ट्स अवार्डस एवं इनसेंटिव स्कीम	2.00	2.10	1.30	65
9	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी	राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एन.आर.डी.डब्ल्यू.पी.): (iv) त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति - एन.आर.डी.डब्ल्यू.पी. (जल गुणवत्ता मॉनीटरिंग एवं निगरानी डब्ल्यू.क्यू.डब्ल्यू.एस.)	3.00	3.60	1.83	61
10		राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एन.आर.डी.डब्ल्यू.पी.): (v) त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति - एन.आर.डी.डब्ल्यू.पी. (समर्थन गतिविधियां)	5.00	5.60	2.49	50
11	अनुसूचित जातियों तथा पिछड़े वर्गों का कल्याण	एच.एस.सी.एफ.एंड डी. कार्पोरेशन को शेयर पूंजी	1.30	2.55	0.96	74
12		पी.सी.आर. एक्ट, 1955 का कार्यान्वयन (ii) मुख्यमंत्री सामाजिक समरसता अंतर्जातीय हेतु प्रोत्साहन	3.95	4.00	2.40	61
13	महिला एवं बाल विकास	आंगनवाड़ी केंद्रों का निर्माण	74.70	75.26	50.93	68
14	औद्योगिक प्रशिक्षण एवं व्यावसायिक शिक्षा	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति विद्यार्थियों को स्किल ट्रेनिंग (ख) अनुसूचित जाति विद्यार्थियों को स्किल ट्रेनिंग	17.25	17.41	11.90	69
15		राज्य परियोजना कार्यान्वयन यूनिट (एस.पी.आई.यू.)- स्थापना	3.00	3.78	1.76	59
		<b>कुल</b>	<b>569.20</b>	<b>625.60</b>	<b>292.60</b>	<b>51</b>

परिशिष्ट 2.12

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.5.3 (v); पृष्ठ 47)

प्लान स्कीमों (₹ एक करोड़ तथा उससे अधिक) के विवरण जिनके लिए संशोधित बजट कम किया गया था परन्तु वास्तविक व्यय संशोधित आऊटले के 80 प्रतिशत से कम था

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विभाग का नाम	स्कीम का नाम	अनुमोदित आऊटले	संशोधित आऊटले	वास्तविक व्यय	आर.ई. के विरुद्ध वास्तविक व्यय की प्रतिशतता
1	फसल पालन	हरियाणा किसान आयोग	2.07	1.82	1.33	73
2		कपास की खेती का उन्नयन	3.43	3.00	1.93	64
3		राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर.के.वी.वाई)	400.00	360.00	160.41	45
4		राष्ट्रीय ऑयलसीड तथा ऑयल पॉम मिशन	23.00	16.60	5.01	30
5		कृषि पर राष्ट्रीय मिशन-विस्तार एवं प्रौद्योगिकी	40.00	19.00	7.06	37
6		कृषि पर राष्ट्रीय मिशन-अनुसूचित जातियों के लिए विस्तार एवं प्रौद्योगिकी				
7		प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना (एस.जे.एस.)	300.00	175.00	101.35	58
7	बागवानी	मृदा एवं जल संरक्षण: सतत कृषि पर राष्ट्रीय मिशन (राज्य का हिस्सा) प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना (पी.एम.के.एस.वाई.) के रूप में नाम बदला गया	10.00	9.60	2.48	26
8		बागवानी निदेशालय की स्थापना	2.90	2.55	1.17	46
9		बागवानी-जैव प्रौद्योगिकी	3.51	3.06	1.16	38
10		बागवानी सृष्टीकरण	6.75	6.45	5.10	79
11	पशुपालन एवं डेयरी उद्योग	आर.आई.डी.एफ. (नाबाई) के अंतर्गत राज्य में पशु चिकित्सा मूलभूत संरचना का सृष्टीकरण	15.00	5.00	0.17	3
12		पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय की स्थापना	40.00	35.00	20.00	57
13	वन	वन क्षेत्रों का सर्वेक्षण, सीमांकन एवं निपटान	3.00	1.50	1.00	67
14		एकीकृत वन संरक्षण	3.00	2.04	0.90	44
15	वन (मृदा एवं जल संरक्षण)	प्रशिक्षण, विशेष स्थलों के वनीकरण हेतु वाटरशेड आधार पर मृदा संरक्षण	16.60	5.00	3.36	67
16	सहकारिता	अनुसूचित जाति के सदस्यों को ब्याज सबसिडी	1.00	0.50	0.19	38
17		क) सामान्य लोअर क्लास सोसाइटियों को सहायता (i) लोअर क्लास सोसाइटियों को शेयर पूंजी (ii) लोअर क्लास सोसाइटियों को ऋण (ख) अनुसूचित जाति की लोअर क्लास सोसाइटियों को सहायता (i) लोअर क्लास सोसाइटियों को शेयर पूंजी (ii) लोअर क्लास सोसाइटियों को ऋण	1.00	0.35	0.23	66
18	ग्रामीण विकास	एकीकृत वाटर शैड प्रबंध कार्यक्रम (आई.डब्ल्यू.एम.पी.)	100.00	21.37	13.41	63
19	सामुदायिक विकास	ग्रामीण विकास हेतु गांव के युवा वालंटियरों के बीच जागरूकता। अब आई.टी. प्लान सहित ग्रामीण विकास तरुण	10.20	3.40	0.32	9
20	सिंचाई	वाटर कोर्सिज का पुनरुद्धार: (i) राज्य में एस.सी. जनसंख्या के लिए वाटर कोर्सिज के निर्माण कार्यों तथा पुनर्वास में सुधार (ii) कैनाल का निर्माण	70.00	60.00	45.33	76
21		जल के सामान वितरण हेतु नई माईनरों का निर्माण: (i) राज्य में एस.सी. जनसंख्या के लिए जल के सामान वितरण हेतु नई माईनर में सुधार (ii) कैनाल का निर्माण	15.00	14.93	9.56	64
22		राज्य में जल निकायों का विकास	10.00	5.00	2.22	44

क्र. सं.	विभाग का नाम	स्कीम का नाम	अनुमोदित आउटले	संशोधित आउटले	वास्तविक व्यय	आर.ई. के विरुद्ध वास्तविक व्यय की प्रतिशतता
23	उद्योग	एण्टरप्राइजिज प्रमोशन पॉलिसी 2015 के अंतर्गत उद्योग के विकास हेतु प्रोत्साहन (एस.जे.एस.)	250.00	40.00	23.98	60
24		खाद्य संसाधन पर राष्ट्रीय मिशन	12.00	6.00	4.10	68
25	सिविल एविएशन	हिसार में एकीकृत एविएशन हब (एस.जे.एस.)	50.00	15.00	1.33	9
26	पी.डब्ल्यू.डी. (भवन एवं सड़कें)	(i) राज्य स्कीम हेतु सड़कों का निर्माण, सुदृढीकरण/चौड़ीकरण एवं उन्नयन	140.00	132.00	79.85	60
27		राज्य स्कीम के अंतर्गत पुल एवं रेलवे ओवर ब्रिज का निर्माण (ओ.डी.आर.)	100.00	76.00	56.92	75
28		नाबार्ड सहायतित परियोजना: नाबार्ड स्कीम के अंतर्गत पुल एवं रेलवे ओवर ब्रिज का निर्माण	22.00	14.50	8.89	61
29		एन.सी.आर. ऋण: एन.सी.आर. स्कीम हेतु सड़कों का निर्माण, सुदृढीकरण/चौड़ीकरण एवं उन्नयन	358.75	70.60	49.10	70
30	सड़क	एक्विजिशन ऑफ फ्लीट	163.55	100.00	13.59	14
31	परिवहन	रेगुलेटरी विंग: रेगुलेटरी विंग का भूमि एवं भवन कार्यक्रम	20.00	7.90	3.15	40
32	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद को सहायतानुदान: विज्ञान प्रचार/बढ़ावा कार्यक्रम	1.22	0.64	0.40	63
33	आर्थिक एवं सांख्यिकीय विश्लेषण विभाग	सचिवालय आर्थिक सेवाएं: राज्य स्तर पर प्लानिंग मशीनरी का सुदृढीकरण इनटर्नशिप एवं कंसल्टेंट्स का कार्यान्वयन (एस.जे.एस.)	1.98	0.75	0.54	72
34	पर्यटन	जिला/उप-मंडल स्तर पर तथा अन्य महत्वपूर्ण नगरों/स्थलों पर पर्यटक सुविधाओं का विकास	15.00	13.32	9.96	75
35		सामान्य घटक	240.00	180.00	88.45	49
36		एस.सी.एस.पी. घटक	160.00	120.00	54.61	46
37	प्राथमिक शिक्षा	बी.पी.एल. विद्यार्थियों के लिए मासिक छात्रवृत्ति (I-VIII)	19.00	10.00	4.99	50
38	माध्यमिक शिक्षा	प्रशासनिक स्टॉफ - डी.ई.ओ. स्थापना (फील्ड स्टॉफ)	5.16	4.56	3.19	70
39		9 से 12 तक की कक्षाओं में बी.पी.एल. विद्यार्थियों के लिए मासिक छात्रवृत्ति	12.00	7.00	4.78	68
40		अन्य स्थापनाओं सहित टीचिंग स्टॉफ - (iv) सरकारी उच्च/वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों में इयूल डैस्क का प्रावधान	35.00	15.00	5.00	33
41		राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आर.एम.एस.ए.) (एस.सी.एस.पी.)	156.00	150.00	50.23	33
42		स्कूलों में कम्प्यूटर साक्षरता एवं अध्ययन (आई.सी.टी.)	150.00	26.98	9.70	36
43		शैक्षिक रूप से पिछड़े ब्लॉकों में माध्यमिक तथा उच्चतर माध्यमिक स्कूलों के विद्यार्थियों के लिए गर्ल्स हॉस्टल का निर्माण तथा उन्हें चलाना	24.00	11.62	0.08	1
44		टीचर्स ट्रेनिंग तथा ऑडिट शिक्षा सहित शैक्षिक विकास हेतु सहायता (ii) शिक्षा एवं प्रशिक्षण के ब्लॉक संस्थान की स्थापना (बी.आई.ई.टी.)	3.06	2.52	0.79	31
45	उच्चतर शिक्षा	राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (आर.यू.एस.ए.)	166.00	100.00	11.51	12

क्र. सं.	विभाग का नाम	स्कीम का नाम	अनुमोदित आउटले	संशोधित आउटले	वास्तविक व्यय	आर.ई. के विरुद्ध वास्तविक व्यय की प्रतिशतता
46	तकनीकी शिक्षा	एस.सी. विद्यार्थियों को फीस की प्रतिपूर्ति	5.00	0.10	0.06	60
47		भवन (सिविल कार्य):(क) पोलीटेकनिकस भवन (राज्य प्लान) (ख) भवन (अभियांत्रिकी कॉलेज) (ग) पोलीटेकनिकस में एस.सी. विद्यार्थियों के लिए हॉस्टलों का निर्माण	75.00	42.00	26.04	62
48		तकनीकी शिक्षा परियोजना फेस- IV	28.00	18.00	11.19	62
49	चिकित्सा शिक्षा	राज्य में तल स्वास्थ्य संस्थान की स्थापना, रोहतक	3.20	2.40	1.74	73
50		कल्पना चावला सरकारी चिकित्सा कॉलेज, करनाल (एस.जे.एस.)	300.00	222.00	102.82	46
51	स्वास्थ्य	चिकित्सा तथा पैरा- चिकित्सा स्टॉफ हेतु प्रशिक्षण/इंडक्शन तथा प्रोमोशनल प्रशिक्षण फैकल्टी	4.00	2.75	1.56	57
52	आयुष	सरकारी आयुर्वेदिक कॉलेज/सरकारी आयुर्वेदिक फार्मसी/ड्रग टेस्टिंग लैब, कुरुक्षेत्र तथा आई.एस.एम.आर. संस्थान, पंचकुला की निरंतरता/सुधार	5.96	5.91	4.44	75
53		सरकारी आयुर्वेदिक कॉलेज/अस्पतालों के भवन का निर्माण	9.20	2.50	1.50	60
54		जिला आयुर्वेदिक कार्यालयों का सुदृढीकरण (स्थापना व्यय)	2.61	2.44	0.89	36
55	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी	शहरी:एन.सी.आर.	155.00	55.00	41.34	75
56		शहरी: विशेष घटक सब-प्लान: (iii) शहरी क्षेत्र में एस.सी. बहुल निवास स्थलों को सीवरेज सुविधाएं	9.00	7.55	5.96	79
57		राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एन.आर.डी.डब्ल्यू.पी.): (vi) त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति - एन.आर.डी.डब्ल्यू.पी. - आपदाएं	5.00	4.15	2.54	61
58	पुलिस	कार्यालय भवन / भूमि	116.65	27.67	11.61	42
59		पुलिस तथा अन्य बलों के आधुनिकीकरण हेतु राष्ट्रीय स्कीम	40.00	36.50	24.42	67
60	शहरी स्थानीय निकाय	राज्य के एम.सीज में चौपालों/ सामुदायिक केंद्रों के उन्नयन की स्कीम	10.00	8.00	6.00	75
61		प्रधान मंत्री आवास योजना (सब के लिए आवास)	66.65	51.65	15.02	29
62		स्वच्छ भारत मिशन	165.00	125.00	90.17	72
63		अमरूत	440.00	390.00	101.76	26
64	पोषण	पूरक पोषण कार्यक्रम (आई.सी.डी.एस. में)	302.50	164.00	125.99	77
65		इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना (आई.जी.एम.एस.वाई.)	28.00	6.82	2.70	40
66	औद्योगिक प्रशिक्षण एवं व्यावसायिक शिक्षा	नई आई.टी.आईज के निर्माण हेतु नई स्कीम (एस.जे.एस.)	28.00	23.00	10.44	45
67	प्रिंटिंग तथा स्टेशनरी	प्रिंटिंग तथा स्टेशनरी (मशीनरी)	5.80	0.30	0.13	43
68	लोक निर्माण (सामान्य प्रशासन)	जिला प्रशासन	140.00	105.00	37.72	36
		<b>कुल</b>	<b>5,125.75</b>	<b>3,158.30</b>	<b>1,494.87</b>	<b>47</b>

## परिशिष्ट 2.13

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.5.3 (vi); पृष्ठ 47)

प्लान स्कीमों (₹ एक करोड़ तथा उससे अधिक) के विवरण जिनमें वास्तविक व्यय संशोधित आऊटले के 20 प्रतिशत या उससे अधिक बढ़ गया था

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विभाग का नाम	स्कीम का नाम	अनुमोदित आऊटले	संशोधित आऊटले	वास्तविक व्यय	आर.ई. के विरुद्ध ए.ई. की प्रतिशतता
1	ग्रामीण विकास	महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम (मनरेगा)	330.00	222.30	325.46	146
2	शिवालिक विकास बोर्ड	शिवालिक क्षेत्र में एस.सी. के विकास हेतु सहायतानुदान	2.64	2.40	3.21	134
3	उद्योग	एण्टरप्राइजिज प्रोमोशन पॉलिसी 2015 के अंतर्गत मूलभूत संरचना का विकास (एस.जे.एस.)	250.00	176.00	250.00	142
4	पी.डब्ल्यू.डी. (भवन एवं सड़कें)	आवास स्कीम (iii) लोक निर्माण	12.00	5.00	6.03	121
5	प्राथमिक शिक्षा	शिक्षा का अधिकार अधिनियम	110.95	50.00	62.65	125
6	पुलिस	सड़क सुरक्षा निधि	15.07	10.07	14.06	140
		<b>कुल</b>	<b>720.66</b>	<b>465.77</b>	<b>661.41</b>	<b>142</b>

परिशिष्ट 2.14

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.5.3 (vii); पृष्ठ 47)

प्लान स्कीमों (₹ एक करोड़ और अधिक) के ब्यौरे जिनके लिए अनुमोदित आउटले तथा संशोधित अनुमानों में प्रावधान रखा गया था परंतु किया गया व्यय रखे गए प्रावधान के 80 प्रतिशत से कम था

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विभाग का नाम	स्कीम का नाम	संशोधित आउटले	वास्तविक व्यय	आर.ई. के व्यय की प्रतिशतता
1	फसल पालन	कृषीय विस्तार मूलभूत संरचना का सुदृढीकरण	6.70	4.86	73
2		गन्ने पर प्रौद्योगिकी मिशन	5.00	1.77	35
3		किसानों के समूह तथा एस.सी. श्रेणी के किसानों को सबसिडी पर उपकरण/मशीनरी प्रदानकरना	2.00	0.50	25
4		राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन	40.00	17.19	43
5		कृषीय यंत्रावली का प्रस्तुतिकरण	6.00	1.04	17
6		बायो-गैस प्लांटों की स्थापना (100%)	2.51	1.77	71
7		मृदा एवं जल संरक्षण: जल बचत प्रौद्योगिकी पर सहायता प्रदानकरना	9.95	4.17	42
8	बागवानी	अच्छी कृषि प्रथाएं तथा फलों एवं सब्जियों पर कीटनाशक अवशेषों का प्रभाव	1.05	0.82	78
9		राष्ट्रीय बागवानी मिशन	177.10	120.24	68
10	पशुपालन एवं डेयरी उद्योग	राष्ट्रीय लाइवस्टॉक मिशन	5.00	1.01	20
11		नमूना सर्वेक्षण हेतु स्कीम-दूध, अण्डा, ऊन एवं मीट के उत्पादन का अनुमान	1.55	1.08	70
12	वन (वन्य जीवन संरक्षण)	वन्य जीवन निवास स्थानों का एकीकृत विकास	2.50	1.65	66
13		अभ्यारणों का सुदृढीकरण, विस्तार एवं सुधार	4.50	0.60	13
14	सहकारिता	सहकारिता विभाग का कंप्यूटरीकरण	1.50	0.41	27
15	ग्रामीण विकास	ग्राम सेविकाओं को वेतन	2.60	1.82	70
16		सब के लिए आवास (आई.ए.वाई.)	150.00	93.19	62
17		राष्ट्रीय ग्रामीण जीविका मिशन	30.00	19.82	66
18		प्रधान मंत्री आदर्श ग्राम योजना	2.00	1.32	66
19	भू-अभिलेख	राष्ट्रीय भू-अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम: सर्वेक्षण/पुनःसर्वेक्षण तथा मॉडर्न रिकार्ड रूम	16.14	0.78	5
20		राष्ट्रीय भू-अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम - भू-अभिलेख का कंप्यूटरीकरण	2.69	0.80	30
21	पंचायतें	विकास कार्यों के लिए मैचिंग ग्रांट स्कीम	2.50	1.43	57
22		राजस्व अर्जन स्कीम हेतु ग्राम पंचायत को ऋण	1.50	0.39	26
23	मेवात विकास बोर्ड	मेवात क्षेत्र के एस.सीज के एकीकृत विकास हेतु सहायतानुदान	3.10	0.23	7
24	सिंचाई	(ग) पंपों तथा नए पंपों की क्षमता का सुधार करना	5.00	2.04	41
25		हांसी ब्रांच के साथ बी.एम.एल. की लिंकिंग	1.00	0.19	19
26		स्थापना: (ii) विशेष राजस्व	17.04	13.53	79
27		स्थापना: (iv) अधीक्षण अभियंता	14.57	11.02	76
28	कमांड एरिया डिवेलपमेंट अथॉरिटी	कैनाल क्षेत्र हेतु क्षेत्र विकास कार्यक्रम	205.00	105.00	51

क्र. सं.	विभाग का नाम	स्कीम का नाम	संशोधित आउटले	वास्तविक व्यय	आर.ई. के व्यय की प्रतिशतता
29	उद्योग	एम.एस.एम.ई. क्लस्टर डिवेलपमेंट प्रोग्राम	2.00	0.60	30
30	खदान एवं भू-विज्ञान	खदान एवं खनिजों का विकास- स्थापना व्यय	1.20	0.37	31
31	इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी	राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस कार्य प्लान	38.60	22.63	59
32	सिविल एविएशन	एयरोड्रोमज का रखरखाव	20.00	8.61	43
33		स्पेयर पार्ट्स, एयर क्राफ्ट्स एवं अन्य उपकरणों की खरीद, एयरफ्रेमज तथा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ओवरहालिंग वर्कशाप	4.16	0.89	21
34	पी.डब्ल्यू.डी. (भवन एवं सड़कें)	न्याय प्रशासन	60.00	25.97	43
35	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	एच.ए.आर.एस.ए.सी. को सहायतानुदान	4.20	3.27	78
36	पर्यावरण	गुरुग्राम में पर्यावरण प्रशिक्षण संस्थान (एस.जे.एस.)	2.00	1.51	76
37	पर्यटन	डेस्टीनेशनज एवं सर्किट्स के लिए मूलभूत संरचना विकास : (ii) पर्यटकों के लिए मूलभूत संरचना का विकास महेंद्र-माधोगढ़ डेस्टीनेशन के रूप में	2.00	0.57	29
38	प्राथमिक शिक्षा	सुविधाओं का विस्तार कक्षाएं I-V (फुल टाइम): (i) प्राइमरी स्कूलों का पूर्ण रूप से प्राइमरी स्कूलों में उन्नयन (ii) स्कूलों में क्लीन एंड हेल्दी लर्निंग एनवायरनमेंट प्रदान करना	197.00	131.42	67
39		कक्षा VI में एस.सी. छात्रों को मुफ्त साइकिल प्रदान करना	6.00	2.19	37
40		कक्षा I-VIII के एस.सी. विद्यार्थियों के लिए नकद पुरस्कार	85.00	66.31	78
41		मिड डे मील स्कीम (प्राइमरी एवं मिडल शिक्षा में)	310.90	225.64	73
42		माध्यमिक शिक्षा	प्रशासनिक स्टॉफ - सूचना संचार प्रौद्योगिकी (आई.सी.टी.)	4.85	2.59
43	माध्यमिक शिक्षा	बुक बैंकस/लाइब्रेरी	1.00	0.71	71
44		माध्यमिक स्कूलों भवन	25.00	13.41	54
45		कक्षा 9 <sup>वीं</sup> - 12 <sup>वीं</sup> में एस.सी. विद्यार्थियों को मुफ्त साइकिल	12.00	8.43	70
46	उच्चतर शिक्षा	स्कालरशिपस (कॉलेज)	2.20	1.40	64
47		कॉलेज स्तर तथा निदेशालय स्तर पर विमेन सैल की स्थापना	1.50	1.11	74
48		सरकारी कॉलेज में एस.सी. विद्यार्थियों के लिए विशेष घटक (i) सरकारी कॉलेज में सभी एस.सी. विद्यार्थियों को वजीफा	60.00	43.17	72
49		सरकारी कॉलेज में एस.सी. विद्यार्थियों के लिए विशेष घटक (ii) सरकारी कॉलेज में एस.सी. विद्यार्थियों को निःशुल्क पुस्तकें प्रदान करना	10.00	7.32	73
50	खेल	मोती लाल नेहरू खेल स्कूल, राई में पूंजीगत कार्य	10.00	2.26	23
51		युवा विकास	3.35	2.33	70
52		मास पॉपुलराइजेशन ऑफ स्पोर्ट स्कीम	1.10	0.30	27
53		मूलभूत संरचना स्कीम	19.30	12.71	66
54		पंचायती युवा क्रिडा और खेल अभियान (पी.वाई.के.के.ए.) (100%)	14.30	0.66	5
55	चिकित्सा शिक्षा	चिकित्सा अनुसंधान एवं शिक्षा निदेशक, हरियाणा के कार्यालय की स्थापना	5.16	3.87	75

क्र. सं.	विभाग का नाम	स्कीम का नाम	संशोधित आऊटले	वास्तविक व्यय	आर.ई. के व्यय की प्रतिशतता
56	स्वास्थ्य	चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य पूंजीगत स्वास्थ्य आऊटले (स्वास्थ्य संस्थान का निर्माण)	50.00	9.05	18
57		उपकरण की मरम्मत/ए.एम.सी./ सी.एम.सी./दवाओं की खरीद तथा पी.एच.सी./सी.एच.सीज के लिए सामग्री	8.50	4.45	52
58		निदेशालय स्तर एवं जिला स्तर पर कंप्यूटर सैल (आई.टी.)	1.68	0.87	52
59		डी-एडीक्शन सेंटरों का सुदृढीकरण	2.20	1.51	69
60		राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एन.एच.एम.)	500.00	392.75	79
61		गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले लोगों को निःशुल्क चिकित्सा उपचार प्रदान करना (आरोग्य कोष)	1.10	0.75	68
62	आयुष	आई.एस.एम. एंड आर., पंचकुला के सरकारी संस्थान तथा संस्थान के कंपस में आयुर्वेद निदेशालय के भवन का निर्माण	3.50	0.94	27
63	कर्मचारी राज्य बीमा	जिला स्टॉफ - स्थापना व्यय	8.70	6.60	76
64	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी	ग्रामीण:विशेष घटक सब-प्लान (ii) ग्रामीण क्षेत्रों में अनुसूचित जाति बहुल निवास स्थलों को जलापूर्ति	25.00	10.79	43
65		ग्रामीण: जलापूर्ति की वृद्धि	225.00	167.55	74
66		शहरी: भूमि की वार्षिकी	4.00	2.86	72
67		शहरी: जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग का संस्थागत सुदृढीकरण	3.00	2.18	73
68		शहरी: आई.ई.सी. गतिविधियां	1.00	0.72	72
69	शहरी स्थानीय निकाय	स्टॉम्प शुल्क की आय से स्थानीय निकाय को अंशदान- नगर निगम	286.00	89.42	31
70		प्राकृतिक आपदाओं के कारण वाणिज्यिक संपत्ति की हानि की क्षतिपूर्ति हेतु स्कीम	77.00	60.83	79
71		राष्ट्रीय शहरी जीविका मिशन	41.00	26.79	65
72	अनुसूचित जातियों तथा पिछड़े वर्गों का कल्याण	डॉ. अंबेडकर मेधावी छात्र योजना	30.00	16.19	54
73		बी.सी. विद्यार्थियों के लिए प्री-मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम (50:50)	6.00	3.79	63
74		एस.सी. विद्यार्थियों के लिए पोस्ट-मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम (100%)	200.00	101.23	51
75		स्किल डिवेलपमेंट कार्यक्रम- अनुसूचित जातियों के लिए विभिन्न क्षेत्र	12.00	3.00	25
76	श्रम	श्रम विभाग का कंप्यूटरीकरण (आई.टी.)	2.00	1.47	74
77		फरीदाबाद, गुरुग्राम में लेबर कोर्ट काम्प्लेक्स का निर्माण	3.50	1.91	55
78	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता	राज्य स्तर परियोजना/विशेष आवश्यकता वाले व्यक्तियों के लिए होम,रोहतक (सिरतार)	3.25	2.16	66
79	महिला एवं बाल विकास	एकीकृत बाल विकास सेवाएं स्कीम	6.13	4.65	76
80		घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा	1.50	0.92	61
81		ए.डब्ल्यू.सीज के निर्माण हेतु नाबार्ड ऋण	28.50	19.79	69
82		जे.जे. एक्ट के अंतर्गत होमज का निर्माण	7.00	2.51	36

क्र. सं.	विभाग का नाम	स्कीम का नाम	संशोधित आउटले	वास्तविक व्यय	आर.ई. के व्यय की प्रतिशतता
83		वालंटरी सेंक्टर का सुदृढीकरण (प्रशिक्षण-सह-उत्पादन केंद्र तथा स्टाइपेंडरी स्कीमें) - बाल कल्याण परिषद, भारतीय ग्रामीण सहित विशिष्ट हेतु अन्य सरकारी तथा सरकारी समर्थनप्राप्त एन.जी.ओज पर्पज महिला संघ को सहायतानुदान	14.00	6.00	43
84		आंगनवाड़ी प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना (उडीशा परियोजना)	5.00	2.71	54
85		बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम	10.00	3.06	31
86	पोषण	किशोरी शक्ति योजना	4.75	3.12	66
87		किशोरियों के सशक्तिकरण हेतु राजीव गांधी स्कीम (आर.जी.एस.ई.ए.जी.)-सबला	28.26	9.85	35
88	औद्योगिक प्रशिक्षण एवं व्यावसायिक	एस.सी./एस.टी. विद्यार्थियों को स्किल प्रशिक्षण (ग) एस.सी. विद्यार्थियों के लिए स्किल प्रशिक्षण	5.90	2.25	38
89	शिक्षा	स्किल डिवेलपमेंट इनिशिएटिव (100%)	6.00	0.19	3
90		विशेष केंद्रीय सहायता सिस्टम के अंतर्गत एस.सी., एस.टी. के लिए विशेष प्रशिक्षण संचालित करना (100%)	1.00	0.27	27
91	खाद्य एवं आपूर्ति	टी.पी.डी.एस. का एंड-टू-एंड कंप्यूटरीकरण	8.00	1.62	20
92	लोक निर्माण (सामान्य प्रशासन)	न्याय प्रशासन	30.00	17.03	57
93	अन्य सामान्य सेवाएं (खजाना एवं लेखा)	मुख्यालय स्टॉफ - सूचना प्रौद्योगिकी	1.50	0.95	63
		<b>कुल</b>	<b>3,273.29</b>	<b>1,981.65</b>	<b>61</b>

**परिशिष्ट 2.15**

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.5.3 (viii); पृष्ठ 47)

प्लान स्कीमों (₹ एक करोड़ और अधिक) के ब्यौरे जिनके लिए संशोधित अनुमानों में प्रावधान रखा गया था परंतु संशोधित अनुमानों के 80 प्रतिशत से कम व्यय किया गया था

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विभाग का नाम	स्कीम का नाम	अनुमोदित आऊटले	संशोधित आऊटले	वास्तविक व्यय	संशोधित आऊटले से व्यय की प्रतिशतता
1	फसल पालन	मक्खी पालन	-	1.40	1.08	77
2	तकनीकी शिक्षा	ग्राम दुधोला, जिला पलवल में विश्वकर्मा स्किल युनिवर्सिटी	-	5.00	1.50	30
3		सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज, नीलोखेड़ी की स्थापना	-	2.38	1.55	65
4	पुलिस	विशेष महिला पुलिस वालंटियर	-	1.29	0.32	25
5		क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम (सी.सी.टी.एन.एस.)		25.85	5.48	21
		<b>कुल</b>		<b>35.92</b>	<b>9.93</b>	<b>28</b>

## परिशिष्ट 2.16

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.5.3 (ix); पृष्ठ 48)

प्लान स्कीमों (₹ एक करोड़ और अधिक) के ब्यौरे जिनके लिए संशोधित अनुमानों में प्रावधान रखा गया था परंतु कोई व्यय नहीं किया गया

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विभाग का नाम	स्कीम का नाम	संशोधित आऊटले
1	वन	ससटेनेबल कृषि हेतु राष्ट्रीय मिशन के अंतर्गत कृषि-वानिकी (एन.एम.एस.ए.)	5.83
2	ग्रामीण विकास	श्यामा प्रसाद मुखर्जी शहरी मिशन (एस.पी.एम.आर.एम.)	54.60
3	पी.डब्ल्यू.डी. (भवन एवं सड़कें)	आवास स्कीम (iv) सब-डिवीजन स्तर पर आवासीय काम्प्लेक्स/ट्रांजिट फ्लैट्स (एस.जे.एस.)	10.00
4	स्वास्थ्य	स्वर्ण जयंती योजना का कार्यान्वयन	14.90
5	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी	शहरी: ग्रामीण तथा शहरी जलापूर्ति तथा सीवरेज कार्यों के लिए अधिगृहीत भूमि हेतु मुआवजा	8.95
6	पुलिस	पुलिस कार्मिकों के लिए योग प्रशिक्षण	1.73
7	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता	प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पी.एम.एस.बी.वाई.)	7.30
8		एक्सेसिबल इंडिया कैम्पेन सुगम्य भारत अभियान (एस.आई.पी.डी.ए.)	6.00
9	अन्य सामान्य सेवाएं (गृह)	सिविल डिफेंस का पुनरूद्धार	2.45
		कुल	111.76

प्लान स्कीमों (₹ एक करोड़ और अधिक) के ब्यौरे जिनके लिए बजट अनुमान बढ़ाए गए थे परंतु कोई व्यय नहीं किया गया था

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विभाग का नाम	स्कीम का नाम	अनुमोदित आऊटले	संशोधित आऊटले	वास्तविक व्यय
1	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी	एस.सी.एस.पी. के अंतर्गत राष्ट्रीय नदी संरक्षण प्लान	2.20	4.07	0.00
		कुल	2.20	4.07	0.00

परिशिष्ट 2.17

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.5.3 (xi); पृष्ठ 48)

प्लान स्कीमों (₹ एक करोड़ और अधिक) के ब्यौरे जिनके लिए बजट अनुमान बढ़ाए गए थे परंतु व्यय, संशोधित अनुमानों के 80 प्रतिशत से कम था

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विभाग का नाम	स्कीम का नाम	अनुमोदित आऊटले	संशोधित आऊटले	वास्तविक व्यय	संशोधित आऊटले से व्यय की प्रतिशतता
1	मछली पालन	18 जिलों में मछली किसान विकास एजेंसी हेतु स्कीम	4.00	12.09	7.10	59
2	एकीकृत ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रम	ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रम	1.80	2.06	1.62	79
3	सामुदायिक विकास	स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)	125.00	193.61	114.65	59
4	सड़क परिवहन	सड़क सुरक्षा जागरूकता एवं रेगुलेटरी विंग का कंप्यूटरीकरण	3.00	11.10	6.85	62
5	पर्यटन	प्रशिक्षण संस्थान का आधुनिकीकरण/उन्नयन राज्य होटल मैनेजमेंट संस्थान (एस.जे.एस.)	3.77	5.51	4.03	73
6	प्राथमिक शिक्षा	सर्व शिक्षा अभियान (एस.एस.ए.)	786.00	850.00	652.85	77
7	माध्यमिक शिक्षा	माध्यमिक स्तर पर अशक्तों के लिए समावेशी शिक्षा (आई.ई.डी.एस.एस.)	3.01	15.00	6.18	41
8	पुरातत्व	प्राचीन स्मारक स्थलों की सुरक्षा/संरक्षण विकास	1.44	2.14	1.53	71
9	खाद्य एवं औषध प्रशासन	स्थापना	3.48	4.00	3.08	77
10	आयुष	सरकारी आयुर्वेदिक/यूनानी/ होम्योपैथिक डिस्पेंसरियों के भवन का निर्माण/मरम्मत	0.40	4.64	1.79	39
11	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी	राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एन.आर.डी.डब्ल्यू.पी.): (ii) मरुस्थल विकास कार्यक्रम	33.30	54.00	30.08	56
12		राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एन.आर.डी.डब्ल्यू.पी.): (iii) अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक प्लान के अंतर्गत डी.डी.पी.	11.70	19.00	10.36	55
13	शहरी स्थानीय निकाय	कुरूक्षेत्र विकास बोर्ड को सहायतानुदान	7.00	19.00	13.75	72
14	अनुसूचित जातियों तथा पिछड़े वर्गों का कल्याण	पी.सी.आर. एक्ट, 1955 का कार्यान्वयन (iii) अत्याचारों के शिकार को वित्तीय राहत	4.00	6.00	4.30	72
15	महिला एवं बाल विकास	एकीकृत बाल सुरक्षा स्कीम (आई.सी.पी.एस.)	7.50	27.50	7.50	27
16	औद्योगिक प्रशिक्षण एवं व्यावसायिक शिक्षा	आई.टी.आईज का विकास	110.00	147.51	112.18	76
17	खाद्य एवं आपूर्ति	दाल रोटी स्कीम	160.00	270.50	191.73	71
		<b>कुल</b>	<b>1,265.40</b>	<b>1,643.66</b>	<b>1,169.58</b>	<b>71</b>

## परिशिष्ट 2.18

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.6.1 (ii); पृष्ठ 48)

पूर्वानुमानित बचत अभ्यर्पित नहीं की गई

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	स्कीम का नाम तथा लेखा शीर्ष	कुल बजट	व्यय	बचत	अभ्यर्पित की गई राशि	अभ्यर्पित नहीं की गई
	1	2	3	4 (2-3)	5	6 (4-5)
1	खेल कोचिंग केंपों की स्थापना (2204-001-98)	9.84	8.10	1.74	1.37	0.37
2	खेल निदेशालय के लिए आवश्यक स्टाँफ की नियुक्ति (2204-001-99)	7.88	6.99	0.89	0.5	0.39
3	राष्ट्रीय कैडेट कोर पर व्यय (2204-102-99)	15.21	12.31	2.9	2.73	0.17
4	खेल नर्सरी (2204-104-69)	1.22	0.94	0.28	0.27	0.01
5	नई कोचिंग स्कीम (2204-104-98)	1.46	1.26	0.2	0.19	0.01
	<b>कुल (राजस्व)</b>	<b>35.61</b>	<b>29.60</b>	<b>6.01</b>	<b>5.06</b>	<b>0.95</b>

**परिशिष्ट 2.19**

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.6.1 (iv); पृष्ठ 48)

**पिछले तीन वर्षों की सतत बचतों से संबंधित शीर्ष-वार विवरण**

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विस्तृत शीर्ष स्कीम-वार (लेखा शीर्ष)	वर्ष	कुल बजट	व्यय	बचत	बचत का प्रतिशत
1	खेल कोचिंग कैंपों की स्थापना (2204-001-98)	2016-17	9.84	8.10	1.74	18
		2015-16	10.60	7.86	2.74	26
		2014-15	12.26	9.21	3.05	25
2	डी.एच.ई हरियाणा में एन.सी.सी. सैल खोलना (2204-102-93)	2016-17	0.75	0.21	0.54	72
		2015-16	1.00	0.09	0.91	91
		2014-15	2.00	0.32	1.68	84
3	फील्ड स्टॉफ (2204-102-94)	2016-17	0.90	0.03	0.87	97
		2015-16	0.90	0.00	0.90	100
		2014-15	6.00	1.31	4.69	78
4	भारत सरकार तथा हरियाणा सरकार द्वारा 7:5 के अनुपात पर एन.एस.एस. स्कीम के अंतर्गत विश्वविद्यालयों को सहायतानुदान (2204-102-96)	2016-17	2.00	0.00	2.00	100
		2015-16	3.30	0.00	3.30	100
		2014-15	3.00	1.72	1.28	43
5	वार्षिक कैडेट कैंपों पर व्यय (2204-102-98)	2016-17	1.31	1.06	0.25	19
		2015-16	1.46	1.13	0.33	23
		2014-15	1.25	0.88	0.37	29
6	सूचना सिस्टम स्कीम का आधुनिकीकरण (2204-104-53)	2016-17	0.70	0.58	0.12	18
		2015-16	0.50	0.18	0.32	63
		2014-15	1.00	0.70	0.30	30
7	मास पॉपुलराइजेशन ऑफ स्पोर्ट (2204-104-55)	2016-17	1.10	0.30	0.80	73
		2015-16	1.30	0.77	0.53	40
		2014-15	1.00	0.68	0.32	32
8	मानव संसाधन विकास स्कीम (2204-104-56)	2016-17	42.25	27.05	15.20	36
		2015-16	31.12	19.84	11.28	36
		2014-15	18.00	11.27	6.73	37
9	मूलभूत संरचना स्कीम (2204-104-57)	2016-17	5.30	0.00	5.30	100
		2015-16	5.00	0.00	5.00	100
		2014-15	7.75	3.00	4.75	61
10	गहन प्रशिक्षण स्कीम (2204-104-89)	2016-17	0.02	0.01	0.01	50
		2015-16	0.05	0.00	0.05	100
		2014-15	0.05	0.00	0.05	100
11	कैश अवार्ड्स (2204-104-93)	2016-17	0.20	0.13	0.07	33
		2015-16	0.65	0.18	0.47	73
		2014-15	0.30	0.15	0.15	50
12	खेल के मैदानों का रख-रखाव (2204-104-94)	2016-17	0.12	0.06	0.06	50
		2015-16	0.18	0.05	0.13	73
		2014-15	0.15	0.12	0.03	20

## परिशिष्ट 2.20

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.6.1 (v); पृष्ठ 49)

2016-17 के दौरान अनुदान संख्या 11 (खाद्य एवं आपूर्ति) के अंतर्गत मासिक/तिमाही व्यय के विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	स्कीम का नाम	वर्ष के दौरान कुल व्यय	वर्ष की अंतिम तिमाही के दौरान व्यय		अंतिम माह का व्यय	कुल व्यय की प्रतिशतता
			राशि	कुल व्यय की प्रतिशतता		
1	एस.बी.-91 हिसार में नई गर्ल्स एन.सी.सी. बटालियन खोलना	0.63	0.25	40	0.16	25
2	एस.बी.-93 डी.एच.ई हरियाणा में एन.सी.सी. सैल खोलना	0.21	0.07	32	0.03	14
3	एस.बी.-94 फील्ड स्टॉफ	0.03	0.03	100	0.02	67
4	एस.बी.-47 खेल गतिविधियों को प्रोत्साहन	58.90	17.67	30	15.92	27
5	एस.बी.-48 पंचायती युवा क्रीड़ा तथा खेल अभियान (पी.वाई.के.के.ए.)	0.66	0.66	100	0.66	100
6	एस.बी.-51 राज्य खेल परिषद स्कीम	1.00	1.00	100	1.00	100
7	एस.बी.-54 युवा विकास स्कीम	2.33	1.08	46	0.35	15
8	एस.बी.-56 मानव संसाधन विकास स्कीम	27.05	13.85	51	11.90	44
9	एस.बी.-57 मूलभूत संरचना स्कीम	105.48	57.04	54	40.18	38
10	एस.बी.-69 खेल नर्सरी	0.94	0.44	47	0.38	40
11	एस.बी.-86 खेल उपकरण स्कीम	14.99	4.49	30	4.49	30
12	एस.बी.-89 गहन प्रशिक्षण स्कीम	0.01	0.01	100	0.01	100
13	एस.बी.-94 खेल के मैदानों का रख-रखाव	0.06	0.04	67	0.02	33
14	एस.बी.-96 स्कूली बच्चों को स्कॉलरशिप	0.15	0.15	100	0.15	100
15	एस.बी.-97 खेल परिषद सहायतानुदान	0.06	0.06	100	0.06	100
16	एस.बी.-99 अनुसूचित जातियों के लिए मूलभूत संरचना स्कीम	12.71	4.09	32	3.60	28
17	एस.बी.-96 खेल एवं उपकरण का प्रावधान तथा स्कूलों में खेल के मैदानों का विकास	3.50	1.65	47	0.45	13
	<b>कुल</b>	<b>228.71</b>	<b>102.58</b>	<b>45</b>	<b>79.38</b>	<b>35</b>

**परिशिष्ट 2.21**

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.6.2 (iii); पृष्ठ 49)

स्कीमों के विवरण जहां मूल बजट प्रदान किया गया था लेकिन पुनर्विनियोजन द्वारा वापस ले लिया गया

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	लेखा शीर्ष	स्कीम का नाम	मूल बजट	पुनर्विनियोजन
1	2225-01-277-70	बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना	5.00	5.00
2	2225-01-277-84	गर्ल्ज ब्वायज हॉस्टल	1.00	1.00
3	2225-01-793-78	अनुसूचित जातियों एवं अन्य के लिए मूलभूत संरचना विकास कार्यक्रम	1.20	1.20
4	2225-01-793-80	अनुसूचित जातियों के 50% से अधिक बाहुल्य वाले गांवों में एस.पी.वी. स्ट्रीट लाइटिंग सिस्टम	5.00	5.00
5	2225-03-277-91	अनुसूचित जातियों के विद्यार्थियों को डीनोटिफाइड ट्राइब्स (डी.एन.टीज) हेतु डॉ. अंबेडकर प्री-मैट्रिक एवं पोस्ट-मैट्रिक स्कॉलरशिप	2.50	2.50
6	2225-03-277-92	ओ.बी.सी. ब्वायज तथा गर्ल्ज के लिए हॉस्टल का निर्माण	5.00	5.00
7	2225-03-277-93	पिछड़े वर्गों के विद्यार्थियों को पोस्ट-मैट्रिक स्कॉलरशिप	30.00	30.00
8	4225-03-800-99	हॉस्टलों के निर्माण के लिए नानाजी देशमुख स्कीम	4.00	4.00
		<b>कुल</b>	<b>53.70</b>	<b>53.70</b>

## परिशिष्ट 2.22

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.6.2 (iv); पृष्ठ 49)

पिछले तीन वर्षों की सतत बचतों से संबंधित शीर्ष-वार विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	लेखा शीर्ष	वर्ष	कुल बजट	व्यय	बचत	बचत की प्रतिशतता
1.	अस्वच्छ व्यवसाय में लगे हुए बच्चों को प्री-मैट्रिक एवं पोस्ट-मैट्रिक स्कॉलरशिप हेतु स्टॉफ (2225-01-001-96)	2016-17	1.49	0.98	0.51	34
		2015-16	1.61	0.98	0.63	39
		2014-15	1.37	0.91	0.46	34
2.	अनुसूचित जातियों के परीक्षार्थियों के लिए पूर्व-परीक्षा प्रशिक्षण केंद्र (2225-01-001-97)	2016-17	1.45	1.06	0.39	27
		2015-16	1.56	1.01	0.55	35
		2014-15	1.30	1.05	0.25	19
3.	जिला स्टॉफ (2225-01-001-98)	2016-17	26.32	21.01	5.31	20
		2015-16	27.77	19.49	8.28	30
		2014-15	23.16	18.83	4.33	19
4.	मुख्यालय स्टॉफ: स्थापना व्यय (2225-01-001-99)	2016-17	7.06	5.81	1.25	18
		2015-16	5.55	4.01	1.53	28
		2014-15	5.42	3.64	1.78	33
5.	जिला स्टॉफ (2225-01-102-97)	2016-17	0.90	0.54	0.36	41
		2015-16	1.10	0.56	0.54	49
		2014-15	1.20	0.81	0.39	33
6.	बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना (2225-01-277-70)	2016-17	5.00	0.00	5.00	100
		2015-16	3.00	2.00	1.00	33
		2014-15	2.00	0.00	2.00	100
7.	अनुसंधान तथा अध्ययन (2225-01-277-72)	2016-17	0.30	0.06	0.24	80
		2015-16	0.10	0.09	0.01	10
		2014-15	0.12	0.00	0.12	100
8.	एस.सी./एस.टी. विद्यार्थियों की मैरिट का उन्नयन (2225-01-277-80)	2016-17	0.15	0.07	0.08	53
		2015-16	0.10	0.07	0.03	30
		2014-15	0.15	0.07	0.08	53
9.	गर्ल्स ब्वॉयज हॉस्टल (2225-01-277-84)	2016-17	1.00	0.00	1.00	100
		2015-16	0.95	0.00	0.95	100
		2014-15	2.00	0.00	2.00	100
10.	एस.सी. विद्यार्थियों को उच्चतर प्रतियोगी परीक्षा के लिए वित्तीय सहायता (2225-01-277-88)	2016-17	0.50	0.40	0.10	20
		2015-16	0.50	0.00	0.50	100
		2014-15	3.50	0.00	3.50	100
11.	अनुसूचित जातियों को पोस्ट-मैट्रिक स्कॉलरशिप (2225-01-277-99)	2016-17	313.87	238.99	74.88	24
		2015-16	388.12	176.31	211.81	55
		2014-15	129.76	109.18	20.58	16

क्र. सं.	लेखा शीर्ष	वर्ष	कुल बजट	व्यय	बचत	बचत की प्रतिशतता
12.	डॉ. बी.आर. अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना (अनुसूचित जातियों के लिए आवास स्कीम) (2225-01-283-99)	2016-17	40.00	10.00	30.00	75
		2015-16	40.00	6.57	33.43	84
		2014-15	40.00	28.84	11.16	28
13.	अनुसूचित जातियों के 50% से अधिक बाहुल्य वाले गांवों में एस.पी.वी. स्ट्रीट लाईटिंग सिस्टम (2225-01-793-80)	2016-17	5.00	0.00	5.00	100
		2015-16	5.00	0.00	5.00	100
		2014-15	5.00	0.00	5.00	100
14.	इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी विवाह शगुन योजना- मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के रूप में नाम बदला गया (2225-01-800-82)	2016-17	100.00	80.18	19.82	20
		2015-16	89.84	67.17	22.67	25
		2014-15	75.00	65.71	9.29	12
15.	अन्तर्जातीय विवाह हेतु प्रोत्साहन- मुख्यमंत्री सामाजिक समरसता अन्तर्जातीय विवाह शगुन योजना के रूप में नाम बदला गया (2225-01-800-89)	2016-17	3.95	2.40	1.55	39
		2015-16	2.00	1.80	0.20	10
		2014-15	2.00	1.25	0.75	38
16.	कानूनी सहायता (2225-01-800-90)	2016-17	0.06	0.02	0.04	67
		2015-16	0.06	0.02	0.04	67
		2014-15	0.06	0.02	0.04	67
17.	ओ.बी.सी. ब्वायज तथा गर्ल्स के लिए हॉस्टल का निर्माण (2225-03-277-92)	2016-17	5.00	0.00	5.00	100
		2015-16	5.00	0.00	5.00	100
		2014-15	4.80	0.00	4.80	100
18.	पिछड़े वर्गों के विद्यार्थियों को पोस्ट-मैट्रिक स्कॉलरशिप (2225-03-277-93)	2016-17	37.36	5.12	32.24	86
		2015-16	35.56	11.78	23.78	67
		2014-15	12.36	4.11	8.25	67
19.	हरियाणा राज्य वित्त विकास निगम को प्रोत्साहन गतिविधियों, वसूली एवं मूल्यांकन हेतु 1% एवं 3% की दर पर शेयर पूंजी एवं मैचिंग असिस्टेंस (4225-01-190-99)	2016-17	1.30	0.96	0.34	26
		2015-16	1.96	1.00	0.96	49
		2014-15	1.96	0.00	1.96	100
20.	कल्याण भवन का निर्माण (4225-01-800-99)	2016-17	5.00	0.86	4.14	83
		2015-16	0.40	0.00	0.40	100
		2014-15	0.01	0.00	0.01	100

## परिशिष्ट 2.23

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.6.2 (v); पृष्ठ 49)

वित्तीय वर्ष 2016-17 के अंत में व्यय के वेग के मामले

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	स्कीम का नाम	वर्ष के दौरान कुल व्यय	वर्ष की अंतिम तिमाही के दौरान व्यय		अंतिम माह का व्यय
			राशि	कुल व्यय की प्रतिशतता	
1	एस.बी.-99 द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग के लिए स्टॉफ	1.38	0.70	51	0.62
2	एस.बी.-99 मुख्यालय स्टॉफ (स्थापना व्यय)	5.81	1.87	32	1.20
3	एस.बी.-97 अनुसूचित जातियों के परीक्षार्थियों के लिए पूर्व-परीक्षा प्रशिक्षण केंद्र	1.06	0.33	31	0.17
4	एस.बी.-97 जिला स्टॉफ	0.54	0.24	44	0.12
5	एस.बी.-88 एस.सी. विद्यार्थियों को उच्चतर प्रतियोगी परीक्षा के लिए वित्तीय सहायता.	0.40	0.40	100	0.40
6	एस.बी.-99 डॉ. बी.आर. अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना	10.00	10.00	100	10.00
7	एस.बी.-82 इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी विवाह शगुन योजना- मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के रूप में नाम बदला गया	80.18	33.87	42	17.73
8	एस.बी.-77 डॉ. अंबेडकर मेधावी छात्र योजना	16.19	8.70	54	2.96
9	एस.बी.-99 मुख्यालय स्टॉफ (सूचना प्रौद्योगिकी)	0.20	0.12	60	0.12
10	एस.बी.-73 कंप्यूटर के माध्यम से एस.सी./बी.सी. बेरोजगार युवाओं के टाईपिंग एंड डाटा एण्ट्री स्किल का उन्नयन	0.46	0.13	28	0.11
11	एस.बी.-80 महान संतों की जयंतियां मनाना- डॉ. बी.आर. अंबेडकर, गुरु रविदास, महर्षि बाल्मिकी तथा संत कबीर दास की जयंतियां	0.29	0.29	100	0.29
12	एस.बी.-95 पिछड़े वर्गों के विद्यार्थियों को पोस्ट-मैट्रिक स्कॉलरशिप	3.84	2.26	59	2.26
13	एस.बी.-90 कानूनी सहायता	0.02	0.01	50	0.01
14	एस.बी.-89 अन्तर्जातीय विवाह हेतु प्रोत्साहन	2.40	0.86	36	0.50
15	एस.बी.-85 अत्याचारों के शिकार को वित्तीय राहत	4.30	1.35	31	1.32
16	एस.बी.-88 पंचायतों को उनके बेहतर कार्य के लिए प्रोत्साहन पुरस्कार	0.48	0.39	81	0.31
17	एस.बी.-87 डिबेट्स एंड सेमिनार्ज ऑन रीमूवल ऑफ अनटचेबिलिटी	0.05	0.03	60	0.03
18	एस.बी.-84 स्कीमों का प्रचार	0.20	0.17	85	0.16
19	एस.बी.-99 अनुसूचित जातियों को पोस्ट-मैट्रिक स्कॉलरशिप	125.23	84.22	67	67.43
20	एस.बी.-99 पारंपरिक स्कीमों जैसे डेयरी, सूअरपालन तथा अन्य स्कीमों के लिए सबसिडी	7.39	4.89	66	0.00
21	एस.बी.-99 हरियाणा राज्य वित्त विकास निगम को प्रोत्साहन गतिविधियों, वसूली एवं मूल्यांकन हेतु 1% एवं 3% की दर पर शेयर पूंजी एवं मैचिंग असिस्टेंस	0.96	0.96	100	0.96
22	एस.बी.-98 भूमिहीन हरिजनों को निवास स्थलों के आबंटन हेतु भूमि का अधिग्रहण (आर.ई.वी.)	1.14	1.14	100	0.00
	<b>कुल</b>	<b>262.52</b>	<b>152.93</b>	<b>58</b>	<b>106.70</b>

परिशिष्ट 3.1

(संदर्भ: अनुच्छेद 3.1; पृष्ठ 51)

31 मार्च 2017 को देय, प्राप्त एवं बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्रों के ब्यौरे

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	शीर्ष का नाम	वर्ष	कुल प्रदत्त अनुदान		देय उपयोगिता प्रमाण-पत्र		प्राप्त उपयोगिता प्रमाण-पत्र		बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्र	
			मदें	राशि	मदें	राशि	मदें	राशि	मदें	राशि
1	उद्योग (2852)	2011-12	13	6.77	2	0.02	0	0.00	2	0.02
		2012-13	32	10.74	2	0.01	0	0.00	2	0.01
		2013-14	49	20.04	6	8.47	3	4.69	3	3.78
		2014-15	184	39.39	12	12.92	5	2.91	7	10.01
		2015-16	28	31.02	28	31.02	7	3.65	21	27.36
2	पुलिस (2055)	2014-15	4	68.00	4	68.00	3	48.00	1	20.00
		2015-16	3	65.17	3	65.17	2	35.33	1	29.84
3	वानिकी एवं वन्यजीव (2406)	2015-16	1	2.89	1	2.89	0	0.00	1	2.89
4	पशुपालन (2403)	2014-15	18	81.55	6	2.12	3	2.00	3	0.12
		2015-16	43	82.77	43	82.77	13	70.86	30	11.91
5	ऊर्जा का अपारंपरिक स्रोत (2810)	2015-16	5	1.21	5	1.21	2	1.15	3	0.06
6	सामाजिक सुरक्षा और कल्याण (2235)	2013-14	15	10.75	1	3.49	0	0.00	1	3.49
		2014-15	33	43.71	23	30.12	13	14.07	10	16.06
		2015-16	355	50.55	355	50.55	311	29.12	44	21.43
7	खेल एवं युवा सेवाएं (2204)	2014-15	349	61.91	57	9.14	56	9.01	1	0.13
		2015-16	130	124.02	130	124.02	46	79.87	84	44.15
8	सामान्य शिक्षा (2202)	2013-14	150	677.49	1	2.69	0	0.00	1	2.69
		2014-15	739	1,382.54	13	33.73	5	32.72	8	1.01
		2015-16	1,063	1,542.62	1,063	1,542.62	1,003	760.36	60	782.26
9	ग्रामीण विकास (2505 एवं 2515)	2008-09	69	412.16	2	0.40	0	0.00	2	0.40
		2009-10	68	366.26	11	98.90	1	80.00	10	18.90
		2010-11	48	267.83	13	51.58	0	0.00	13	51.58
		2011-12	442	808.23	109	315.83	5	13.57	104	302.26
		2012-13	401	961.88	231	501.61	89	175.11	142	326.50
		2013-14	410	1,353.50	215	788.37	37	142.76	178	645.61
		2014-15	4,036	1,525.02	370	1,218.53	154	381.72	216	836.81
2015-16	3,893	1,547.46	3,893	1,547.46	3,517	292.82	376	1,254.64		
10	विशेष प्रोग्राम एवं ग्रामीण विकास (2501)	2014-15	79	52.04	2	8.34	0	0.00	2	8.34
		2015-16	103	64.19	103	64.19	40	10.19	63	54.00
11	शहरी विकास (2217)	2011-12	64	894.67	4	12.53	2	2.66	2	9.87
		2012-13	96	1,274.01	53	868.22	6	7.96	47	860.26
		2013-14	73	1,120.80	48	1,004.01	4	43.31	44	960.70
		2014-15	87	1,115.43	74	988.64	1	30.00	73	958.64
		2015-16	122	1,478.70	122	1,478.70	10	58.50	112	1,420.20

क्र. सं.	शीर्ष का नाम	वर्ष	कुल प्रदत्त अनुदान		देय उपयोगिता प्रमाण-पत्र		प्राप्त उपयोगिता प्रमाण-पत्र		बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्र	
			मदें	राशि	मदें	राशि	मदें	राशि	मदें	राशि
12	सहकारिता (2425)	2015-16	18	108.12	18	108.12	17	106.51	1	1.61
13	फसल पालन (2401)	2015-16	7	130.73	7	130.73	5	109.07	2	21.66
14	ग्रामीण एवं लघु उद्योग (2851)	2015-16	17	24.67	17	24.67	16	24.51	1	0.16
15	मछली पालन (2405)	2014-15	42	2.16	5	0.09	0	0.00	5	0.09
		2015-16	64	3.89	64	3.89	35	2.94	29	0.95
16	अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान (3425)	2012-13	28	17.41	1	10.50	0	0.00	1	10.50
		2013-14	23	18.11	1	10.50	0	0.00	1	10.50
		2015-16	52	21.94	52	21.94	41	12.34	11	9.60
17	सूचना एवं प्रचार (2220)	2014-15	23	15.89	16	12.26	9	7.62	7	4.64
		2015-16	42	9.08	42	9.08	9	1.73	33	7.35
18	इकोलोजी एवं पर्यावरण (3435)	2012-13	6	1.22	6	1.22	3	0.26	3	0.96
		2013-14	5	1.17	5	1.17	1	0.22	4	0.95
		2014-15	12	2.17	12	2.17	2	0.39	10	1.78
		2015-16	8	2.15	8	2.15	1	0.40	7	1.75
19	संसद/स्टेट/यू.टी. विधायिका (2011)	2015-16	1	0.35	1	0.35	0	0.00	1	0.35
20	अन्य सामाजिक सेवाएं (2250)	2015-16	2	1.16	2	1.16	0	0.00	2	1.16
21	खाद्य, भण्डारण एवं भाण्डागार (2408)	2015-16	1	0.43	1	0.43	0	0.00	1	0.43
22	मृदा एवं जल संरक्षण (2402)	2015-16	5	0.57	5	0.57	0	0.00	5	0.57
23	एस.सी., एस.टी., ओ.बी.सी. और अल्पसंख्यकों का कल्याण (2225)	2015-16	1,119	74.42	1,119	74.42	1,108	73.14	11	1.28
24	सिविल एविएशन (3053)	2015-16	4	0.40	4	0.40	2	0.11	2	0.29
25	कला एवं संस्कृति (2205)	2015-16	7	3.51	7	3.51	1	0.17	6	3.34
26	कमांड एरिया डिवेलपमेंट (2705)	2015-16	21	212.59	21	212.59	6	110.51	15	102.08
27	परिवार कल्याण (2211)	2015-16	17	0.69	17	0.69	6	0.12	11	0.57
28	कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा (2415)	2015-16	11	318.67	11	318.67	6	145.78	5	172.89
29	श्रम एवं रोजगार (2230)	2015-16	12	18.15	12	18.15	0	0.00	12	18.15
30	सिविल आपूर्ति (3456)	2015-16	28	8.22	28	8.22	2	5.14	26	3.08
कुल			14,780	18,543.19	8,487	11,995.92	6,608	2,933.30	1,879	9,062.62

परिशिष्ट 3.2

(संदर्भ: अनुच्छेद 3.2; पृष्ठ 52)

निकायों एवं प्राधिकरणों, जिनके लेखे प्राप्त नहीं हुए थे, के नाम दर्शाने वाली विवरणी

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	निकाय/प्राधिकरण का नाम	वर्ष जिनके लेखे प्राप्त नहीं हुए थे	प्राप्त अनुदान
	सहायता प्राप्त निजी महाविद्यालय		
1.	एम.पी.एन. कालेज, मुलाना (अम्बाला)	2011-12 2014-15 2015-16	1.75 2.18 2.42
2.	डी.ए.वी. महाविद्यालय, नेनोला अम्बाला	2012-13 2013-14 2014-15	1.16 1.00 1.21
3.	एस.एम.लुबाना खालसा कन्या महाविद्यालय, बराड़ा, अंबाला	2015-16	2.17
4.	एम.एल.एन. महाविद्यालय, यमुनानगर	2015-16	7.54
5.	गुरु नानक खालसा महाविद्यालय, यमुनानगर	2015-16	9.30
6.	महाराजा अग्रसेन महाविद्यालय, जगाधरी	2014-15 2015-16	1.80 2.10
7.	डी.ए.वी. महाविद्यालय, पुंडरी (कैथल)	2013-14 2014-15 2015-16	1.42 1.50 2.05
8.	सी.आई.एस. कन्या महाविद्यालय फतेहपुर पुंडरी (कैथल)	2013-14 2014-15 2015-16	2.46 2.90 2.89
9.	बी.ए.आर. जनता महाविद्यालय, कौल, कैथल	2015-16	2.03
10.	डी.ए.वी. महाविद्यालय, चीका, कैथल	2013-14 2015-16	2.42 2.54
11.	सी.आई.एस. कन्या महाविद्यालय, ढांड ढडवान, कैथल	2013-14 2014-15 2015-16	2.51 2.52 3.18
12.	आर्य कन्या महाविद्यालय, शाहबाद, कुरूक्षेत्र	2012-13 2013-14 2014-15 2015-16	3.09 3.30 3.30 3.91
13.	आई.जी. नेशनल महाविद्यालय, लाडवा, कुरूक्षेत्र	2015-16	2.83
14.	एम.एन. महाविद्यालय, शाहबाद, कुरूक्षेत्र	2015-16	2.37
15.	सी.एम.के. नेशनल कन्या महाविद्यालय, सिरसा	2013-14 2014-15 2015-16	2.52 2.72 2.89

क्र. सं.	निकाय/प्राधिकरण का नाम	वर्ष जिनके लेखे प्राप्त नहीं हुए थे	प्राप्त अनुदान
16.	डी.एन. महाविद्यालय, हिसार	2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16	5.02 5.52 7.33 6.59 6.39 6.37 7.50
17.	एस.डी. महिला महाविद्यालय, हांसी	2013-14 2014-15 2015-16	1.15 1.58 1.50
18.	टी.आर. शिक्षा महाविद्यालय, सोनीपत	2014-15 2015-16	0.57 0.85
19.	कन्या महाविद्यालय, खरखोदा (सोनीपत)	2012-13 2013-14 2015-16	1.28 1.53 1.88
20.	गीता विद्या मंदिर के.एम.वी., सोनीपत	2015-16	6.74
21.	अहीर महाविद्यालय, रेवाड़ी	2014-15 2015-16	3.54 3.49
22.	डी.ए.वी. महाविद्यालय, करनाल	2015-16	2.42
23.	गुरु नानक खालसा महाविद्यालय, करनाल	2013-14 2015-16	1.97 1.78
24.	दयाल सिंह महाविद्यालय, करनाल	2012-13 2013-14 2014-15 2015-16	5.38 6.41 6.22 6.95
25.	डा. गणेश दास डी.ए.वी. शिक्षा महाविद्यालय, करनाल	2014-15 2015-16	0.46 1.31
26.	वाई.एम. डिग्री महाविद्यालय, नूंह	2014-15 2015-16	1.72 1.91
27.	आर.एस.एल. शिक्षा महाविद्यालय, सिढरावाली गुरुग्राम	2015-16	1.19
28.	जी.जी.डी.एस.डी. महाविद्यालय, पलवल	2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16	3.87 4.29 4.51 4.43 5.65 5.77
29.	सरस्वती महिला महाविद्यालय, पलवल	2015-16	2.36
30.	डी.ए.वी. सैनटेनरी महाविद्यालय, फरीदाबाद	2010-11 2011-12 2012-13 2015-16	3.07 2.77 2.79 3.47
31.	अग्रवाल महाविद्यालय, बल्लभगढ़, फरीदाबाद	2014-15 2015-16	3.99 3.91

क्र. सं.	निकाय/प्राधिकरण का नाम	वर्ष जिनके लेखे प्राप्त नहीं हुए थे	प्राप्त अनुदान
32.	गांधी आदर्श महाविद्यालय, समालखा, पानीपत	2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16	0.86 1.04 0.52 0.72 1.03 1.64
33.	वैश्य कन्या महाविद्यालय, समालखा (पानीपत)	2006-07 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16	0.28 0.38 0.40 0.68 0.81 0.38 0.69 1.18 1.50 1.27
34.	सी.आर शिक्षा महाविद्यालय, रोहतक	2015-16	1.55
35.	जी.बी. शिक्षा महाविद्यालय, रोहतक	2014-15 2015-16	0.96 1.21
36.	वैश्य महाविद्यालय, रोहतक	2015-16	5.48
37.	वैश्य कन्या महाविद्यालय, रोहतक	2014-15 2015-16	3.39 4.28
38.	श्री एल.एन. हिंदू महाविद्यालय, रोहतक	2015-16	2.08
39.	आदर्श महिला महाविद्यालय, भिवानी	2015-16	3.88
40.	एम.ए. महिला महाविद्यालय, झज्जर	2015-16	2.89
41.	आर्य महाविद्यालय, पानीपत	2015-16	4.96
42.	सी.आर. किसान महाविद्यालय, जींद	2015-16	4.30
43.	एस.डी. महिला महाविद्यालय, नरवाना	2014-15 2015-16	1.08 1.41
44.	डी.ए.वी. महाविद्यालय, साढौरा	2015-16	2.08
45.	भगवान परशुराम महाविद्यालय, कुरूक्षेत्र	2014-15 2015-16	3.51 4.10
46.	डी.ए.वी. महाविद्यालय, पेहोवा	2015-16	4.41
47.	आर.के.एस.डी. महाविद्यालय, कैथल	2015-16	6.55
48.	गुरु हरि सिंह महाविद्यालय, जीवन नगर, सिरसा	2015-16	1.29
49.	सी.आर.एम. जाट महाविद्यालय, हिसार	2014-15 2015-16	5.66 6.46
50.	एफ.सी. महिला महाविद्यालय, हिसार	2015-16	3.59
51.	वैश्य महाविद्यालय, भिवानी	2015-16	4.59
52.	निरंकारी बाबा गुरुबचन सिंह मैमोरियल महाविद्यालय, सोहाना	2014-15 2015-16	2.26 2.03
53.	वैश्य आर्य कन्या महाविद्यालय, बहादुरगढ़	2014-15 2015-16	1.37 1.57
54.	के.एल.पी. महाविद्यालय, रेवाड़ी	2014-15 2015-16	6.39 7.66

क्र. सं.	निकाय/प्राधिकरण का नाम	वर्ष जिनके लेखे प्राप्त नहीं हुए थे	प्राप्त अनुदान
55.	डी.ए.वी. कन्या महाविद्यालय, कोसली (रेवाड़ी)	2014-15 2015-16	0.25 0.56
56.	अखिल भारतीय जाट हीरोज मैमोरियल महाविद्यालय, रोहतक	2014-15 2015-16	9.30 11.54
57.	वैश्य शिक्षा महाविद्यालय, रोहतक	2014-15 2015-16	0.66 0.80
58.	एम.के. जाट कन्या महाविद्यालय, रोहतक	2014-15 2015-16	3.15 3.86
59.	एस.डी. महाविद्यालय, अंबाला कैंट	2015-16	7.60
60.	एस.एन.आर.एल. जय राम कन्या महाविद्यालय, लोहर माजरा, कुरुक्षेत्र	2015-16	0.78
61.	डी.ए.वी. महाविद्यालय, अंबाला शहर	2015-16	7.89
62.	बी.पी.एस. खानपुर कला (सोनीपत)	2014-15 2015-16	0.32
63.	सी.आर शिक्षा महाविद्यालय, हिसार	2014-15 2015-16	1.61 1.60
64.	डी.ए.वी. कन्या महाविद्यालय, यमुनानगर	2014-15 2015-16	4.85 5.06
65.	जी.बी. शिक्षा महाविद्यालय, रोहतक	2014-15 2015-16	0.96 1.21
66.	गुरु नानक खालसा कन्या महाविद्यालय, यमुनानगर	2013-14 2015-16	6.59 9.30
67.	हिन्दू कन्या महाविद्यालय, जगाधरी, यमुनानगर	2015-16	3.73
68.	जे.वी.एम.जी.आर.आर. महाविद्यालय, चरखी दादरी	2015-16	4.64
69.	एम.एम. महाविद्यालय, फतेहाबाद	2015-16	3.46
70.	एम.डी.एस.डी. महाविद्यालय, अंबाला शहर	2015-16	2.58
71.	एम.एल.आर. सरस्वती शिक्षा महाविद्यालय, चरखी दादरी	2015-16	0.86
72.	आर.बी.एस. शिक्षा महाविद्यालय, रेवाड़ी	2015-16	0.44
73.	एस.एल.डी.ए.वी. शिक्षा महाविद्यालय, अंबाला शहर	2015-16	1.66
<b>कुल</b>			<b>455.04</b>

परिशिष्ट 3.3

(संदर्भ: अनुच्छेद 3.3; पृष्ठ 53)

स्वायत्त निकायों द्वारा नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को लेखे के प्रस्तुतिकरण तथा राज्य विधायिका को लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के प्रस्तुतिकरण के विवरण दर्शाने वाली विवरणी

क्र. सं.	निकाय का नाम	नि.म.ले.प. को लेखाओं की लेखापरीक्षा की सुपुर्दगी की अवधि	वर्ष जिस तक लेखे बनाए गए	वर्ष जिस तक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन जारी किए गए	वर्ष जिस तक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन राज्य विधायिका को प्रस्तुत किए गए	वर्ष जिसके लिए लेखे देय हैं	लेखाओं के प्रस्तुतिकरण में विलम्ब की अवधि (30 जून 2017 तक)
1.	हरियाणा खादी एवं ग्राम उद्योग बोर्ड, मनीमाजरा, चण्डीगढ़	2012-13 से 2016-17	2014-15	2014-15	2011-12	2015-16	एक वर्ष
2.	हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड, चण्डीगढ़	2013-14 से 2017-18	2015-16	2014-15	2008-09	--	--
3.	हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, पंचकुला	2017-18 से 2021-22	2015-16	2014-15	2012-13	--	--
4.	हरियाणा हाऊसिंग बोर्ड, पंचकुला	2014-15 से 2018-19	2015-16	2013-14	2011-12	--	--
5.	हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड, पंचकुला	2015-16 से 2019-20	2015-16	2015-16	2013-14	--	--
6.	हरियाणा वक्फ बोर्ड, अम्बाला छावनी	2013-14 से 2017-18 कोई सुपुर्दगी अपेक्षित नहीं। लेखापरीक्षा सी.ए.जी. के डी.पी.सी. अधिनियम 1971 की धारा 20(1) के अधीन ली गई है।	2015-16	2015-16	प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित नहीं	--	--
7.	हरियाणा राज्य कानून सेवाएं प्राधिकरण, चण्डीगढ़	कोई सुपुर्दगी अपेक्षित नहीं। लेखापरीक्षा सी.ए.जी. के डी.पी.सी. अधिनियम 1971 की धारा 19(2) के अधीन ली गई है।	2015-16	2015-16	2013-14	--	--
8.	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट- सह-सचिव, जिला कानून सेवाएं प्राधिकरण, भिवानी	-सम-	2013-14	2013-14	1996-97	2014-15 से 2015-16	दो वर्ष
9.	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट- सह-सचिव, जिला कानून सेवाएं प्राधिकरण, फरीदाबाद	-सम-	2014-15	2014-15	1996-97	2015-16	एक वर्ष

क्र. सं.	निकाय का नाम	नि.म.ले.प. को लेखाओं की लेखापरीक्षा की सुपुर्दगी की अवधि	वर्ष जिस तक लेखे बनाए गए	वर्ष जिस तक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन जारी किए गए	वर्ष जिस तक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन राज्य विधायिका को प्रस्तुत किए गए	वर्ष जिसके लिए लेखे देय है	लेखाओं के प्रस्तुतिकरण में विलम्ब की अवधि (30 जून 2017 तक)
10.	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट- सह-सचिव, जिला कानून सेवाएं प्राधिकरण, फतेहाबाद	कोई सुपुर्दगी अपेक्षित नहीं। लेखापरीक्षा सी.ए.जी. के डी.पी.सी. अधिनियम 1971 की धारा 19(2) के अधीन ली गई है।	2015-16	2015-16	1996-97	--	--
11.	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट- सह-सचिव, जिला कानून सेवाएं प्राधिकरण, गुरुग्राम	-सम-	2015-16	2012-13	1996-97	--	--
12.	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट- सह-सचिव, जिला कानून सेवाएं प्राधिकरण, झज्जर	-सम-	-	-	-	1996-97 से 2015-16	20 वर्ष
13.	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट- सह-सचिव, जिला कानून सेवाएं प्राधिकरण, कैथल	-सम-	2013-14	2013-14	1996-97	2014-15 से 2015-16	दो वर्ष
14.	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट- सह-सचिव, जिला कानून सेवाएं प्राधिकरण, पंचकूला	-सम-	2014-15	2014-15	1999-2000	2015-16	एक वर्ष
15.	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट- सह-सचिव, जिला कानून सेवाएं प्राधिकरण, पानीपत	-सम-	2010-11	2010-11	1996-97	2015-16	पांच वर्ष
16.	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट- सह-सचिव, जिला कानून सेवाएं प्राधिकरण, रेवाड़ी	-सम-	2015-16	2015-16	1996-97	--	--
17.	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट- सह-सचिव, जिला कानून सेवाएं प्राधिकरण, रोहतक	-सम-	2014-15	2014-15	1996-97	2015-16	एक वर्ष
18.	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट- सह-सचिव, जिला कानून सेवाएं प्राधिकरण, सोनीपत	-सम-	2015-16	2013-14	1996-97	--	--
19.	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट- सह-सचिव, जिला कानून सेवाएं प्राधिकरण, यमुनानगर	-सम-	2014-15	2014-15	1996-97	2015-16	एक वर्ष

31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष हेतु राज्य के वित्तों पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

क्र. सं.	निकाय का नाम	नि.म.ले.प. को लेखाओं की लेखापरीक्षा की सुपुर्दगी की अवधि	वर्ष जिस तक लेखे बनाए गए	वर्ष जिस तक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन जारी किए गए	वर्ष जिस तक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन राज्य विधायिका को प्रस्तुत किए गए	वर्ष जिसके लिए लेखे देय है	लेखाओं के प्रस्तुतिकरण में विलम्ब की अवधि (30 जून 2017 तक)
20.	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट- सह-सचिव, जिला कानून सेवाएं प्राधिकरण, हिसार	कोई सुपुर्दगी अपेक्षित नहीं। लेखापरीक्षा सी.ए.जी. के डी.पी.सी. अधिनियम 1971 की धारा 19(2) के अधीन ली गई है।	2015-16	2015-16	1996-97	--	--
21.	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट- सह-सचिव, जिला कानून सेवाएं प्राधिकरण, नारनौल	-सम-	2015-16	2013-14	1996-97	--	--
22.	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट- सह-सचिव, जिला कानून सेवाएं प्राधिकरण, सिरसा	-सम-	2013-14	2013-14	1996-97	2014-15 से 2015-16	दो वर्ष
23.	मुख्य न्यायिक मेजिस्ट्रेट- सह-सचिव, जिला कानून सेवाएं प्राधिकरण, अम्बाला	-सम-	2015-16	2014-15	1996-97	--	--
24.	मुख्य न्यायिक मेजिस्ट्रेट- सह-सचिव, जिला कानून सेवाएं प्राधिकरण, जींद	-सम-	2014-15	2014-15	1996-97	2015-16	एक वर्ष
25.	मुख्य न्यायिक मेजिस्ट्रेट- सह-सचिव, जिला कानून सेवाएं प्राधिकरण, करनाल	-सम-	2007-08	2007-08	1996-97	2008-09 से 2015-16	आठ वर्ष
26.	मुख्य न्यायिक मेजिस्ट्रेट- सह-सचिव, जिला कानून सेवाएं प्राधिकरण, कुरुक्षेत्र	-सम-	2014-15	2014-15	1996-97	2015-16	एक वर्ष
27.	मुख्य न्यायिक मेजिस्ट्रेट- सह-सचिव, जिला कानून सेवाएं प्राधिकरण, मेवात	-सम-	2014-15	2014-15	2009-10	2015-16	एक वर्ष
28.	मुख्य न्यायिक मेजिस्ट्रेट- सह-सचिव, जिला कानून सेवाएं प्राधिकरण, पलवल	-सम-	2012-13	2012-13	2012-13	2013-14 से 2015-16	तीन वर्ष
29.	हरियाणा भवन एवं अन्य निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड, चण्डीगढ़	-सम-	2015-16	2013-14	2008-09	--	--

## परिशिष्ट 3.4

(संदर्भ: अनुच्छेद 3.4; पृष्ठ 54)

विभागीय तौर पर प्रबन्धित वाणिज्यिक एवं अर्ध-वाणिज्यिक उपक्रमों में लेखाओं के अन्तिमकरण एवं सरकारी निवेश की स्थिति दर्शाने वाली विवरणी

क्र.सं.	विभाग	विभाग के अधीन उपक्रम/स्कीमों के नाम	तक लेखे अन्तिमकृत किए गए	पिछले अन्तिमकृत लेखाओं के अनुसार निवेश (₹ करोड़ में)	लेखाओं को तैयार करने में विलम्ब हेतु टिप्पणियां/कारण
1.	कृषि	बीज डिपो स्कीम <sup>1</sup>	1988-89	-	1988-89 के पश्चात् कोई लेखे तैयार नहीं किए गए हैं।
2.	कृषि	पीड़कनाशियों का क्रय एवं वितरण	1986-87	-	विभाग द्वारा 1986-87 के पश्चात् पीड़कनाशी/ खरपतवारनाशक का कोई क्रय नहीं किया गया था।
3.	मुद्रण एवं स्टेशनरी	राष्ट्रीय पाठ्य पुस्तक स्कीम	2007-08	17.97	-
4.	खाद्य एवं आपूर्ति	अनाज आपूर्ति स्कीम	2014-15	6,636.74	-
5.	परिवहन	हरियाणा रोडवेज <sup>2</sup>	2010-11	774.86	स्टॉफ की कमी के कारण विलम्ब हुआ
<b>कुल</b>				<b>7,429.57</b>	

<sup>1</sup> ये स्कीमें 1986-87 (कीटनाशिकों का क्रय एवं वितरण) तथा 1984-85 (बीज डिपो स्कीम) से बंद हैं।

<sup>2</sup> 2010-11 के पश्चात् लेखे प्राप्त नहीं हुए हैं।

परिशिष्ट 3.5

(संदर्भ: अनुच्छेद 3.5; पृष्ठ 54)

दुरुपयोग, गबन इत्यादि, जहां अन्तिम कार्रवाई 30 जून 2017 को लम्बित थी, के मामलों का विभाग-वार/अवधि-वार विघटन

(कोष्ठक में आंकड़े इंगित करते हैं ₹ लाख में)

क्र. सं.	विभाग का नाम	5 वर्षों तक	5 से 10 वर्ष	10 से 15 वर्ष	15 से 20 वर्ष तक	20 से 25 वर्ष तक	25 वर्ष तथा अधिक	कुल
1	पशुपालन	-	-	1 (6.50)	-	-	-	1 (6.50)
2	शिक्षा	7 (25.02)	2 (0.60)	4 (2.01)	1 (0.57)	1 (0.65)	3 (1.86)	18 (30.71)
3	वन	-	-	-	1 (0.80)	-	-	1 (0.80)
4	चिकित्सा	3 (0.00)*	-	1 (0.01)	-	1 (1.50)	2 (11.92)	7 (13.43)
5	तकनीकी शिक्षा	-	-	2 (16.06)	-	-	1 (0.02)	3 (16.08)
6	राजस्व	-	-	-	1 (9.28)	-	-	1 (9.28)
7	पुलिस	1 (13.99)	-	1 (3.79)	-	-	-	2 (17.78)
8	समाज कल्याण	3 (8.63)	-	-	-	-	-	3 (8.63)
9	परिवहन	-	-	-	1 (3.17)	-	1 (0.60)	2 (3.77)
10	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता	1 (0.23)	-	-	-	-	-	1 (0.23)
11	नगर एवं ग्राम आयोजना	1 (1.44)	-	-	-	-	-	1 (1.44)
12	खजाना एवं लेखा	1 (0.00)*	-	-	-	-	-	1 (0.00)*
13	स्किल डिवेलपमेंट एंड औद्योगिक प्रशिक्षण	2 (0.40)	-	-	-	-	-	2 (0.40)
14	चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान	1 (3.00)	-	-	-	-	-	1 (3.00)
15	विकास एवं पंचायत	-	1 (0.00)*	-	-	-	-	1 (0.00)*
16	जन स्वास्थ्य इंजीनियरिंग	1 (1.61)	2 (16.11)	-	-	-	-	3 (17.72)
17	सिंचाई एवं जल संसाधन	-	9 (4.73)	13 (3.52)	4 (0.48)	6 (0.25)	17 (2.07)	49 (11.05)
18	लोक निर्माण (भवन एवं सड़कें)	-	1 (0.00)*	-	-	-	-	1 (0.00)*
	<b>कुल</b>	<b>21 (54.32)</b>	<b>15 (21.44)</b>	<b>22 (31.89)</b>	<b>8 (14.30)</b>	<b>8 (2.40)</b>	<b>24 (16.47)</b>	<b>98 (140.82)</b>

अर्थात् ₹ 1.41 करोड़

\* शून्य मूल्य उन मामलों में दिया गया है जहां राशि उपलब्ध नहीं करवाई जा सकी।

## परिशिष्ट 3.6

(संदर्भ: अनुच्छेद 3.5; पृष्ठ 54)

सरकारी सामग्री की चोरी तथा दुरुपयोग/हानि के मामलों के विभाग/श्रेणीवार ब्यौरे

(₹ लाख में)

विभाग का नाम	चोरी के मामले		सरकारी सामग्री का दुरुपयोग/हानि		योग	
	मामलों की संख्या	राशि	मामलों की संख्या	राशि	मामलों की संख्या	राशि
पशुपालन	1	6.5	0	0	1	6.50
शिक्षा	16	29.32	2	1.39	18	30.71
वन	0	0	1	0.80	1	0.80
चिकित्सा	4	0.01	3	13.42	7	13.43
तकनीकी शिक्षा	3	16.08	0	0	3	16.08
राजस्व विभाग	0	0	1	9.28	1	9.28
परिवहन विभाग	0	0	2	3.77	2	3.77
पुलिस	0	0	2	17.78	2	17.78
समाज कल्याण	3	8.63	0	0	3	8.63
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता	1	0.23	0	0	1	0.23
नगर एवं ग्राम आयोजना	0	0	1	1.44	1	1.44
खजाना एवं लेखा			1	0	1	0
स्किल डिवेलपमेंट एंड औद्योगिक प्रशिक्षण	2	0.40	0	0	2	0.40
चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान	1	3.00	0	0	1	3.00
विकास एवं पंचायत	1	0	0	0	1	0
जन स्वास्थ्य	2	9.61	1	8.11	3	17.72
सिंचाई	37	10.5	12	0.55	49	11.05
लोक निर्माण (भवन एवं सड़कें)	0	0	1	0	1	0
<b>कुल</b>	<b>71</b>	<b>84.28</b>	<b>27</b>	<b>56.54</b>	<b>98</b>	<b>140.82</b>

अर्थात् ₹ 1.41 करोड़